खण्ड-129, अंक-6
बुधवार, 28 माघ, शक संवत् 1875
(17 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज	३७१–३७५
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग	३७५–३७८
अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता	३७८–३८२
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय	३८२–३८६
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	३८६–३९०
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६३—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, तथा ३६-ख-सामुहिक योजनाएं	३९०–३९४
अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय	३९४
अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी	३९४
अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प	३९४
अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	३९५
अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)	३९५
अनुदान संख्या १०, लेखा शीर्षक १७-१८, १९ और ६८-सिंचाई स्थापना पर व्यय	३९५
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	३९५
अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३९५
अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय	३९६
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन	३९६
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस	३९६
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा	३९६
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन	३९६
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुचिकित्सा	३९६
अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और १७—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	३९६
अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता	३९७
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—श्रम और संख्या	३९७
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	३९७
अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	३९७
अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के विद्युत सम्बन्धी कार्यों का निर्माण	३९७
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत	३९८
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत	३९८
अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ६८ और ८१-क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)	३९८
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ...	३९८
अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक ८—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण	३९८
१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक (पुरःस्थापित तथा विचारोपरान्त पारित)	३९९–४०३
नत्थी	४०४–४०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ श्री,
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर , श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द मार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलालगुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिश्राजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह ,श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री

हबीबुर्रहमान हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला फ़तेहपुर में नेत्र चिकित्सालय का जिला बोर्ड द्वारा निर्माण

*१—श्री अनन्तस्वरुप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में मदनमोहन मालवीय नेत्र चिकित्सालय बनाने के लिये सरकार ने कितना रुपया जिला बोर्ड को क़र्ज़ में दिया है ?

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)—चिकित्सालय निर्माणार्थ सरकार ने ७०,००० रुपये का ऋण जिला बोर्ड को दिया था।

*२—श्री अनन्तस्वरुप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह अस्पताल किस शासकीय विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह चिकित्सालय एक समिति की देख-रेख में निर्माण किया गया है। जिलाधीश इस समिति के अध्यक्ष थे।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड के होते हुये उस समिति के बनाने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्ड ने कुछ रुपया खुद अपना खर्च किया और कुछ रुपया जनता से भी इकट्ठा किया था। यह सवाल उनके ही सामने था कि वह किस तरह से उस समिति को बनायें। हमने उस समिति को नहीं बनाया था।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उस समिति को जिला बोर्ड ने भंग कर दिया था और वह समिति पहले जिला बोर्ड की बनायी हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उस समिति को भंग कर दिया गया था इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

लखनऊ में सांभर नमक का अभाव

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में सांभर नमक का अभाव है ? यदि हां, तो क्यों ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी हां। अक्तूबर, १९५३ ई० तक लखनऊ को सांभर नमक प्राप्त होता था। नवम्बर, १९५३ ई० से लखनऊ को खारागोड़ा नमक प्राप्त हो रहा है। इस कारण लखनऊ में खारागोड़ा नमक उपलब्ध है और पहले आये सांभर नमक का थोड़ा स्टाक बचा है।

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उसके अभाव के कारण जनता को पिसा हुआ नमक खरीदना पड़ता है जो कि चार आना सेर मिलता है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं। लखनऊ में नमक का अभाव नहीं है। लखनऊ की मासिक आवश्यकता १६२४० मन की है इसके मुकाबिले में ३१ दिसम्बर को, ३९,०५७ मन और ३१ जनवरी को ४७,४४२ मन का स्टाक उपलब्ध था। पिसा हुआ नमक विदेशी और देशी, जिसके मूल्य पर नियंत्रण नहीं है बाजार में बिकता है और इस नमक को कुछ श्रेणी के लोग नमक के अभाव के कारण नहीं वरन् अपनी रुचि के अनुसार प्रयोग करते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि यहां पर जो खारागोड़ा नमक मिलता है वह घटिया है और मनुष्यों के इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। इसलिये जनता को चार आना सेर वाला नमक खरीदना पड़ता है ?

श्री बनारसीदास--जहां पहले सांभर से आया नमक इस्तेमाल होता था वहां खारागोड़ा नमक पहले दिया जाता था। वह लोग आमतौर पर खारागोड़ा नमक को सांभर के मुकाबले में कम पसन्द करते हैं। इसलिये कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह नमक घटिया किस्म का है लेकिन ऐसी बात नहीं है।

जिला बरेली के बहेड़ी नोटीफाइड एरिया में गबन की शिकायत

*५--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या यह सही है कि बहेड़ी, जिला बरेली की नोटीफाइट एरिया का कोई गबन सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

श्री नत्थूसिंह--क्या नोटिफाइड एरिया का कोई मामला अदालत के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अदालत के बारे में तो कोई सही पता नहीं है लेकिन वहां पर कुछ गबन की शिकायत है और जिलाधीश उसकी तहक़ीकात कर रहे हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या यह सही है कि नोटीफाइट एरिया के जो सेक्रेटरी थे वह सस्पेन्डेड हैं और उनकी जगह इसी सम्बन्ध में नये सेक्रेटरी नियुक्त किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। इतनी बात मालूम है कि जिला मैजिस्ट्रेट किसी गबन के मामले की तहकीक़ात कर रहे हैं।

जिला सुल्तानपुर में चिकित्सालयों व मिडवाइफों का अभाव

*६--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया सूचित करेगी कि सुल्तानपुर जिला की किस तहसील में कितने राजकीय सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं तथा उनमें किसे कितनी सहायता मिलती है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ६-८ राजा वीरेन्द्रशाह ने पूछे।

श्री बनारसी दास--

तालिका

नाम	ग्राम और पता	तहसील	सहायता की रक़म और किसके द्वारा दी गई
१--वैद्य श्री कौशल किशोर ..	ग्राम पुरी पलटन मिश्रा, जिला सुल्तापुर ..	१९५२--५३ में तहसील सदर ..	राज्य सरकार की ओर से २० रु० मासिक सहायता मिलती थी ।
२--वैद्य श्री हर्षपाल शुक्ल ..	बरगैन का पुरवा पत्रालय शुक्ल-बाजार, जिला सुल्तानपुर	तहसील .. मुसाफिर-खाना ..	भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश (बोर्ड आफ इंडियन मेडीसिन) द्वारा ५० रु० की सहायता प्रदान की गई ।

१९५३--५४ में

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश (बोर्ड आफ इंडियन मेडीसिन) ने अभी ग्रान्ट का धन नहीं बांटा है और जिस वैद्य को सरकार सीधे सहायता देती थी, उन्होंने सरकारी नौकरी मिलने के कारण वह स्थान छोड़ दिया है । अतः इस वर्ष सुल्तानपुर जिले में किसी भी चिकित्सा अथवा औषधालय को राजकीय सहायता नहीं दी गई है ।

*७--श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेठी तहसील के अन्तर्गत शारदन नामक (प्रमुख) स्थान के समीप कोई चिकित्सालय खोलने के लिये उधर के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास--कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया । पिछले साल शारदन के निवासियों ने इस स्थान पर एक चिकित्सालय खोलने को जबानी कहा था । उसपर सरकार विचार कर रही है ।

*८--श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अमेठी तहसील में वर्षों से एक भी मिडवाइफ नहीं है ? क्या सरकार इस कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, आगामी आर्थिक वर्ष जो मातृ तथा शिशु संरक्षण केन्द्र खोले जायेंगे, उनमें अमेठी को सम्मिलित करने का सरकार विचार रखती है ।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार इस आने वाले बजट में इस कार्य को लेने का विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां, अगले साल के बजट में इसे लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*९-१०--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१० मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजकीय चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता

*११—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कुल राजकीय चिकित्सालयों में कम्पाउन्डरों के कुल कितने स्थान हैं और उनमें से कितने स्थानों पर ट्रेन्ड कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—प्रदेश के कुल राजकीय चिकित्सालयों में कम्पाउन्डरों के कुल १,५५७ स्थान हैं जिन पर ६७१ स्थानों पर ट्रेंड कम्पाउन्डर काम कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शेष कम्पाउन्डरों को ट्रेंड करने पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, क्योंकि कम्पाउन्डर कम तादाद में मिल पाते हैं लेकिन काफी स्थानों पर अब यह ट्रेनिंग हो रही है। इसलिये आशा की जाती है कि आगे चलकर उनकी कमी नहीं रहेगी।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग के लिये क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

श्री बनारसीदास—ट्रेनिंग बहुत से केन्द्रों में जैसे आगरा, लखनऊ इत्यादि में हो रही है और कैंडिडेट्स को खर्चा खुद उठाना पड़ता है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों के अभाव में सरकार कोई वजीफा भी ऐसे लोगों को देगी ?

श्री बनारसीदास—आर्थिक संकट के कारण जो कम्पाउन्डर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिये वजीफा देना सरकार के लिये इस समय संभव नहीं मालूम पड़ता।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स कब तक ट्रेंड हो जायेंगे ?

श्री बनारसीदास—उनमें काफी ऐसे हैं जिनको करीब १० साल के करीब अनुभव हो चुका है, उनको अपवाद दे दिया जायगा। बाकी लोगों के लिये यह कोशिश की जायगी कि वे शीघ्र ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को १० साल से अधिक हो गये हैं उनको ऐक्जेम्प्ट कर दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास—यह उत्तर दिया जा चुका है कि यह किया जा रहा है।

व्यापार मंडल इलाहाबाद द्वारा चुंगी विभाग की शिकायत

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अगस्त, १९५२ में इलाहाबाद व्यापार मंडल का एक डेपुटेशन स्वशासन मंत्री से मिला था और उनके सामने कुछ आंकड़े पेश करके चुंगी विभाग की शिकायत की गयी थी जिसकी शीघ्र जांच करने का आश्वासन स्वशासन मंत्री ने दिया था ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, व्यापार मंडल, इलाहाबाद का एक डेपुटेशन मुझसे अगस्त ५२ में मिला था और मुझे म्युनिसिपल बोर्ड की एक दिवस की कार्यवाही का नोट दिया था जिसमें चुंगी वसूली और वापसी के कुछ आंकड़े दिये थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इस विषय में जांच-पड़ताल कराऊंगा।

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या उसकी जांच हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, उसके बारे में बोर्ड से पूछ ताछ की गई और उसने बताया कि उसकी समझ में चुंगी की वसूली और वापसी में बोर्ड की ओर से किसी प्रकार भी असावधानी नहीं हुई है और न बोर्ड को किसी प्रकार से चुंगी की हानि ही हुई है। उसने यह भी कहा कि चूंकि कोई विशेष व्यक्ति या मामले का नाम नहीं लिया गया है इसलिये वह जांच करने में असमर्थ है, परन्तु व्यापार मंडल से, जिसने इस विषय में शिकायत की है, पूछ ताछ की जायगी और उनके सहयोग से इस मामले की जांच भी होगी और यदि कहीं भी उसे कोई त्रुटि मिली तो वह दूर की जायगी। बोर्ड ने इस विषय पर व्यापार मंडल से सहयोग प्राप्त करने के लिये पत्र भी लिखा था और मेरा अनुमान है कि व्यापार मंडल की शिकायत दूर हो गई होगी।

रामपुर नगरपालिका के पास भवन की कमी

*१४---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि रामपुर की सुपरसीडेड नगरपालिका के पास कोई ऐसा भवन नहीं है जिसमें आगे होने वाले निर्वाचन के बाद बोर्ड की बैठक की जा सके?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, मालूम है?

*१५---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कमी को पूरा करने के लिये वह क्या विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---इस कमी को पूरा करने के लिये नगरपालिका जो प्रस्ताव करेगी उस पर सरकार विचार करेगी।

*१६---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या रामपुर के किले में रंग महल नामक भवन को टाउन हाल के निमित्त प्रयोग किये जाने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या यह सही है कि रामपुर नगरपालिका ने अपना भवन बनाने के लिये ५० हजार रुपया स्वीकृत किये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या रामपुर म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने अपने काल में कोई मांग इस प्रकार की सरकार को भेजी थी कि वहां के रंग महल को म्युनिसिपल हाल को दे दिया जाय?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सुझाव पर विचार हो रहा है।

*१७-१९---श्री बाबूलन्दन (जिला जौनपुर)---[२४ फरवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट में संशोधन का सुझाव

*२०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार रेंट कंट्रोल ऐन्ड एवीक्शन ऐक्ट में इस प्रकार का संशोधन करने का विचार कर रही है कि मालिक मकान अपनी जरूरत के लिये मकान या दूकान खाली करा सकता है यदि यह सिद्ध हो जाय कि वह मकान या दूकान उसे अपनी निजी जरूरत को पूरा करने के लिये चाहिये ?

श्री बनारसीदास—ऐसा कोई संशोधन सरकार के विचाराधीन नहीं है। मालिक मकान धारा ३ रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश की स्वीकृति लेकर न्यायालय द्वारा मकान या दुकान निजी आवश्यकता के लिये खाली करा सकता है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में मेहतरों के लिये सरकारी मकान

१—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों में कितने कितने मेहतरों के लिये सरकारी मकान बनवाने जा रही है और उन मकानों में कितना एकमोडेशन होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सारा विषय अभी विचाराधीन है।

स्थानीय निकायों में मेहतरों की हड़तालें

२—श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या सरकार उन सभी म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाओं और नोटीफाइड एरियाओं की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जहां-जहां आंशिक या पूर्णतः गत जनवरी, फरवरी, १९५३ ई० में उत्तर प्रदेश व्यापी मेहतरों की हड़ताल हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

सदन के उठने के बाद मुख्य मंत्री द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री राजनारायण जी ने कल एक शिकायत भेजी थी और आज फिर दूसरी शिकायत उसी प्रश्न के संबंध में भेजी है और उसकी एक कापी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी है। उनकी शिकायत है कि कल ५ बजे जब सदन उठा और मैंने यह ऐलान कर दिया कि अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे, उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को यह बताया कि आज, कल और परसों का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। मैं जरा मुड़ गया था, फिर मैं बैठ गया। उनका कहना है कि यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है, अपमान है। उनकी यह शिकायत है। लेकिन उसके लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये मैं उनको इजाजत नहीं दे सकता। उसके कारण मैं बता देना चाहता हूं कि उनको अगर रोकना था तो मुझे रोकना चाहिये था। नियमों का पालन कराना मेरा कर्त्तव्य है। अध्यक्ष अगर कोई इजाजत दे देते हैं और गलत भी दे देते हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध नहीं उठ सकता। दूसरी चीज यह है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे इसका जरा अफसोस जरूर है कि यह थोड़े से नियमों के विरुद्ध बात हो गयी, जो कि एक साधारण नियम है। यह आर्डर्स के ब्रीच की बात छोटी मोटी बातों, माइनर ब्रीचेज में शामिल होती है कोई महान ब्रीच नहीं है क्योंकि उसके द्वारा कोई विवाद का प्रश्न सदन के सामने उन्होंने नहीं रक्खा बल्कि जिस चीज की मांग माननीय विरोधी दल के नेता और उनके साथी कर रहे थे यानी एक तो यह कि पिछले शुक्रवार को जो नानआफी-

शियल बिजनेस को स्थगित किया गया था उसके लिये कोई दूसरा दिन रक्खा जाय, दूसरे वे लोग कार्यक्रम को भी जानने के बहुत उत्सुक थे, उनके बारे में तथा जो नियम गवर्नमेंट ने किसी अधिनियम के मातहत बनाये थे उन पर विवाद के समय के बारे में भी चर्चा उन्होंने कर ली। कल दोपहर को मेरे तकाजा करने से पेश्तर ही मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा कि वे चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो और उसके लिये बृहस्पतिवार रख दिया जाय तथा जो असरकारी कार्य हो और महत्व का हो तो वह अगले शुक्रवार को लिया जाय लेकिन कल मैं उस वक्त नहीं जानता था कि कल ही उसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को दे देंगे तो कोई प्रश्न आम वाद विवाद का नहीं था इसलिये यह सूचना अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उसी वक्त जब कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, दे देते तो कोई अनुचित सी बात दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बैठ जाने के बाद मैंने समझा कि वे सूचना आज नहीं देना चाहते हैं। इसलिये मैंने जाहिर कर दिया कि कल हम बैठेंगे। इतने में विरोधी दल के नेता भी उठते से मालूम हुये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---इसी सम्बन्ध में मैं कहने जा रहा था।

श्री अध्यक्ष---इसको मैं नहीं जानता था मैंने यही समझा था कि शायद आप इसी कारण उठ रहे हैं इसी बीच में माननीय मुख्य मंत्री उठ कर बात करने लगे। माननीय नेता विरोधी दल ने कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं किया। तो यह भी भ्रम मेरे दिल में आया कि सब लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनें और माननीय नेता विरोधी दल यही शायद पूछने वाले हैं कि कार्यक्रम क्या है। इसीलिये मैं भी यद्यपि उठ कर थोड़ा मुड़ गया था तो भी लौटकर बैठ गया। उस समय माननीय नेता विरोधी दल ने मुझको टोका नहीं और मैंने सोचा कि थोड़ी सी नियम की अवहेलना तो अवश्य है लेकिन उसको मैं 'कंडोन' कर लूंगा और मैंने बैठ जाने का ही निर्णय किया। अध्यक्ष को इस तरह का अधिकार हुआ करता है। मैं मेज "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" सफा ४५० का एक पैराग्राफ इस सम्बन्ध में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

"Although it is the duty of the Speaker to interfere in the first instance for the preservation of order when, in his judgment, the occasion demands his interference, it is also the right of any member who conceives that a breach of order has been committed, if the Speaker refrains from interfering (either because he does not consider it necessary to do so, or because he does not perceive that a breach of order has been committed) to rise in his place, interrupting any member who may be speaking, and direct the attention of the Chair to the matter, provided he does so the moment the alleged breach of order occurs."

[यद्यपि पहले तो अध्यक्ष का ही यह कर्तव्य है कि व्यवस्था स्थापित रखने के हेतु हस्तक्षेप करे जबकि उसके विवेक के अनुसार उसका हस्तक्षेप आवश्यक हो, तथापि किसी भी सदस्य को जो कि यह समझता हो कि व्यवस्था भंग किया गया है, यह अधिकार है कि यदि अध्यक्ष हस्तक्षेप करने से विमुख रहे (चाहे इस कारण से कि वह ऐसा करना आवश्यक नहीं समझता या इस कारण से कि व्यवस्था भंग को देखने से उसकी दृष्टि चूक गयी है) तो वह (सदस्य) अपने स्थान पर खड़े होकर, किसी बोलते हुये सदस्य के भाषणों में बाधा देकर अध्यक्ष का ध्यान इस विषय की ओर दिलावे, परन्तु शर्त यह है कि व्यवस्था भंग होने पर उसको यह कार्य उसी क्षण करना चाहिये।]

इसमें जो बीच हुआ नियम का वह यह कि हाउस समाप्त हो गया था और समाप्ति के बाद नहीं बैठना चाहिये था या ५ बज चुका था इसलिये कार्य नहीं होना था तो यह तो एक साधारण सी चीज है। कोई सदस्य मेरा एटेंशन ड्रा कर सकते थे जबकि माननीय मुख्य मंत्री एलान कर रहे थे कि यह ऐलान करना नियम के विरुद्ध है। अगर वे ऐसा करते तो शायद माननीय मुख्य मंत्री को इसके लिये कोई जिद भी नहीं होती कि वे उसे कल ही करते क्योंकि वे आज भी एलान कर सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने यह समझा कि दो

[श्री अध्यक्ष]

रोज का नोटिस लोगों को मिल जाय तो अच्छा है और उसी भावना को समझ कर मैंने सोचा कि चूंकि माननीय नेता विरोधी दल कोई कंट्रोवर्शिअल मैटर नहीं रेज करना चाहते हैं। इस कारण खामोश हैं। अगर माननीय नेता विरोधी दल को यह मालूम हुआ था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो उसी वक्त वे आर्डर आर्डर कह सकते थे। उनके आर्डर आर्डर कहने पर माननीय मुख्य मंत्री जी जो एलान कर रहे थे, वहीं पर रुक जाते और वह एलान कल करने के बजाय आज कर देते। खैर, यह भी हो सकता है कि उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने शायद मेरी सदन का कार्य स्थगित करने की बात सुनी न हो और इसी कारण उन्होंने एलान कर दिया हो। लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। "माफ कीजिये" ऐसा उन्होंने कहा था। तो इन शब्दों के बाद ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर किसी ने माफ कर देने के लिये कहा तो वह वहीं पर बात खतम हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय नेता विरोधी दल किसी समय कोई चार्ज भी लाते और कोई सख्त चार्ज भी लाते तो भी यदि किसी ने माफ करने के लिये कह दिया तो मैं समझता हूं कि सदन उस प्रश्न को विवादात्मक प्रश्न नहीं बनायेगा। जब फौरन ही उन्होंने माफी के लिये कह दिया तो फिर यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है। सदन के प्रति अपना कर्त्तव्य समझ कर मैंने जान बूझ कर मुख्य मंत्री जी को ऐलान करने से नहीं रोका इसलिये इस परिस्थिति में यह सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अब जो कार्यवाही दो दफा हुयी यानी एक दफा मैंने कहा "हम उठते हैं और कल फिर ११ बजे से बैठेंगे।" तो जो पहली दफा कहा था उसको आवश्यक हो तो हटा दूंगा और प्रोसीडिंग्स में हटा देना साधारण सी बात है। बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कभी कभी संशोधित हो जाती हैं और हम लोगों ने यह तय किया था कि सदन को पूर्ण अधिकार है कि जो चीजें हो जाती हैं उनमें हम यह कह सकते हैं कि यह पहले हुयी या यह बाद में हुयी। कोई चीज अगर बाद में हुयी हो तो भी उसको पहले रख दिया जाता है। तो इस चीज को करने का अधिकार सदन को है और मैं आशा करता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया है वह केवल एक चर्चा मात्र है और वह इसलिये कि वे सदन की प्रतिष्ठा को रखना चाहते हैं और उसके लिये सजग रहना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि इस सदन के और कार्यक्रम में भी सब तरफ से सब लोग सदन की प्रतिष्ठा को हमेशा कायम रखने की कोशिश करेंगे और मैं इसके लिये विरोधी दल के नेता को बधाई देता हूं कि उनके दिल में यह भावना पैदा हुयी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं किसी कंट्रोवर्सी की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी सफाई के तौर पर कहना चाहता हूं।

हमारी कतई इच्छा नहीं है और न इस तरह की टेकनीकेलिटीज में जाकर के कोई सदन की प्रतिष्ठा हमेशा कायम रह सकती है। मगर कभी मुझे यह मालूम है कि ट्रेजरी बेंचेज तनिक भी ऐसी बात होती है तो वह उसका ऐडवांटेज लेने के लिये तैयार हो जाता है। हमने भी सोचा कि ट्रेजरी बेंचेज जिस रास्ते पर काम करता है उसी पर हमें भी चलना चाहिये। तो मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं कि कितनी दूर तक इस सदन की प्रतिष्ठा को पालन करने के लिये जाता हूं इसकी एक थोड़ी सी बात यह है कि श्रीमन् आपको मालूम होगा कि जब मुख्य मंत्री जी कल बोल रहे थे तो मैंने आपको लिख कर भेजा था कि प्वाइंट आफ आर्डर इस समय मैं नहीं उठाना चाहता इसलिये कि मुख्य मंत्री जी इस समय ज्यादा भाव प्रधान बोल रहे हैं। इसलिये मैं उनको टोकना नहीं चाहता लेकिन यह सवाल प्वाइंट आफ आर्डर का है। ऐसा कई बार हुआ है जब यहां मुख्य मंत्री बोलते हैं तो नियम की कतई भी पूर्ति नहीं होती इस सम्बन्ध में उस समय भी मैंने लिख कर सेक्रेटरी महोदय या आपको भेजा है।

मैं यह अर्ज करता हूं कि कितनी दूर तक मैं माननीय मुख्य मंत्री की कद्र करता हूं कि वे

बोलते रहें और प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल उठाना है तो भी मैं नहीं उठाऊं। खैर, तो श्रीमन् ठीक है आप जैसा कर दें। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि इस प्रश्न को उठावें लेकिन मुझे कुछ ठेस लगी थी जब आपको यहां दूसरी बार आना पड़ा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)—मैं राजनारायण जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया। मैं अवश्य यह समझता हूं कि अगर मुझे स्वप्न में भी यह बात मालूम होती कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसमें उनको ठेस लगेगी या सदन को ठेस लगेगी तो मैं उन दो चार लफ्जों को कहता नहीं, और मैंने यह कहकर शुरू किया था कि "मैं माफी चाहता हूं, मैं एक बात भूल गया।" अगर "माफी चाहता हूं" कहना सदन के साथ ज्यादती करना है तो ऐसे लफ्जों को कहने से भी आइंदा गुरेज किया जायगा।

जहां तक इसकी बात है मैंने असल में पहले अध्यक्ष महोदय से बातें कर ली थीं कि यह प्रोग्राम हो तो कैसा हो और रामनारायण जी से भी बातें हुयी थीं। कल जब मैं बोल चुका और बैठने लगा तो रामनारायण जी ने ही इशारा किया कि तुम भूल गये कार्यक्रम को बताना। मुझे जब यह मालूम हुआ कि यह भावना है और मुझसे जरूर यह गलती हुयी और मुझे यहां कह देना था। चूंकि एक दिन और, कुछ और टाइम, सदस्यों को मिल जायगा जो कि इस विषय में दिलचस्पी लेते हों तो बजाय आज कहने के मैंने समझा कि बेहतर होगा और मैंने सबके सुभीते के लिये कहा। जहां तक मैं कह सकता हूं, जब मैं खत्म करके बैठ रहा था उसी वक्त रामनारायण जी ने इशारा किया था कि तुम कार्यक्रम कहना भूल गये हो और उनके इशारे पर ही मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे कह देना चाहिये। मेरा भी उसमें यह विचार हुआ कि सदन के सदस्यों को एक रात और कुछ घंटे और मिल जायं जिससे इस विषय में अगर वे देखभाल करना चाहें तो कर सकें। आज के लिये तो पहले से निश्चित था ही लेकिन कल और परसों के लिये बात थी। इसलिये मैंने कहा कि माननीय सदस्यों को थोड़ा और समय मिल जायगा तो अच्छा है। ऐसी हालत में मैं कभी भी कोई ऐसी बात करूं कि जिससे इस सदन की मर्यादा की अवहेलना हो कम से कम वह तो मैं जब तक कि इस जिम्मेदारी की जगह में बैठा हुआ हूं, मेरे लिये विचार में भी आना सम्भव नहीं है। जो कुछ मैं समझता हूं कि सदन के सुभीते के लिये कहना है वह मैंने कहने की कोशिश की है और बाद में अगर अध्यक्ष महोदय चले भी जाते और यहां कोई न भी बैठा हुआ होता तब भी मैं एक तरह से फार्मली इत्तला दे देता कि कल यह होगा और परसों यह होगा उसमें शायद किसी को आपत्ति नहीं होती। कम से कम मैंने जो कुछ किया वह इस गरज से किया कि सदन के सदस्यों को ज्यादा सुभीता हो और उनके प्रिवेलेज ज्यादा बढ़ें न कि मैंने इस ख्वाहिश से किया कि यहां प्रिवेलेज में कोई कमी हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल से यह जानकारी हासिल करना चाहूंगा कि क्या उस समय जब हमारे मुख्य मंत्री जी यहां सूचना दे रहे थे उनके दल के सदस्य यहां उपस्थित थे?

श्री अध्यक्ष—यह तो सब को मालूम है, इसमें उनसे पूछने की क्या आवश्यकता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

आगामी असरकारी दिवस के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात और बतला दूं कि १९ तारीख जो कि असरकारी दिन है उस दिन वही कार्यक्रम रहेगा जो पिछले शुक्रवार के बैलेट में आ चुका है। उसी के सिलसिले में मैंने इजाजत दे दी है कि फिर से उसे बैलट में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें शायद एक विधेयक है और दो प्रस्ताव हैं। यही कार्यक्रम उस रोज रहेगा।

१९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में चूंकि अनुदानों की संख्या काफी है और समय कम है इसलिये पहले केवल अनुदान संख्या ५,१६,१९,२०,२२,२९,३६,४०,४३,५० और ५२ ली जायं। अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान संख्या लिये जायं और मैं यह भी चाहता हूं कि पहले यही लिये जायं। बाकी जो ग्रांट्स रह जाते हैं, उन पर इनफार्मल कार्यवाही हो जाय, माननीय मंत्री जी उनको पेश कर दें और वह यों ही पास कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—यह भी हो सकता है कि जो विवाद के लिये नहीं लिये जायेंगे वह भी पेश कर दिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं उनको अन्त में चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप अन्त में चाहते हैं ताकि अभी समय बच जाय ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं समय के लिये.....

श्री अध्यक्ष—पहले मैं यह पूंछ लूं कि इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं यह चाहता हूं कि अनुदान संख्या २ भी ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष—और तो कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—मैं चाहता हूं कि अनुदान संख्या ४१ महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ले लिया जाय।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि जिन पर बहस नहीं होगी, वह पहले पेश हो जायं ?

श्री अध्यक्ष—वह ऐसा चाहते नहीं हैं। जिन अनुदानों पर बहस होगी उनके लिये वह समय बचाना चाहते हैं। आखिर में आध घंटा मिलता है, उस वक्त जल्दी जल्दी से सब खत्म हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि उस आध घंटे में बाकी अनुदान खत्म कर दिये जायं और अभी समय बच जाय। मैं यह समझता हूं कि यह उचित भी होगा। अनुदान संख्या २ और ४१ के बढ़ाने में तो कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह भी बढ़ा दिये जायं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—मैं चाहता हूं कि ३६ भी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—३६ तो ले लिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, समय के लिये मेरा यह सुझाव है—

अनुदान संख्या २—१० मिनट
अनुदान संख्या ५—१५ मिनट
अनुदान संख्या १६—१५ मिनट
अनुदान संख्या १९—२० मिनट

अनुदान संख्या २१---२५ मिनट
अनुदान संख्या २२---२५ मिनट
अनुदान संख्या २९---२५ मिनट
अनुदान संख्या ३६---२५ मिनट
अनुदान संख्या ४०---२५ मिनट
अनुदान संख्या ४१---२० मिनट
अनुदान संख्या ४३---३० मिनट

और बाकी जो समय बच जाता है वह अनुदान संख्या ५२ में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इस हिसाब से ४ घंटे ५ मिनट का समय होता है। कुल ३ घंटे ५५ मिनट बाकी हैं। इस प्रकार अनुदान संख्या ५२ के लिये वक्त नहीं रहता है। खैर, आधे घंटे में से मैं १० मिनट दे दूंगा और मैं यह तय करता हूं---

अनुदान संख्या २---१५ मिनट
अनुदान संख्या ५---१५ मिनट
अनुदान संख्या १६---१५ मिनट
अनुदान संख्या १९---२० मिनट
अनुदान संख्या २१---२० मिनट
अनुदान संख्या २२---२० मिनट
अनुदान संख्या २९---२५ मिनट
अनुदान संख्या ३६---२५ मिनट
अनुदान संख्या ४०---२५ मिनट
अनुदान संख्या ४१---२५ मिनट
अनुदान संख्या ४३---३० मिनट

और बाकी जो समय मैं दूंगा वह ५२ के लिये दूंगा और इस तरह से वह ठीक हो जायगा।

१९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान
अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

यह एक टोकेन ग्रांट है। २९०० रुपये खर्च करने पड़े हैं डुबी के इलाके में दरख्तों के शुमार में जो लाख पैदा करते हैं। सेविंग्स से हमने निकाल लिया है। उसके लिये १०० रुपये की मांग है। नोट्स में सब कुछ बतला दिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को पेश करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी-अभी अपने क्षेत्र से घूम करके आया हूं। वहां किसानों को जहां इस बात की खुशी है कि अब जमींदारी टूट गयी, वे स्वतंत्र हो गये, बराबर बैठने का उनका हक है वहां इस बात की अशहद शिकायत है कि पहले जब लगान जमींदार वसूल करता था ....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, (विधान का प्रश्न है) माननीय सदस्य ने कोई कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं किया।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं त्रिपाठी जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने प्वाइंट आउट कर दिया और लीजिये बाकायदा सुन लीजिये मेरा कट मोशन।

श्री अध्यक्ष---आपका कट मोशन इसके ऊपर है वह पेश कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरा कटमोशन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य वसूली तथा मुआविजा पाने वालों की दिक्कतें बताना और सुझाव देना है।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसानों के सामने बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है। कुछ थोड़े से कुर्क अमीन ऐसे हैं जो भलमनसाहत से पेश आते हैं लेकिन ज्यादा ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है पैसा कमाना वे बड़ी सख्ती से पेश आते हैं, जरा भी मोहलत नहीं देते। उनकी शिकायत मुझसे वहां के तहसीलदार साहब ने की, उनसे वसूल कुछ होना चाहिये वसूल ज्यादा किया जाता है और क़ागज पर कुछ बना लिया जाता है और रसीदें अंग्रेजी में दी जाती हैं जिन्हें देहाती लोग पढ़ नहीं पाते। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि जो भूतपूर्व जमींदार हैं वे भले आदमी हैं, उनके यहां चार भले आदमी आते हैं तो अतिथि सत्कार करना ही पड़ता है। उनका मुआविजा सरकार पर बाकी है, उनके ऊपर भी कुर्की पहुंचती है। मेरी गुजारिश यह है कि ग़रीब होना कोई पाप नहीं है। किसी आदमी के पास पैसा नहीं है तो क़ैद नहीं होनी चाहिये। उस पर बकाया है तो उसकी चीज नीलाम कीजिये मगर आपके जिम्मे जब मुआविजा उसका बाकी है तब कुर्की कैसी, इसके अलावा जितना मुआविजा उसको मिलना है उससे क़रीब-क़रीब आधे से ज्यादा उसको रिश्वत देनी पड़ती है और दौड़ना अलग पड़ता है। सख्त परेशानी है। मुझसे एक कांग्रेस वर्कर ने कहा था कि अब तक तो हम किसानों के आदमी थे, कोशिश करते थे कि किसानों को जमींदारों के चंगुल से बचाया जाय लेकिन अब तो हमें जमींदारों का संगठन बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इन भले आदमियों पर सरकार रहम करे। कम से कम जो उनको मुआविजा मिलना है उसको मनीआर्डर से भेज दिया जाय, उसका खर्चा काट लिया जाय। सब जमींदार बुरे नहीं हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एलेक्शन में आपने देखा है कि बहुत थोड़े से जमींदारों ने आपकी मुखालिफत की, शेष ने साथ दिया या थोड़े से जमींदारों ने अपने को राय बहादुर और खानबहादुर बनाने के लिये सरकार की मुखालफत की लेकिन मेजोरिटी ने हमारा साथ दिया था। हुजूरवाला, मैं एक बात कहकर अपना व्याख्यान समाप्त करना चाहूंगा। वह बस्ती की बात है जबकि मैं और श्री गौरीशंकर मिश्र वहां के एक कांग्रेस जन के यहां ठहरने गये तो मैंने देखा कि उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको तकलीफ हो तो मैं यहां से हट जाऊं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि कहीं हमारी शिकायत न हो जाय.....।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अनुदान का सम्बन्ध दुद्धी में वृक्षों पर कर लगाने से है और आप अपना जो भाषण कर रहे हैं वह तो बिल्कुल असंगत सी बात हो रही है।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, उनका चेहरा फीका देखकर हम लोग वहां से उठ गये और राजा शिवपति सिंह जी के यहां जाकर ठहर गये। लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या उनके यहां सीताराम और गौरीशंकर जी ठहरे थे तो उन्होंने कहा कि जी हां वह जरूर ठहरे थे गो हमारे और उनके राजनैतिक सिद्धांत में अन्तर है लेकिन वह मेरी जान-पहचान के थे इसलिये ठहरे थे। उस वक्त हम लोगों का अपने यहां ठहरना उनके लिये गुनाह था और उनके हथियार जब्त हो सकते थे। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। जमींदारों ने इस तरह से काफी हम लोगों की मदद की है। हम अगर उनको कोई इनाम न दें तो कम से कम

उनका मुआविजा तो ठीक समय पर मिल ही जाना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री महोदय एक सुलझी हुयी तबियत के आदमी हैं इसलिये वह इसका प्रबन्ध अवश्य कर देंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है उससे मेरा आशय है कि दुद्धी तहसील में गवर्नमेंट स्टेट के जो लाख के पेड़ हैं उनकी सरकार जो गणना करने वाली है, उससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुद्धी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऐसा है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दो साल के अन्दर एक नरभक्षी ने १४५ आदमी खा लिये हैं, किन्तु अब तक वह नर भक्षक मारा नहीं गया है। जुलाई सन् १९५३ ई० से जमींदारी उन्मूलन विधेयक लागू है लेकिन उससे सटे हुये क्षेत्र अगोरी परगने में अभी तक जमींदार भी अपने डंडे के बल पर और सरकार का वन विभाग भी वहां के लोगों से खर्च तथा अन्य कर वसूल कर रहा है। ऐसे पिछड़े हुये क्षेत्र में अगर इन वृक्षों की गणना होगी तो यह एक ऐसा काम होगा कि लाख की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जंगल के भीतर ८-१० लाख पेड़ है। जब वहां पर यह काम होगा तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी की ज्यादा गुंजाइश हो सकती है। जैसे कि देखने में आता है और वहां कई मामलों में हुआ भी है।

मैं अपने इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लाख का व्यवसाय मिर्जापुर का एक विशेष व्यवसाय है और इस व्यवसाय के संरक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है, किन्तु मुझे भय है कि इस लगान से इस व्यवसाय को विशेष धक्का पहुंचेगा क्योंकि वृक्ष कर प्रणाली शुरू करने से वहां के किसानों के कंधे के ऊपर एक ऐसा बोझा आ जायगा जिसको वह लोग उठा नहीं सकेंगे। वह इतने गरीब हैं कि एक-एक और डेढ़-डेढ़ रुपया तक लगान का वह सरकार को अदा नहीं कर सकते हैं और सरकार को स्कैअरसिटी फंड वगैरा से उनको मदद करनी पड़ती है और नाना प्रकार की उनको सहायता देनी पड़ती है। अगर यह वृक्ष कर प्रणाली लगा दी गई तो जितने वृक्ष होंगे सब पर कर लग जायगा और वहां के किसान उसको अदा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यह बात भी है कि लाख की उपज प्रति वर्ष नहीं होती है, यह तीसरे साल होती है। और अगर वृक्ष कर लग जायगा तो वह प्रति वर्ष के लिये होगा। एक तरह से यह वहां के किसानों पर डायरेक्ट टैक्सेशन होगा और वह गरीब काश्तकार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और तब इस व्यवसाय को तरक्की के बजाय उल्टा धक्का पहुंचेगा और यह व्यवसाय नष्टप्राय हो जायगा अथवा अवनति को तो अवश्य ही प्राप्त हो जायगा क्योंकि किसान उससे बचने के लिये अपनी दिलचस्पी हटा लेंगे। मुझे भय है कि वह अपने पेड़ों को काट डालेंगे इसलिये कि अगर इतने वृक्ष रहेंगे तो इतना ही उनको टैक्स देना पड़ेगा इस भय से बहुत से पेड़ काट भी डाले गये। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि वृक्ष कर वहां पर चालू न किया जाय। यह जरूर चाहूंगा कि लाख का व्यवसाय जरूर बढ़ाया जाय। इसके लिये मेरी तजवीज यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज अब वहां बन गयी हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो केन्द्रीय संगठन हो उसके द्वारा लाख का व्यवसाय बढ़ाया जाय और काम किया जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि लाख के व्यवसाय की रक्षा होगी और किसान भी, जो डायरेक्ट टैक्सेशन होगा, उससे बच जायगा और सरकार की मंशा भी पूरी हो जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर पुनः विचार करे।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)---मुझे सिर्फ दो लफ्ज कहने हैं। यह जो लाख पर कर था, वहां दो साल हुये हमने छोड़ दिया था, इसलिये कि वहां की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और लोग कुछ पैदावार न होने की वजह से दुखी थे। इस वजह से उसको छोड़ दिया गया। कोई नया कर नहीं लग रहा, बल्कि जो पहले से था उसको ही इस वृक्ष के तरीके पर लगाने का खयाल है और वह बहुत कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। छूट भी रहेगी दो साल की और आइन्दा के लिये भी जितना पहले लगता था उस से बहुत कम लगेगा और जो वसूली का तरीका था उसको बन्द करने के लिये यह तरीका रखा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि लाख कर से

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

जो भी आमदनी हो वह उसी जिले में लाख के काम को सम्भालने और सुधारने के काम में आनी चाहिये और कोशिश इस बात की की जायगी कि वह कर लाख की इन्डस्ट्री को संभालने और कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये काम को कराने के लिये लगाया जाय और उन्हीं के फायदे के लिये यह लगाया गया है। मैं समझता हूं कि मिर्जापुर जिले के लोग ऐसे हैं कि उनको सदन को जो भी सहायता हो सके वह देनी चाहिये। अगर कर लगाने से उनकी हालत खराब होती हो तो उसको लगाने की ख्वाहिश नहीं है, मगर उसके द्वारा लाख का काम बढ़ेगा और यह सबके लिये हितकर होगा, उनके लिये भी होगा। इसलिये जो कुछ भी किया जायगा वह मिर्जापुर के जो कोई यहां हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे परामर्श करके ही किया जायगा।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाख का मामला है वह तो माननीय मुख्य मंत्री ने उसके मुतल्लिक फरमा दिया है, लेकिन जहां तक मालगुजारी की वसूलयाबी या मुआविजा देने की बात है वह माननीय सीताराम शुक्ल ने जो कुछ कहा है मुझे उसके सिलसिले में एक एप्रिहेंशन है। वह यह है कि अखबार में सबसे पहली कटौती पेश हुई और मनुष्य का स्वभाव यह है कि जो छापे में छप जाता है उसका यकीन कर बैठता है। तो एप्रिहेंशन यह है कि मालगुजारी का काम आम तौर पर इस सदन के सब माननीय सदस्यों को तसलीम है कि इस तरीके से किया गया कि जिसमें जनता को शिकायत न हो, लेकिन माननीय सीताराम जी ने उसके सिलसिले में सारे किये कराये पर काली स्याही लगा डाली। तो मुझे डर है कि लोग उसका गलत नतीजा न निकालें। बस्ती के सिलसिले में सीताराम जी को शिकायत है। तो मैं दो बार बस्ती गया और बस्ती में सिर्फ एक अमीन की शिकायत थी कि उसने ढाई रुपये के बजाय दस या पच्चीस वसूल किये और तहरीर की उसमें गलती थी। जैसे ही तहसीलदार की नोटिस में वह आई उस अमीन के खिलाफ कार्यवाही की गयी और वह हटा दिया गया। सिर्फ एक शिकायत बस्ती के जिले में अब तक सारे सूबे में मेरे पास आई है और इत्तफाक से उसी का जिक्र और उसी को जर्नलाइज कर दिया गया।

खैर, वह शिकायत है, और भी हों, १० हों, २० हों, मगर उन्हें इस सदन के माननीय सदस्य गवर्नमेंट के नोटिस में लायें, गवर्नमेंट के नोटिस में भी लाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नोटिस में लायें तो फौरन कार्यवाही की जायगी। कलेक्टरों को बड़ी सख्त हिदायत इस सिलसिले में है कि कोई शिकायत किसानों की मालगुजारी की वसूली में हर्गिज हर्गिज नहीं आनी चाहिये। यही सबसे पहला चार्ज पुराने जमींदारों का था कि जमींदार जो वसूल करते थे, अपना लगान जो लेते थे, उसमें रियायत कर सकते थे। एक फसल अगर नहीं हुई तो दूसरी फसल के लिये मुल्तवी कर सकते थे लेकिन गवर्नमेंट का जो तरीका होगा वह रिजिड होगा। उसमें यह सहूलियत नहीं होगी। इस तरह की शिकायत उनकी थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि जमींदारों का यह एप्रीहेंशन निर्मूल साबित हुआ और आज अगर सूबे भर के किसानों से इस सिलसिले में पूछा जाय तो जैसा कि मैंने अर्ज किया आमतौर पर कोई शिकायत नहीं है। यों करोड़ों से वास्ता है और हजारों आदमी वसूल करते हैं। तो अगर कोई गल्ती इस तरह की हो जाती है तो उसको दूर करने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिसका दस या बीस रुपये मुआविजा है तो ठीक है अगर उसको दो दफा आना पड़ेगा तो पांच सात रुपये खर्च ही हो जायेंगे। जहां तक मालगुजारी में मुजरा देने की बात है वह दरख्वास्त दे दें, वह मुजरा हो जाती है। यही नहीं जो फाइनल कम्पेंसेशन है, चालीस साल तक मालगुजारी का मुजरा देने के लिये रूल्स बन चुके हैं।

अन्तरिम मुआवजे के जो रूल्स बने थे उनमें गवर्नमेंट ने तीन बार संशोधन किये और जमींदारों की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर ऐसा किया गया। कुछ अखबारों में निकला, कुछ हमारे पास खत आये और तीन मर्तबा तरमीम की गई और अफसरों को हिदायत दी गई कि

बिना किसी शिकायत के बहुत जल्द रुपया दें लेकिन गवर्नमेंट के खजाने से रुपया जाता है। तसदीक करनी पड़ती है, कि कितनी मालगुजारी देता है या नहीं देता है, कितन ड्यूज गवर्नमेंट के उस पर बाकी हैं, वह मुजरा किये जायं, फिर यही शख्स है या नहीं है, अगर ओवर पेमेंट हो जाय तो उसके लिये सिक्योरिटी दे कि बाकी रकम वसूल कर ली जायगी। बावजूद इन हिदायतों के जौनपुर में एक केस ओवर पेमेंट का हो गया। इसलिये उन लोगों को कुछ दिक्कत होती है लेकिन दो तीन बार तरमीम करने के बाद अब कोई शिकायत किसी जमींदार की नहीं आई।

श्री अध्यक्ष---इस पर समय समाप्त हो रहा है। सिर्फ १५ मिनट थे। जरा शार्ट कर दीजिये।

श्री चरण सिंह---१ लाख ७३ हजार दरख्वास्तें कम्पेंसेशन की पड़ी हैं जिनमें से १ लाख ५५ हजार डिस्पोज आफ हो गई हैं। ३ करोड़ ३ लाख रुपया कम्पेन्शेशन का दिया जा चुका है। अब कोई इस किस्म की शिकायत है नहीं। अगर कोई माननीय सदस्य की नालेज में कोई बात हो तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री सीताराम शुक्ल से) क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मैंने तो सिर्फ इसीलिये पेश ही किया था कि अटेंशन ड्रा करूं। वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २-लेखा शीर्षक ७-मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन

श्री गोविन्दबल्लभ पन्त---श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०-वन के अन्तर्गत १४,२६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

चूंकि १५ मिनट ही इसके लिये हैं लिहाजा मैं सदन का वक्त लेना नहीं चाहता। आखिर में जरूरत होगी तो मैं कह दूंगा।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान में १४,२६,७०० रु० की मांग सरकार ने की है। सबसे पहली जो मद है वह बहुत छोटी मद है, २७०० रु० की। वह सिर्फ इस गरज से कि चीफ कंजरवेटर साहब का दौरा अधिक हुआ। यह मैं मानता हूं कि चीफ कंजरवेटर या कंजरवेटर जो भी विभागीय अध्यक्ष होते हैं उनको दौरा जरूर करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल बजट होता है उनके टी० ए० के लिये काफी प्राविजन रहता है। इसमें इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह अधिक दौरा क्यों हुआ। जहां तक मैं समझता हूं अगर अपने विभाग के कार्य के लिये दौरा होता तो कोई एतराज की बात न होती। अधिक दौरा करने का एक कारण यह भी होता है कि जब कभी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर साहब दौरे पर जाते हैं तो अपने दल बादल के साथ जाते हैं। अपना सारा डिपार्टमेंट तथा पैराफर्नेलिया साथ ले जाते हैं। डिपार्टमेंट के छोटे छोटे अधिकारी भी दौरे में

[श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट]

शामिल रहते हैं। सिर्फ फारेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि जिले के सारे डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का काम ठप हो जाता है इसलिए इसमें जो यह अधिक खर्चा हुआ है, स्वाभाविक है। इसमें कुछ बचत हो सकती थी अगर फजूल में दौरा न किया जाता।

दूसरी रकम रेजिन टेपिंग के संबंध में है। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकारी एजेंसी से जो रेजिन टेपिंग का काम हो रहा है उसमें कुछ जनता को राहत मिलनी चाहिये। पहले यह काम टेहरी में ठेकेदारों के द्वारा होता था। ठेकेदार लोग वहां की स्थानिक जनता को काम नहीं देते थे। सरकार ने यह एलान किया था कि सरकार विभाग द्वारा इस काम को करायेगी और इसमें लोगों को कुछ राहत मिलेगी। डिपार्टमेंट वाले कंट्रैक्टरों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वहां की जनता को या लोकल लेबर इम्प्लाय करें और सरकार जब अपने हाथ में काम लेगी तो वहां के लोगों को कुछ इम्प्लायमेंट मिल जायगा। ऐसा आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया। लेकिन जब सरकार ने अपने हाथ में कार्य लिया तो लोगों को कार्य नहीं दिया जाता है। उसका कारण यह बताया जाता है कि लोग पेड़ को छीलना नहीं जानते हैं। वहां पर एक श्रमिक संघ भी तैयार हुआ था जिसने अपनी मांगें डिप्टी मिनिस्टर साहब के पास पेश की थीं कि उनकी यूनियन को काम दिया जाय लेकिन सरकार ने उनसे २० हजार की सिक्योरिटी मांगी। जब कि एक इंडिविजुअल को एक व्यक्ति को ५० या १०० रु० से ज्यादा जमानत नहीं देनी पड़ती। तो मैं कम से कम अर्ज करूंगा कि वहां पर कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है इसलिये वहां की स्थानिक जनता को इस काम में जरूर लगाया जाय और ब्यूरोक्रेटिक आफिसर्स के कहने पर कि वहां के लोग पेड़ को छीलना नहीं जानते इसको न माना जाय। अगर गवर्नमेंट को सन्देह है तो कम से कम एक्सपरिमेंट के लिये एक बार उन लोगों को काम दिया जाय। अगर सरकार कुछ लोगों को राहत नहीं देती है तो इससे अच्छा तो यह है कि डिपार्टमेंट द्वारा यह काम न करके ठेके से ही यह काम किया जाय जिसमें कम खर्च होगा इसके अतिरिक्त पूर्वी सर्किल में कुछ सूखे पेड़ जिनमें कीड़ी लग जाती है उनकी बिक्री का प्रबन्ध करने के वास्ते कुछ मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय जहां तक सूखे गीले या सड़े हुये पेड़ होते हैं उनके लिये सरकार की नीति जो है वह 'डाग इन दी मैंजर' की पालिसी है। कम से कम जंगलों में जो पेड़ गिर या सड़ जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं सरकार उनको जनता को मुफ्त नहीं देती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो नजदीक के पेड़ होते हैं उनको डिपार्टमेंट कीमत ले कर बेच सकता है लेकिन जंगलों के बीच में जो पेड़ गिर जाते हैं उनके बिक्री का डिपार्टमेंट प्रबन्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे जो सड़े गले पेड़ होते हैं, जिनकी बिक्री होना नामुमकिन है ऐसे पेड़ सरकार जनता को दे दें जिनको लोग ले जा कर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट उनसे कीमत चार्ज करता है जिससे जनता उनको लेती नहीं और वे पेड़ व्यर्थ में वेस्ट हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको मुफ्त लोगों को दे दे तो उनकी जरूरत पूरी हो जायगी।

डिमार्केशन के बारे में काफी मद मांगी गई है। इस बारे में गढ़वाल की जनता की बहुत पुरानी मांग है कि डिमार्केशन किया जाय। महाराजा के समय में जंगलों के अधिकारों के बारे में १२-१३ रिवोल्ट हो चुके हैं लेकिन आज तक डिमार्केशन न हुआ अब सरकार ने शुरू कर दिया है लेकिन सुनने में आता है कि मुनारे हटाने के बजाय नजदीक लगाये जा रहे हैं। मेरा एक सुझाव इसके साथ यह भी है कि डिमार्केशन आफिसर के साथ-साथ एक सिविल आफिसर भी वहां रखा जाय क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां जंगलात के मुनारे लगे हुये हैं और जो रेवेन्यू रिकार्ड में भी दर्ज हैं लेकिन जंगलात वालों ने उनको अपनी बाउन्डरी में दर्ज कर रक्खा है। मेरा सुझाव यही है कि उनको फारेस्ट बाउन्डरी से बाहर कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त वहां जो लीज तथा इल्लीगल कल्टीवेशन है जिसके लिये गवर्नमेंट का इसके मुताल्लिक जो० ओ० है कि उसको लोगों से छुड़ाया न जाय। उनको भी जंगलात की बाउन्डरी से बाहर कर दिया जाय। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारसाल जब यह सप्लीमेंटरी बजट पेश किया था तो उस समय हमें यह आश्वासन दिया था कि जंगलात में सड़कें बनाने के लिये कुछ प्राविजन रखा जायगा। मुझे बड़ी आशा थी कि इस सप्लीमेंटरी बजट में कुछ नई सड़कें बनाने के लिये इस मद में कुछ रुपया जरूर होगा और उसकी हमसे माँग की जायगी लेकिन सड़कें बनाने के लिये कुछ भी पैसा नहीं माँगा गया। एक जगह पर लकड़ी ले जाने के लिये थोड़ा सी रकम १३,००० रुपये की माँगी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जंगलों में से लकड़ी निकालने के लिये फारेस्ट प्रोड्यूस को ले जाने के लिये लाखों रुपये खर्च करने होते हैं। उसके लिये आवश्यक है कि वहाँ सड़कें बनाई जायं और जो बजट आने वाला है उसमें उसके लिये कुछ प्राविजन जरूर रखा गया होगा और अगर न रक्खा गया हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जंगलात में सड़कें बनाने के लिये थोड़ा सा रुपया अवश्य रख दें ताकि चीजें सस्ती हो सकें। जो रेजिन वगैरह निकाला गया है इस साल वह इतना पड़ा हुआ है कि उसको निकालना बन्द कर दिया गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जितना रेजिन टर्पेनटाइन फैक्टरीज के लिये जरूरत हो उतना तो उनको दे दिया जाय और अगर ज्यादा निकाला जाय तो वह जो छोटी मोटी काटेज इंडस्ट्रीज है वह उनको दे दिया जाय जिससे हमारा अनएम्पलायमेंट की प्राबलम भी साल्व हो सकेगा। यही मेरी माँग है।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, चीफ कंजरवेटर के दौरे के बारे में कुछ एतराज उठाया गया उस सिलसिले में मैं यह बतला दूं कि पिछले २० साल के अन्दर इतना प्लानटेशन कभी नहीं हुआ जितना कि इस एक साल के अन्दर हुआ है। इसी साल झांसी में चन्दन के पेड़ों का पता लगा और उसके ऊपर काफी रुपया खर्च हुआ। जिला टेहरी जहां के दौरे के विषय पर आपत्ति उठाई गई है वहाँ पर रेजिन का खासतौर से प्रिलिमिनरी सर्वे कर लिया गया है। चीज कंजरवेटर स्वयं वहाँ पर गये थे और वहाँ पर जाकर देखा कि किस तरह इसको ठीक ढंग से और अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है और इस उद्योग का डेवलपमेंट हो सकता है। वहाँ पर का कार्य अब स्वयं वनविभाग के ही द्वारा किया जाने लगा है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये यह गौरव की बात है कि पहले पहल हमारे इस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े हेड इस तरह से दौरा करने लगे हैं और अब प्लान्टेशन्स को बढ़ाने में सब ही जंगलों में इस तरह से लगे हुये हैं कि दौरा करके उनकी देख भाल करना जरूरी हो गया है जो खर्चा आपने यहाँ पर देखा है वह आकस्मिक तौर पर आया है। पहले रेलवे स्लीपर्स की इतनी माँग नहीं आयी थी। उसके बाद ज्यादा माँग आने पर वहाँ टेहरी के वनों को देखने के लिये जाना पड़ा और आगे के लिये नये प्लान्टेशन के लिये काम कराने का इन्तजाम कराना भी भी जरूरी था। मूल बजट में इस प्रकार के खर्चों को पहले ही आँका नहीं जा सकता जिसे कि उसमें प्रस्तुत किया जा सके इसलिये यह सब सप्लीमेंट्री बजट के अन्दर रखे गये हैं। मूल बजट पास होने के बाद बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें आ जाती हैं जिनका करना जरूरी हो जाता है। यह खर्च सरकार की आमदनी को बढ़ाने का भी प्रयत्न है पिछले साल कुल १,९० हजार मन लीसा निकाला था परन्तु इस साल २,७० हजार मन लीसा निकलने का अन्दाज है पिछले साल गर्मियों के मौसम में अंदाजे से बहुत ज्यादा लीसा निकला कारण कि गरमी अधिक पड़ी इसलिये लीसे की अनुमान से बढ़ी हुई मात्रा को इकट्ठा कराने में खर्च बहुत बढ़ गया। क्या उस लीसे को यों ही बरबाद होने दिया जाता? आपकी जो यह आलोचना है वह डेवलपमेंट के हक़ में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम यह चाहते हैं कि इस काम में काफी लोग लग जायं। अल-मोड़ा जिले में लीसा और रेजिन के काम से करीब ३ लाख रुपया प्रति वर्ष गरीब मजदूरों को मिल जाता है। हम इसको टेहरी में भी करना और बहुत बढ़ाना चाहते हैं। अभी वहाँ पर लोगों को यह मालूम नहीं है कि लीसा निकालने के लिये कितना गहरा घाव होना चाहिये

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जिससे पेड़ भी खराब न हो और लीसा भी ठीक मात्रा में निकलें। हमने कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा इस कार्य को लिये जाने के लिये भी कहा है जिसे कि गांव वाले उस कार्य को करें और लाभ उठावें। हम सब लोगों को ही यह काम देना चाहते हैं जो सोसाइटी हैं उनके द्वारा इस काम को कराना चाहते हैं। किसी एक आदमी को यह काम नहीं देना चाहते क्योंकि फिर वही व्यक्तिगत ठेकेदारी होकर यह शोषण का तरीका बन जायगी। इसलिये जो भावना आपकी है उससे अधिक सरकार की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इसका लाभ पहुंचे। टेहरी गढ़वाल में गवर्नमेंट की तरफ से इस काम को शुरू किया गया है।

आपने डिमार्केशन के विषय पर जो बात कही उसके लिये सरकार ने पहले ही यह आदेश दिये हैं कि जहां पर आबादी के बहुत ही नजदीक सरकारी जंगलों के मुनारे पड़ते हों वहां पर उनको ठीक कर दें और १५० फिट की दूरी पर दूसरी बनवा दें जिससे किसानों के लिये कोई कष्ट न हो। रेवन्यू अफसर की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको किसानों से कुछ लेना नहीं है उनको लाभ पहुंचाना है और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना है किसानों की जमीन लेनी नहीं है बल्कि जहां जरूरत होगी, सरकारी जंगल की ही भूमि किसानों के हक़ में छोड़नी है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आप यह बात अनुभव के आधार पर नहीं कह रहे थे। अगर हमारा कोई अफसर वहां पर उन्नति का काम बढ़ाने की गर्ज से देखने जाता है तो आप कहते हैं कि टी०ए० खर्च कर दिया और अगर नहीं जाता है तो कहा जाता है कि यह अफसर क्या कर रहे हैं। देख भाल कुछ नहीं करते। इसलिये मैं समझता हूं कि अफसरों को अधिक से अधिक दौरा करना चाहिय जैसा कि पहले उपाध्याय जी ने कहा कि (कम्युनिकेशंस) सड़कों के जाल को बढ़ाना चाहिये जिससे ज्यादा माल सहूलियत और कम खर्चे पर निकाला जा सके उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं और इसी तरह के सुझाव रखने चाहिए न कि बेकार की आलोचना। हमारे देश की और विशेषकर पहाड़ी इलाकों की उन्नति बन की उन्नति पर निर्भर करती है। मुझे आशा है कि इस विभाग को सदन की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त होगी।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---अध्यक्ष महोदय, जहां तक नेगी जी ने मेरी बातों का जवाब दिया है मेरा मतलब यह नहीं था कि डेवलपमेंट न हो। मेरे कहने का मतलब यह था कि चीफ कंजरवेटर का जो दौरा होता है वह अपने विभाग के कार्य के लिये अगर होता है तो ठीक है लेकिन कभी कभी उनको मंत्रियों के पीछे व्यर्थ जाना पड़ता है इसी वास्ते थोड़ी सी टीका-टिप्पणी हो गयी। मेरा मतलब यह नहीं कि दौरा न किया जाय। लीसा निकालने के सिलसिले में मैंने कहा था कि वहां पर इस प्रकार के लोग हैं जो लीसा निकालना तथा पड़ छीलना जानते हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा है डिमार्केशन के सिलसिल में जो कुछ मैंने कहा था उसका सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप पूरी जानकारी करके इसे बतावें। मैंने सुनी हुयी बात कही लेकिन लोग सही बात कहते हैं। आपके कर्मचारियों को भी जानकारी रखनी चाहिये। जंगलात के डिमार्केशन पर वहां की जनता की जिन्दगी है। अगर इसके सरकार कुछ नहीं करती है तो जनता के बिगड़ने में सन्देह नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पहलू पर भी सरकार ध्यान दे।

श्री गोविंदवल्लभ पंन्त---समय है या नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे डिप्टी मिनिस्टर नेगी जी ने और चीफ कंजरवेटर ने जंगलात में जितना इस साल विकास का काम किया है वह सराहनीय है। ८ लाख रुपये का फायदा जो टिहरी को मिल रहा है उसके लिये उन्हें कृतज्ञ होना चाहिये कि उनको इतना रुपया मिल रहा है जो पहले उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। अपनी उलझनों के कारण बड़ी बातों को न देखना यह कोई फायदेमन्द बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५ लेखा शीर्षक १०-वन के अन्तर्गत १४,२६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-जेल-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १४,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जो थोड़ा सा समय इस मांग के लिये है उसका पूरा उपयोग हो सके इसलिये मैं शुरू में दो एक बातें बतला देना चाहता हूं। कल जब सामान्य वादविवाद हो रहा था तो माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी ने स्मृतिपत्र के आधार पर यह कहा था कि कैदियों की संख्या बढ़ी है और उससे अनुमान होता है कि जुर्म बढ़ा है। जुर्म पर विचार करना तो पुलिस के बजट में आवेगा परन्तु यह ठीक है कि कैदियों की संख्या बढ़ी और उनके खाने और पहनने में ज्यादातर खर्चा हुआ। उनकी संख्या बढ़ने के २,३ मुख्य कारण हैं। कुछ तो छोटे कारण हैं। विद्यार्थियों का आंदोलन चला और कई सौ आदमी पकड़े गये। इसी तरह अध्यापकों के मामले में भी बहुत से लोग पकड़े गये। उन सब पर खर्च हुआ और संख्या भी इनसे बढ़ी। फिर सब चीजों के दाम भी बढ़े। इस वजह से जो संख्या बजट बनाते समय ली गयी थी ३१ हजार की वह अब ३३ हजार होने से खर्चा बढ़ा है। लेकिन एक मुख्य कारण है जो इस नोट से नहीं मालूम होता है। हमारे यहां ५०० कैदी सौराष्ट्र से और ५०० दिल्ली से आये। राज्यों में ऐसा होता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली और सौराष्ट्र नये राज्य हैं और ठीक प्रबंध नहीं कर सकने की वजह से उन्होंने हमारे यहां कैदी भेजे और यह १००० की संख्या हमारे यहां बढ़ गयी। यह जरूर है कि यह खर्चा उन राज्यों से वसूल हो जायगा।

इन बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि यह सदन इस राय पर पहुंचेगा कि जो अनुदान मैंने पेश किया वह अनुचित नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के लिये जेल की आवश्यकता में किसी को भी विवाद नहीं हो सकता और उसके लिये मांग से इंकार करने की भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो सकती किन्तु उसकी उपयुक्तता पर वादविवाद हो सकता है और उसके बारे में विभिन्न विचार भी हो सकते हैं। जेलों के सम्बन्ध में अभी सदन के सामने बयान देते हुए मंत्री जी ने कहा कि विद्यार्थी आंदोलन और अध्यापक आंदोलनों के सम्बन्ध में जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा बढ़ गयी है। मैं गृहमंत्री जी का ध्यान जिला देवरिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर न विद्यार्थी आंदोलन है और न अध्यापक आंदोलन लेकिन वहां पर जेलों में रहने वालों की संख्या जब कि अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में १५०,२०० और २५० रहा करती थी वह अब ६०० से ऊपर है जिसकी चर्चा अनुदान में है। अनुदान में उसके लिये १४,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गयी है जिसका कारण केवल कैदियों की संख्या में वृद्धि बताया गया है। इस अनुदान में कैदियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उनके भोजन व्यय के लिये अधिकतर धन मांगा गया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान कैदियों की संख्या में वृद्धि के कारणों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी उन पर विचार करें और विचार करने के बाद कोई उपयोगी कदम उठायें। कैदियों

[श्री रामेश्वरलाल]

की संख्या में वृद्धि का कारण १०७,११७ और १०९ के मुकद्दमें हैं। पुलिस के सिपाही और थानेदार लोग अपना चालचलन अफसरों की निगाहों में अच्छा साबित करने के लिये लोगों को इन दफाओं में फांस लेते हैं और हवालात में बन्द कर देते हैं। इन दफाओं में जो आदमी गिरफ्तार किया जाता है उसको तुरन्त जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है। जब उसकी जमानत की दरख्वास्त आती है तो थानेदार और कोर्ट इंसपेक्टर को काफी रकम कमाने का अवसर मिलता है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। वहां नाबदान है और गंदी नालियों के सम्बन्ध में ४–५ आदमी देवरिया कोतवाली में बंद किये गये और जमानत न मिलने के कारण वे महीनों हवालात में पड़े रहे। इसलिये हवालात में कैदियों को रखने की ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो उन पर शासन करते हैं। अगर वे लोग ध्यान दें तो उसमें काफी कमी हो सकती है। इसके बारे में छानबीन भी की जा सकती है और उसका इलाज भी ढूंढ़ा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री लोगों ने अपनी पुरानी परिपाटी को भी छोड़ दिया है। उनको मौके बेमौके जनता की सच्ची हालत को देखने के लिये खुफिया तौर पर जाना चाहिये। पिछला जो मंत्रिमंडल बना था उसमें श्री रफी अहमद किदवई और बिहार के आबकारी मंत्री ने मौके ब मौके सी०आई० डी० के तरीके से जांच की थी। लेकिन आजकल के मंत्री अपने आपको इस काम के करने में असमर्थ पाते हैं। बहुत सी घटनायें घटती हैं, पुलिस अत्याचार करती है लेकिन मंत्री लोग स्वयं घटनास्थल पर जाकर उसकी जांच नहीं करते। उनकी जानकारी थोनेदार सुपरिन्टेन्डेन्ट और कलेक्टर के द्वारा होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके पर उसमें इन्वोल्व्ड या इन्टरेस्टेड होते हैं।

देवरिया की हवालात के सम्बन्ध में एक चीज और मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। मुझे सन् १९४२ का जमाना याद है जब इसी सदन के माननीय सदस्य श्री सीताराम शुक्ल की अध्यक्षता में गोरखपुर जिले के चौरीचौरा स्थान में एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी ने देवरिया के हवालातियों की चर्चा की थी। वहां के कैदियों के साथ जैसा बर्बर व्यवहार किया जाता था उसकी चर्चा की थी और उसके कारण श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी को ३ महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी। देवरिया हवालात में करीब दो सौ कैदियों के रहने की जगह है तथा कसेया हवालात में डेढ़ सौ कैदियों के रहने की जगह है। देवरिया में १५ कमरे तथा कसेया में ९ कमरे हैं लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि इन कमरों में चार पांच सौ कैदियों को बर्बरता से भर दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिये कि इन चार, पांच सौ कैदियों के पाखाना जाने के लिये कुल १५ खुड्डियां हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि इतने कैदी आध घंटे के अन्दर डंडे के जोर से कैसे पाखाना पेशाब के लिये जा सकते हैं। लेकिन इस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि इस सरकार के युग में मुझे भी तीन बार जेल जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि वहां एक कैदी दूसरे के साथ बैठकर तथा पशुओं की तरह से खड़े होकर एक ही नाली में पाखाना पेशाब तथा टट्टी करते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इधर अवश्य ध्यान दें।

इस सम्बन्ध में मैंने देवरिया के जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा कि मुझे देवरिया जेल को देखने का मौका दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस इलाके के एम० एल० ए० होने की हैसियत से मुझको अधिकार है कि मैं वहां के जेल का निरीक्षण कर सकता हूं लेकिन अफसोस है कि देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आज तक मुझे उस जेल को देखने का मौका नहीं दिया। मुझे याद है कि कल जब श्री झारखंडे राय जी ने राजनीतिक कैदियों के लिये ए श्रेणी की बात उठायी तो हमारे माल मंत्री श्री हुकुम सिंह जी ने मजाक के बीच जवाब दिया कि जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी के मुताबिक क्लास मिलता है। अपने दौराने तकरीर

में उन्होंने यह भी कहा कि वायलेंस करके जो जेल में जाता है उसके लिये क्लास, श्रेणी का सवाल ही नहीं उठता। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ब्रिटिश हुकूमत में आप क्या कर रहे थे? विदेशी कपड़ों का गठ्ठर लेकर पर आप सर देकर सत्याग्रह करते थे कि विदेशी कपड़े नहीं बिकने देंगे। तो अगर वह चीज जायज थी तो फिर अगर हम आज किसानों से कहें, उनको समझावें कि तुम अपना गन्ना पूंजीपतियों को एक रुपये ५ आने या कहीं कहीं ७ आने पर न दो तो इसमें क्या नाजायज बात है अगर अहिंसात्मक तरीके से कोई सत्याग्रह करता है तो फिर जो ट्रीटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कैदियों के साथ करती थी वही ट्रीटमेंट आपको भी इन कैदियों के साथ करना चाहिये।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा तो नहीं कहना है। सिर्फ एक बात इस कटौती प्रस्ताव के ऊपर कहना है। जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामेश्वर लाल जी ने इस सदन के सामने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खास कर टीचरों के मुताल्लिक जो इसमें दिया हुआ है कि टीचर्स की यहां जरूरत है। तो जहां तक जेलों का सम्बन्ध है यह ठीक है कि वे रखे जायं लेकिन जो क्रीमिनल्स हैं उनकी इतनी धृष्टता बढ़ गयी है कि उसे देख कर हर आदमी जो वहां पहुंचता है उसका सर नीचे गिर जाता है। जहां तक टीचर्स के रखने का सम्बन्ध है या यह तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो पढ़े लिखे वहां जाते हैं, चाहे वे विद्यार्थी हों या कोई भी हों, अगर उनसे भी टीचर का काम लिया जाय तो यह बड़ा सुन्दर होगा। साथ ही साथ इन अपराधियों को अगर धार्मिक शिक्षा दी जाय तो इससे अच्छाई यह होगी कि उनके दिमाग में परिवर्तन होगा और जब वे जेल से निकलेंगे तो उसी क्राइम को बुरा समझेंगे और उसे फिर दोहराने की धृष्टता नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, इस कटौती पर बोलते [illegible] जी ने जिन बातों को कहा है उनमें से कई तो ऐसी हैं जिनको कि [illegible] आना चाहिये था और यदि मैं विस्तार से उनके सम्बन्ध में कुछ [illegible] तो इस सदन का बहुत सा वक्त चला जायेगा। दो एक बातें बहुत सीधी सी हैं। उनको एक शिकायत यह थी कि वह देवरिया के लाफ अप को देखना चाहते थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनको इजाजत नहीं दी। लेकिन उनको तो यह मालूम होगा कि इस प्रदेश में गृह मंत्री नाम का एक व्यक्ति रहता है और जेल विभाग उसके मातहत है। फिर जैसे उन्होंने कई बार उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खत लिखा उन्होंने अगर तकलीफ करके तीन पैसे का पोस्टकार्ड डाल दिया होता गृह मंत्री के पास तो ज्यादा आसानी होती और इस वक्त इस बात की सुविधा होती कि क्यों उनको इजाजत नहीं मिली इसका पता लग सकता। उन्होंने यह फरमाया कि अंग्रेजी जमाने में देवरिया लाफअप में दो तीन सौ से ज्यादा कैदी नहीं होते थे लेकिन अब ६ सौ रहते हैं। अब ६ सौ रहते हैं या नहीं रहते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन फिगर्स जो देवरिया के हैं ६६ सौ और ९०३० के बीच में है और ३० से भाग देने पर २२० और ३०१ आता है यानी २२० से लेकर ३०१ के बीच में फिगर रही है रोज की। तो जिस अंग्रेजी जमाने से उनको बहुत प्रेम है उससे मिलते जुलते ही यह फिगर्स हैं और फिर ६ सौ कैदियों के खाने पीने का प्रबन्ध उन्होंने किया हो तो किया हो लेकिन हमने तो ३०१ कैदियों के भोजन पानी का प्रबन्ध किया है और उन्हीं के लिये यह खर्च की मांग है।

यह बात बहुत सही है कि क्राइम के काम की देखभाल करनी चाहिये। यह पुलिस की भी और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है लेकिन इसके साथ ही हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, इस सदन के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। माननीय रामेश्वरलाल की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई सदन का सदस्य कोई ऐसा काम करके बैठता है जो क्राइम की परिभाषा में आता हो तो क्या किया जाय? मसलन वह किसी ऐसे नाटक में पार्ट लेता है जिससे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मजबूरन एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उनको खुद सोचना चाहिये कि उनकी जिम्मेदारी कहां तक क्राइम के बारे में है ।

कमला सिंह जी ने यह कहा था कि पढ़े लिखे जो हवालाती हों उनसे टीचर्स का काम लिया जाय । बात ठीक है । जितना अधिक उन्हीं लोगों से काम हो सके उतना ही अच्छा लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग यह करते हैं जूनियर मिडिल क्लास तक के जो कैदी होते हैं उनसे हम टीचर्स का काम लेते हैं लेकिन दिक्कत यह होती है कि हवालातियों का यह निश्चित नहीं रहता कि कब उनका मुकद्दमा हो जाय और फिर उसके बाद क्या हो । फिर भी यह सुझाव अच्छा है और कुछ काम में आ सके तो ठीक है ।

कुछ धार्मिक शिक्षा के सिलसिले में बात कही गयी कि कैदियों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिये । बात ठीक भी है और सिद्धांतः हम इसको स्वीकार भी करते हैं जो लोग इस तरह की धार्मिक शिक्षा देते हैं उनकी स्थायी नियुक्ति हम कर नहीं सकते और उसका एकमात्र कारण है रुपये की कमी । अगर कहीं से रुपये का प्रबंध हो सके तो उसके लिये भी सोचा जाना चाहिये । इसके साथ ही जो लोग धार्मिक शिक्षा देने जाते हैं उनके लिये किराये की व्यवस्था तो करनी ही होगी । यह तो ज्यादती होगी कि जो धार्मिक शिक्षा देने जायं उनसे कहें कि किराया भी अपने पास से देकर आइये । जो वालेन्टरी तरीके से करना चाहें उनके लिये तो धन्यवाद है ही लेकिन जो न भी करना चाहें उनको भी बुलाकर ऐसी शिक्षा दिलाने का प्रबंध हो सकता है अगर पैसा हो ।

इन शब्दों के साथ जो यह कटौती का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में इतनी बात कह दी है । मैं आशा करता हूं कि अब इसको वापिस ले लिया जायगा और अगर वापिस न लिया जाय तो मैं इसको विरोध करता हूं ।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, बड़ी अच्छी प्रेरणा से अपनी बात सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी के सामने रखी थी । मेरा कटु आलोचना करने का तात्पर्य नहीं था लेकिन माननीय मंत्री जी कटु आलोचना की तरफ आ गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नाटक की चर्चा हुई है कि मैंने किसी नाटक में भाग लिया था और उसी नाटक के फलस्वरूप एक व्यक्ति की हत्या हुई । इसकी चर्चा यहां हो चुकी है और सदन में कितनी ही बार कहा जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को नाटक देखने का शौक हुआ करता है और कुछ लोगों को नाटक में भाग लेने का शौक हुआ करता है । किसी देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिये नाटक एक प्रमुख अंग हुआ करता है । मैंने देखा है कि स्वयं गृहमंत्री जी जब कलाकार पृथ्वीराज "गद्दार" नाम का नाटक यहां के एक सिनेमागृह में खेल रहे थे देखने गये हुये थे और वे १० रुपये के टिकट में सबसे आगे बैठे हुये थे और उनके ठीक पीछे मैं भी बैठा हुआ था । किसी को देखने का शौक होता है और किसी को भाग लेने का शौक होता है और यह प्रमाणतः सिद्ध भी हो गया कि नाटक देखना, उसमें भाग लेना या उसे करना कोई गुनाह नहीं है । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नाटक की उन्होंने चर्चा की है उसे शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है । अगर नहीं पढ़ा है तो मुझसे लेकर पढ़ लें कि कहां इसमें कत्ल की चर्चा की गई है । अगर मेरे यहां कांग्रेस किसी व्यक्ति से चुनाव में हार जाती है तो उसे पकड़ कर जेल में ठूंसने के लिये और उस पर झूठे लांछन लगाने के लिये अगर कोई छोटा आफिसर कार्यवाही करे तो कोई बात भी हो सकती है लेकिन अगर माननीय मंत्री जी बिना जानकारी प्राप्त किये हुये ऐसी बातें कह दें तो मुझे दुःख होता है । मैं ऐसे नाटकों को देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिये आवश्यक समझता हूं । इसलिये मैंने अपने जिले में एक ऐसा मंडल बनाया है जिसके द्वारा हम लोगों में ऐसे नाटकों का प्रदर्शन करके प्रेरणा देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नाटक की माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा की है देवरिया

जिले में सहूदा, रामकोला, और कसिया इन तमाम स्थानों पर खेला जा चुका है और उससे लोगों को प्रेरणा मिली है लेकिन इस तरह से बिना जानकारी प्राप्त किये हुये कोई बात कह देना उनके लिये उचित नहीं है। मुझे आपसे बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री, क्या आपको कुछ कहना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक : २८ जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १४,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९---शिक्षा-लेखा शीर्षक : ३६---वैज्ञानिक विभाग तथा ३७---शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जैसा कि दिया गया है, गवर्नमेंट डिग्री कालेज नैनीताल, गवर्नमेंट डिग्री कालेज ज्ञानपुर और टीचर्स के प्राविडेंट फंड के लिये यह अनुपूरक मांग की गई है।

श्री अध्यक्ष---अब मैं समय का नियंत्रण करना चाहता हूं क्योंकि १५, १५ मिनट का समय था लेकिन १९, १९ मिनट का औसत पड़ गया। अब ५ मिनट से ज्यादा समय न लिया जाय।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---मैं आपकी अनुमति से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं। कमी करने का उद्देश्य विवाद करना तथा सुझाव देना है। मैं समझता हूं कि मेरे विचारों में और शिक्षा मंत्री जी के विचारों में कोई बहुत अन्तर नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि आज कल शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। प्राइमरी स्कूल इत्यादि यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधीन कर दिये गये हैं उनमें मैं समझता हूं कि आपके जो डिप्टी इन्सपेक्टर या सब डिप्टी इंस्पेक्टर हैं उनका हाथ नहीं रह गया है और उस शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों का हाथ हो गया है जो कि शिक्षा के नाम से एक तरह से शून्य हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा का सीधा ताल्लुक शिक्षा विभाग से हो जाना चाहिये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि वह जो रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह को देते हैं, उसकी बड़ी छीछालेदर होती है और अध्यापकों को तीन-तीन, चार-चार महीने तक वेतन नहीं मिलता है। इसलिये मैं समझता हूं कि शिक्षा का सीधा सम्बन्ध शिक्षा मुहकमा से हो जाना चाहिये, तब ही ठीक रूप से काम चल सकता है।

मैं यह भी देखता हूं कि बहुत सी जगहों पर पक्षपात से काम लिया जाता है। किन्हीं कालेजेज को मान्यता दे दी जाती है कि तुम बी० ए० के क्लासेज चलाओ, और किन्हीं को नहीं दी जाती है और उसका कोई ठीक-ठीक कारण भी नहीं होता है। तो शिक्षा के अन्दर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं....

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है) माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री ग्रांट पर बोल रहे हैं या नीति की आलोचना कर रहे हैं?

श्री मलखान सिंह---आपके कालेजों की जो व्यवस्था चल रही है उस ही पर मैं बोल रहा हूं और अपने सुझाव दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मलखान सिंह---मैं यही कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में जितना पक्षपात है वह अगर जल्दी से जल्दी निकल जाय तो वह आप के लिये, देश के लिये और शिक्षा के लिये अच्छा है।

आजकल जो हम लोग यह कहते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं है उसका एक कारण यह भी है कि जो अध्यापक लोग हैं उनकी शुरू से तनख्वाह बहुत कम होती है और ठीक वक्त पर मिलती भी नहीं है। इसलिये उनको गांवों में छोटे छोटे लड़कों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि १५ तारीख को तुम सीधा ले आना और फलां तारीख को तुम ले आना। ऐसी दशा में अध्यापक किस तरह से डिसिप्लिन कायम रख सकते हैं? तो मेरा यह सुझाव है कि जो मदद आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देते हैं उसके बजाय शिक्षा का सारा भार आप शिक्षा के महकमे को दे दें, तब ही आप शिक्षा में कुछ सुधार कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री [illegible] बतुवेंदी (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान [illegible] की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण कालेज की शिक्षा का [illegible] गिर रहा है और प्रथम श्रेणी की जो संस्थाएं हैं। वह तीसरी श्रेणी की [illegible] चलने के लिये बाध्य की जा रही हैं। हमारे यहां सन् १९४८ में जो ग्रेड निश्चित हुये हैं वे सब इंस्टिट्यूशन्स के लिये समान रूप से लागू किये गये हैं। वे ग्रेड इस प्रकार हैं:

जूनियर टीचर्स यानी लेक्चरार्स २००---१५---३५०---२०---४५० रु०।
सीनियर टीचर्स---३००---२०---६०० रु० ।

यह ग्रेड्स समान रूप से जितने भी कालेज हैं उन सब में लागू किये गये हैं, चाहे वह दो वर्ष का कालेज हो, महज आर्ट्स की शिक्षा दे रहा हो, और वह चाहे वह सवा सौ वर्ष का कालेज हो जिसमें फर्स्ट क्लास लेबोरेट्रीज हों और अच्छी से अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही हो। इसका प्रमाण आपको इससे भी मिलेगा कि जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी नियुक्त हुई तो उसने आगरा कालेज को एक विशेष स्थान दिया था। आगरा कालेज इस प्रान्त की सब से पुरानी संस्थाओं में से है, एक संस्था है और सवा सौ वर्ष आज उसको बने हो चुके हैं। उसके टीचर्स बहुत ऊंचे ऊंचे कोटि के रहे हैं जिनकी ख्याति इस प्रान्त में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक में रही है। ऐसी संस्था के प्रोफेसर्स को हेड आफ दि साइंस डिपार्टमेंट को ३०० से ६०० रुपये तक तनख्वाह दी जाय, आप कल्पना कीजिये कि इससे उस संस्था का क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने दो कालेजेज खोले हैं, एक ज्ञानपुर में और दूसरा नैनीताल में जो कि अभी हाल ही में साल दो साल से खुले हैं जिनमें तनख्वाह है ५०० से १,२०० तक। इस बजट में १ लाख ३८ हजार की डिमांड उनकी लेबोरेटरीज इत्यादि के लिये की गई है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जैसी आज आगरा कालेज की लेबोरेटरीज हैं वैसी इन कालेजेज की लेबोरेटरीज दस वर्ष में भी नहीं हो सकतीं और जहां पर इतना

अच्छा सामान होते हुये भी गवर्नमेंट की नीति से अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति में जो बाधा पड़ती है उसको मैं कहूंगा कि यह राष्ट्रीय अहित हो रहा है। दूसरी ओर जहां अपरेट्स वगैरह पर कुछ भी नहीं है, जो कल के कालेजेज हैं, जहां के लड़कों की संख्या भी शायद १।४ होगी उन कालेजेज के लिये सरकार की थैली खुली हुई है और उनमें ५०० से १,२०० तक की तनख्वाह दी जाती है। एक और बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस नीति से तो यह होता है कि जो कोई अच्छा कालेज बनाना चाहे, अच्छा एंडाउमेंट देना चाहे उसकी कोई वकत नहीं। हमारे आगरा कालेज में लाखों रुपये का एंडाउमेंट है जिससे २८ हजार रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी है लेकिन वह गवर्नमेंट ग्रांट में एबसार्ब हो जाती है और हमको मजबूर किया जाता है कि हम उसी नीचे स्तर पर उतर आयें जिस पर कि आज के अशरफ कालेजेज हैं। मैनेजमेंट कमेटी को कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वह जिन क्षेत्रों में रुपया खर्च करना चाहे करे। बहुत जद्दो-जहद के बाद अबकी हमने ३ हजार की अतिरिक्त ग्रांट ली। लेकिन यह एक कालेज का सवाल नहीं है। सवाल नीति का है। क्या हम सबको एक ही स्तर पर लाना चाहते हैं? और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो नीचों को ऊंचे उठाना चाहते हैं या ऊंचों को नीचे लाना चाहते हैं। जो सरकार की आज नीति है उससे तो यही मालूम होता है कि वह सबको नीचे ही गिराना चाहती है। तो मैं इस तरफ़ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करे और एक निश्चित एंडाउमेंट वह हर कालेज के लिये नियत कर दे और उस एंडाउमेंट से जितनी अधिक आमदनी होती है वह मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर छोड़ दे जिसे चाहे वह प्रोफेसरों की तनख्वाह में या और तरीके से कालेज की तरक्की में लगाना चाहे लगाये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रान्त की शिक्षा के लिये बहुत अहितकर होगा। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दे।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला-टेहरी गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरक अनुदान को लाकर दो तीन बातों की पूर्ति की गई है। सबसे प्रथम ज्ञानपुर कालेज के लिये १,४३,००० रुपये की मांग की गई है। इसके पश्चात् ४०,००० रुपये की मांग नैनीताल डिग्री कालेज के लिये की गई है। इसके पश्चात प्राइमरी स्कूल्स जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हैं उनके टीचर्स के प्राविडेंट फंड के लिये है जो कि क़ानूनन उनको देना लाजिमी है और इसके अलावा जो संस्कृत के अध्यापक हैं उनके वेतन क्रम में थोड़ी सी वृद्धि की गई है। यों तो मुझे ऐसे अनुदानों को दिलाये जाने में कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे अनुदान जो कि आप मूल बजट में से सेविंग करके देना चाहते हैं उनको दिलाने की नीति कौन सी है? मैं इत्तफाक करता इस बात से कि अगर ज्ञानपुर कालेज के लिये इन सब बातों की जरूरत है तो उनको दिया जाना चाहिये। टीचर्स को प्राविडेंट फंड देना जरूरी है तो दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसे आइटम्स जो कि मेजर आइटम्स हैं ऐसे प्राविजन्स को मूल बजट में ही आने की आवश्यकता होती है। आम तौर पर शिक्षा विभाग में ज्यादा बचत करना कोई अच्छी बात नहीं है ताहम अगर बचत हो ही जाती है तो वह किन बातों पर खर्च की जाय इसके बारे में मैं नहीं समझ पाया। ज्ञानपुर कालेज के बारे में सरकार ने लिखा है कि भूल से यह आईटम मूल बजट में आने से छूट गया है। अगर ऐसी भूलें सरकार से हो जाया करती हैं तो बहुत आश्चर्य की बात है। मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि अगर ऐसी बचत कोई हो जाती है तो उन आइटम्स पर वह खर्च हो जाना चाहिये जो कि अनफोर्सीन हों या जिनके लिये बजट में व्यवस्था न हो सकी हो, न हो सकती हो और न आइन्दा के लिये गुंजायश हो। मेरा कहना यह है कि ऐसी बचत जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कुछ स्कूल दे दिये गये हैं, उनकी हालत बहुत कमजोर है, उनको दी जानी वाजिब है

[श्री सत्यसिंह राणा]

ऐसे अनुदानों से उनकी पूर्ति होना संभव हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी पूर्ति ऐसे अनुदानों की होनी चाहिये जो भवन निर्माण से संबंधित हैं। आजकल राज्य भर में स्कूल के भवन अधूरे पड़े हुये हैं और जिनकी पूर्ति हो गई है उनकी मरम्मत नहीं हो रही है जिससे उनके गिरने की आशंका है। सरकार से हम आशा करते हैं कि सरकार उनके निर्माण के लिए भी ऐसी बचत का उपयोग करे।

इसके बाद मैं अर्ज करूँगा कि जहां पर जनता ने स्कूलों के भवन बनाये हैं वहां उनकी मरम्मत के लिये कोई साधन नहीं है। दूसरी तरफ मैं टेहरी गढ़वाल को मिसाल लूंगा। उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जितने वहां पर मकान बने हुये हैं और जितने विलीनीकरण के बाद उससे ज्यादा एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। लेकिन हमारी तत्कालीन सरकार ने स्कूल के भवनों के लिये ८,००० रुपये तक की ग्रांट मंजूर की थी। जनता ने २०-२५ हजार रुपये खर्च करके स्कूल के लिये भवन बनवाये और ८ हजार रुपये के ठेके ठेकेदारों को दे दिये। टेहरी के विलीनीकरण के समय और बाद कई मर्तबा मिलने पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह रकम आज मंजूर हुई, कल मंजूर हुई। डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार से जोरदार मांग की है। अन्त में उन्होंने बतलाया कि ऐसी मांगें सेविंग्स से दी जा सकती हैं लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई जिक्र इस प्रकार बजट में नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बतलाये कि कितनी सेविंग हुई है। सिर्फ १३ लाख रुपये के खर्चों की मांग की गयी है। अगर फिर भी सेविंग है तो सरकार इस ८ हजार रुपये प्रति स्कूल की मांग को मंजूर करने की कृपा करे। यह धनराशि कुल दो ढाई लाख तक की है।

अब मैं कुछ संस्कृत के सम्बन्ध में संस्कृत स्कूलों के लिये कहना चाहता हूं कि विलीनीकरण के पश्चात् हालत और भी गिर गई है। संस्कृत पाठशालाओं में शास्त्रियों को जिनको जूनियर हाई स्कूल्स में तब्दील कर दिया है वह बिचार इस ग्रेड से भी रह गये। और उधर स्कूल भी स्वयं बन्द हो गए। हमारे मित्र श्री मलखान सिंह जी ने कहा कि सरकार प्राइमरी स्कूलों को अपने हाथ में ले ले। हमारे यहां यह स्कूल्स सरकार के हाथ में हैं ही। लेकिन उनको कोई भी ऐडवांटेज नहीं है। वह न तो ऐबजार्व हो हुए हैं और न उनको डी० ए० ही मिलता है। ऐजूकेशन डिपार्टमेंट की हालत हमारे यहां बहुत ज्यादा खराब है। मैं अर्ज करूंगा कि इस दिशा में पूरी तरह देखने की कोशिश होनी चाहिये। मूल बजट में मैं इस सम्बन्ध में और अर्ज करूंगा।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् जी जो कटौती का प्रस्ताव श्री मलखान सिंह जी ने पेश किया है उस सम्बन्ध में उनकी राय यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर न रख कर सरकार के अन्तर्गत ले आना चाहिये। दुनिया में यह प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। प्रारम्भिक शिक्षा हमेशा लोकल बोर्ड्स के अधीन हर एक देश में प्रायः है। इस कारण यह कभी भी सरकार के लिये सम्भव नहीं होगा कि वह प्रायमरी शिक्षा को अपने अधीन कर ले। गाँव वालों को प्रोत्साहित किया जाय कि वह प्रायमरी शिक्षा के लिये अपने यहाँ भवन बनायें यह सब वह लोग कर सकते हैं और यदि सरकार अपने हाथ में प्रारम्भिक शिक्षा को ले ले तो फिर गाँव वालों से सहायता प्राप्त करने का कार्य शायद इतना आसान नहीं रह जायगा। तो इस कारण प्रारम्भिक शिक्षा कभी सरकार अपने हाथ में लेने का विचार नहीं रखती।

आपने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में पक्षपात है। मैं समझ नहीं पाया और मैं उनको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वह यदि कोई ऐसा उदाहरण हमारे समक्ष रखें कि जिसमें किसी के साथ पक्षपात हुआ है तो मैं उन्हें विश्वास

दिलाता हूं कि वह ठीक कर दिया जायगा। मैं कहता तो यह हूं कि इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ा डिपार्टमेंट है। हो सकता है कि दूसरा पक्ष न जानने के कारण माननीय मलखान सिंह जी को यह गलतफहमी हो कि किसी के साथ कोई पक्षपात किया गया है, लेकिन यदि वह चाहेंगे तो दूसरा पक्ष भी उनके सामने रखा जा सकता है और मुझे इस बात का विश्वास है कि दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद वह स्वयं यह समझेंगे कि जो निर्णय किसी चीज पर हुआ है वह पक्षपात रहित है।

चतुर्वेदी जी ने डिग्री कालिजेज जो आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर हैं, उसमें जो वेतन-क्रम हैं उसके बारे में यह कहा और उनके कहने का आशय यह था कि प्रत्येक कालेज में वेतन क्रम जो निश्चित हो वह इस आधार पर हो कि वह कालिज कितना पुराना है। यह आधार वेतन-क्रम को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई कालिज बहुत पुराना है तो वहाँ के शिक्षकों का वेतन क्रम उन कालिजों से अपेक्षाकृत अधिक हो जो अभी थोड़े दिन हुए कायम हुए हैं। यह कोई आधार की बात नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिये। अगर एक शिक्षा दी जाती है और सभी कालिजेज में वही शिक्षा दी जाती है तो इस युग में, जब सभी समानता चाहते हैं, यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक कालिज के लिए वेतन क्रम पृथक-पृथक रहे।

उस सम्बन्ध में उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि गवर्नमेंट डिग्री कालिजेज जो हैं दो, यों तो गवर्नमेंट के पास तीन डिग्री कालिज हैं, एक नैनीताल में, एक ज्ञानपुर में और तीसरा रामपुर में, लेकिन उन तीनों कालिजेज में रामपुर में चूंकि वह पहले रियासत का कालेज था और रियासत के विलीन होने के बाद वह सरकार के अन्दर आ गया तो वहाँ जो वेतन-क्रम चल रहा था वही चल रहा है। डिग्री कालिजेज जो ज्ञानपुर और नैनीताल में खोले गये, निस्संदेह उनका वेतन-क्रम अधिक है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है कि उन डिग्री कालिजेज को एक कारण से खोला गया था। एक तो महाराजा बनारस और दूसरे बिष्ट साहब नैनीताल के, उन्होंने एक धनराशि दी। तो जो बनारस के राज्य का विलीनीकरण हुआ था उसमें एक शर्त थी कि एक कालिज वहाँ खोला जायगा, उसके लिए उन्होंने धन भी दिया था। उसी तरह से नैनीताल के एक धनी-मानी सज्जन ने भी उसके लिए धन दिया। यह प्रश्न जरूर था कि उसमें वेतन-क्रम क्या रखा जाय, लेकिन चूंकि ऐसा समझा गया कि इन कालिजेज का स्तर विश्वविद्यालयों के बराबर रखा जाय, इसलिए उसमें वेतन-क्रम भी अधिक रखा गया है। लेकिन उससे यह कहना कि आगरा यूनिवर्सिटी के सब कालिजेज का वेतन क्रम भी उसी आधार पर, उतना ही हो जाय, वह तो एक बात हो सकती है, लेकिन यह कहना कि आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जितने कालिजेज हैं उनमें सबका, प्रत्येक का वेतन-क्रम उनकी अवस्था से निर्धारित हो, यह चीज मेरी समझ में गलत है।

टेहरी की बात माननीय सदस्य ने की। इसमें सन्देह नहीं कि, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, गाँव वालों ने काफी भवन बना रखे हैं और शायद उस समय की सरकार ने, इस सरकार ने नहीं, टेहरी की जो एक सरकार थी उसने यह वादा किया था कि ८ हजार रुपया फी प्राइमरी स्कूल के भवन के लिए वह देगी। वह कहाँ तक इस सरकार के लिए मान्य है यह भी एक विवाद की बात है लेकिन यह बात तो अवश्य है कि गाँवों की जनता ने उत्साह-पूर्वक भवन निर्माण किये हैं और उनकी सहायता होनी चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और उसका प्रयत्न भी किया जा रहा है। लेकिन यह कहना कि यह ८ हजार या १२ हजार की फी प्राइमरी स्कूल को अनुदान के रूप में सहायता दी जाय यह शायद सम्भव न हो सकेगा, कारण कि केवल टेहरी में ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा में भी, नैनीताल में भी और मैदान के जिलों में भी ग्राम के लोगों ने भवन बनाये हैं। यह दूसरी बात है कि पहाड़ पर भवन बनाने में जो अधिक व्यय हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जरा संक्षिप्त में लें लें, समय समाप्त हो चला है।

श्री हरगोविन्द सिंह--बहुत अच्छा। तो उस कारण उसको मैदान की अपेक्षाकृत अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए। लेकिन आठ हजार की अनुदान बहुत बड़ी है और उतना सम्भव न होगा। लेकिन इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उन गाँव वालों को जिन्होंने भवन स्कूलों के लिए बनाये हैं, सहायता दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मलखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है गवर्नमेंट कालेजेज जो अभी खोले गये उनमें उसके वेतन में और आगरा कालेज में जो कि इतना पुराना है या आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर जो और कालेजेज हैं उनके वेतन में फर्क है। तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे सामने सब से बड़ी दिक्कत है वह यह है कि आगरा कालेज इतना पुराना होते हुए भी इस कालेज को जो सुयोग्य प्रिंसिपल महोदय हैं इस वक्त वह अभी रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जगह हम नया प्रिंसिपल लाना चाहते हैं, उनका वेतन हम १२ सौ रुपया नहीं रख सकते और कल परसों जो कालेज खड़े हो गये, भले ही वह गवर्नमेंट के कालेज हों, लेकिन उनका खर्चा भी पब्लिक से ही आता है, उनमें और पब्लिक के कालेजों में अन्तर नहीं होना चाहिए, उनके प्रिंसिपल का वेतन १२ सौ रुपये है लेकिन हम इस पद के लिए १२ सौ रुपये वेतन रख कर विज्ञापित नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ यह भी कहना है कि प्राइवेट कालेज जो हैं और गवर्नमेंट के कालेजेज जो हैं उनमें अध्यापकों के जो वेतन क्रम हैं उनमें भी असमानता होना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों कालेजों में जो अध्यापक जिस योग्यता से रखे जाते हैं, उनकी योग्यता और उनके वेतन समान ही होने चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग तथा ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ११,९४,४०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

यह अनुपूरक मांग जो मैं इस भवन के सामने उपस्थित कर रहा हूं इसका अधिक संबंध माघ मेले से है। माननीय सदस्य यह अवश्य जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष इतना खर्चा इस माघ मेले में क्यों हुआ। सन् १९४२ में इलाहाबाद में कुम्भ हुआ था और फिर १९५४ में 'कुम्भ' हुआ। तो ४२ और ५४ के आँकड़ों में इतना अन्तर क्यों है इसके लिए मैं दोनों के आँकड़े सदन के सामने, उपस्थित करना चाहता हूं जिससे सदन स्वयं इस बात का निश्चय कर सकेगा।

मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के आँकड़ों को सदन के सामने रखूंगा। उससे सदन स्वयं अनुमान लगा सकेगा कि इस वर्ष खर्च क्यों ज्यादा हुआ। १९४२ में जो कुम्भ इलाहाबाद में हुआ था उसमें ४८ मेडिकल आफिसर्स रखे गये थे लेकिन इस वर्ष

८६ मेडिकल आफिसर्स रखे गये। १९४२ में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई नहीं था, इस वर्ष ९ थे। १९४२ में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ३२ थे, इस वर्ष १३० थे। १९४२ में नर्स एक भी नहीं थीं, इस वर्ष २८ नर्सें थीं। १९४२ में कम्पाउंडर्स २० थे, इस वर्ष ३५ थे। १९४२ में एपेडेमिक असिस्टेंट्स एक भी नहीं था और इस वर्ष ४६ थे। १९४२ में वैक्सीनेटर्स १४४ थे और इस वर्ष २१९ थे। १९४२ में सैनिटरी जमादार ३८ थे और इस वर्ष १०९ थे: १९४२ में वलार्क्स ४ थे और इस वर्ष ६ थे। १९४२ में राइटर्स कोई भी नहीं थे और इस वर्ष ५१६ थे। १९४२ में मेहतर २,५०८ थे और इस वर्ष ६,७६९ थे। १९४२ में वैद्य और हकीम कोई नहीं था और इस वर्ष ३०० थे। इन्होंने इनाकुलेटर्स का काम किया। १९४२ में दाइयाँ १७ थीं और इस वर्ष ४१। १९४२ में सुपरवाइजर्स बिल्कुल थे ही नहीं और इस वर्ष ४८ थे। १९४२ में इनफीरियर सर्वेन्ट्स ४५३ थे और इस वर्ष ८६६ थे।

इसी प्रकार से १९४२ में जो सरकारी अनुदान इलाहाबाद जिले के और शहर के अस्पतालों को दिया गया था उसकी रकम में भी बहुत बड़ा अन्तर है। १९४२ में ४ हजार रुपये का अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इलाहाबाद को सैनिटेशन के लिए दिया गया और इस वर्ष २८ हजार दिया गया। १९४२ में म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद को सैनिटरी प्रबन्ध के लिए और अस्पतालों के लिए २६ हजार रुपये दिये थे और इस वर्ष ७५ हजार। १९४२ में पब्लिक हेल्थ के इंस्पेक्शन पोस्ट्स थे वे १२ थे और इस वर्ष १५ थे। इस प्रकार और विभागों की आमदनी भी जो कार्य करने के लिये रखे गये थे उनकी संख्या में बहुत बड़ा अन्तर है।

जहाँ तक और इन्तजाम का ताल्लुक है उसमें भी ४२ से बहुत अन्तर है। पानी लाने के लिए १९४२ में ६२,२०० फीट पाइप लाइन डाली गयी थी और इस वर्ष १,३०,०००। इसी प्रकार से १९४२ में ३८४ एलेक्ट्रिक पोल्स लगाये गये और इस वर्ष १०५० पोल्स लगाये गये। पी० डब्ल्यू० डी० ने १९४२ में तीन पैन्टून ब्रिज बनाये थे और इस वर्ष ६ बनाये थे।

कहने का तात्पर्य यह है कि इस वर्ष जो इन्तजाम करना पड़ा वह पहले इन्तजाम से बहुत लम्बे पैमाने पर था, क्योंकि यह अनुमान लगाया जाता था कि इस वर्ष ऐसा कुम्भ करीब-करीब १०० वर्ष के बाद हो रहा है, इसलिए इसमें आने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी इसलिए सफाई इत्यादि का प्रबन्ध बहुत लम्बे-चौड़े पैमाने पर किया गया। इसलिए इतना व्यय सरकार को करना पड़ा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान में माघ के कुम्भ मेले के लिए जो ग्रांट मांगी जा रही है उसकी चर्चा की और करीब-करीब वही सब है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि १९४२ और ५४ के फीगर्स (आँकड़े) तो इस सदन में प्रस्तुत किये गये मगर श्रीमन् इसी बीच में १९४८ पड़ता है और इस १९४८ की चर्चा इस सदन में नहीं की जा रही है। श्रीमन् अगर १९४८ को देखा जाय तो वह अर्द्ध कुम्भ मेला था और १९४८ में वहाँ पर ३० लाख स्नानार्थी एकत्रित हुए थे। मुझे अफसोस है कि इसके बारे में मैंने जो पत्र आपको लिखा है वह शायद आपके पास नहीं पहुंचा है। माननीय गृह मंत्री जी ने बताया था कि १०, १२ लाख से ज्यादा आदमी कभी नहीं पहुंचे, वह अंश निकाल दिया जाय क्योंकि वह बुद्धि विभ्रम पैदा करेगा। बजट की कापी हमारे सामने प्रस्तुत है और सम्मानित सदस्य उसका २४ पेज खोल लें। १९४८ देखें तो ३० लाख की फीगर्स (आँकड़े) वहाँ पर हैं। तो श्रीमन्,

[श्री राजनारायण]

यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सन् ४८ में जब ३० लाख स्नानार्थी कुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद में एकत्रित हुए थे और उन ३० लाख स्नानार्थियों के लिए जो प्रबन्ध हुआ था--उस प्रबन्ध में और आज के प्रबन्ध में जिसमें निश्चित हो गया कि ४० लाख लोग गये कितना महान् अन्तर हुआ और जो इतना बड़ा अन्तर खर्च में हुआ वह कैसे हुआ ? थोड़े में श्रीमन्, आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में उसका चित्र उपस्थित करूंगा।

जिस मेले में ३० लाख स्नानार्थी थे वहाँ पर कैम्प लाइट्स ९०० की संख्या में थीं और जिस मेले में अनुमानतः ५० लाख थे जब कि निश्चय यही हुआ है कि ४० लाख थे वहाँ कैम्प लाइट्स २,२०० थीं। इतनी कैम्प लाइट्स की संख्या कैसे बढ़ गई और उसकी क्या आवश्यकता थी। ३० लाख और ४० लाख में जो डिफरेंस (अन्तर) था उसके अनुपात से थोड़ी सी कैम्प लाइट्स और बढ़ाई जातीं। श्रीमन्, पहले आँकड़े देने के बाद मैं इसके कारणों पर प्रकाश डालूंगा।

इसी तरह से बिजली के पोल्स को देखा जाय। जिस मेले में ३० लाख लोग एकत्रित हुए थे उसमें ३३१ बिजली के पोल थे और जिल मेले में ४० लाख लोग थे उसमें २०५० बिजली के पोल थे।

श्रीमन् अगर हमारे सदस्य पेज २१ को खोल कर देख लें तो इसके कारणों पर विचार करने में आसानी होगी। १९४२ के कुम्भ में जो वास्तविक व्यय था वह ४ लाख ९५ हजार ४३२ है। १९४८ के अर्द्ध कुम्भ का वास्तविक व्यय, जिसमें ३० लाख समुदाय एकत्रित हुआ था, १०,७२,६९१ रु० है। तो ३० लाख जन समुदाय का प्रबन्ध हो १०,७२,६९१ रु० में और ४० लाख जिसको उमड़ता हुआ जन-समुद्र कहा जाता है, अद्वितीय समुदाय कहा जाता है, उसमें ५ गुना खर्चा बढ़ने की क्या आवश्यकता थी ? इन आँकड़ों को जब सामने रख कर देखा जाता है तो जो पहला तखमीना था वह बिल्कुल सही था और उसी के मुताबिक खर्च होना चाहिये था। जिस तरह से १९४२ में ४ लाख ९५ हजार रुपया खर्च हुआ, १९४८ में १० लाख ७२ हजार खर्च हुआ उसी के अनुपात से जो तखमीना लगाया गया था वह १५ लाख एक हजार का था और तखमीना लगाने वालों ने सोचा था कि १५ लाख में सारा खर्चा समुचित रूप से हो जायगा और प्रबन्ध में कोई कठिनाई न होगी। मगर श्रीमन्, बाद में जिसकी इस सदन में बार-बार चर्चा हुई और जिस तरह से हम पर लाँछन लगाने का प्रयत्न किया गया कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिये हम ऐसी बातें कहते हैं--उस सिलसिले में मैं यही निवेदन करूंगा कि खर्चे में जो इतनी वृद्धि हुई उसमें वही राजनीतक लाभ उठाने की मनोवृत्ति झलक रही थी। जो वहाँ इतने कैम्प बने और इतने अफसर वहाँ पर भेजे गये। उसके बारे में श्रीमन्, बहुत डिटेल में जाने के लिये आप समय दे सकेंगे या नहीं, जितने समय की मुझे जरूरत होगी ? जितना समय आप देंगे मैं उसमें ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--समय ५, ७ मिनट का ही हो सकता है।

श्री राजनारायण-- यह आपको अधिकार है यदि आप चाहें तो दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--कुछ समय दिया जा सकता है लेकिन वह दूसरी बार कम हो जायगा।

श्री राजनारायण--जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। तो श्रीमन्, जरा १९४०, १९४८, और १९५४ के विषय में आप पेज २२ को देखने का कष्ट करें। चिकित्सा,

सफाई जिसमें दवाई टीका लगाने की योजना भी सम्मिलित है इसको सामने रखें। तो उस सम्मिलित योजना में ४ लाख ७५ हजार रुपया और फिर १७ लाख ८५ हजार हुआ। तो यह १३ लाख की वृद्धि क्यों हुई? इस वृद्धि के कारण पर माननीय मंत्री जी को समुचित प्रकाश डालना चाहिये कि आखिर यह १३ लाख की वृद्धि क्यों हुई? दवाई जो टीका लगाने के लिये आई थी उसपर कितना व्यय किया गया? टीका लगाने की दवाई का सदुपयोग हुआ कि नहीं और फिर कुछ दिन बाद उसको बन्द कर दिया गया। श्रीमन्, टीका लगाने के प्रबन्ध में कुछ पुलिस अफसरों का भी प्रबन्ध किया गया था जो उसकी देखरेख कर सकें। मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है जब टीका लगाने का आदेश वापस ले लिया गया तो करीब ५००, ६०० की तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ से हटा कर अपने स्थानों को स्थानतरित कर दिया गया। कोई आदमी टीका लगा कर आता है, या नहीं, इस बात की जाँच करने के लिये वह फोर्स वहाँ पर रखा गया था। जब उसकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं रह गयी थी तो सरकार के दिमाग में आया कि उनकी पोस्टिंग की वहाँ पर जरूरत नहीं है। उनको दूसरी जगह कर दिया गया। मगर मैं जानना चाहता हूं कि जब पहले टीका लगाने की व्यवस्था ३० लाख आदमियों के लिये की गयी थी तो वहाँ पर ४ लाख ७५ हजार व्यय हुआ होगा फिर बाद को जब ४० लाख की गैदरिंग होती है तो १७ लाख की व्यवस्था हो जाती है। इसमें जितना नुकसान टीका लगाने की दवाइयों का हुआ होगा उस इन्तजाम को एक मर्तबा एलान करके फिर उसको वापस करके अव्यवस्था हुई होगी। उससे हम समझते हैं कि हम सब लोग और सारे वहाँ पर जो यात्री थे उन सब पर टैक्स लगा है और टीके के लिये इतना टैक्स लगता यह अनुचित बात थी। अगर सरकार पहले से इस बात को ध्यान में रखे होती और इस बात को समझती कि टीके का आदेश वापस लेने के लिये समय की परिस्थिति बाध्य करेगी। मैं क्या कहूं जिस समय लालबहादुर जी शास्त्री का फोन पन्त जी के पास आया था कि इसको उठा लिया जाय या नहीं, तो मैं वहाँ पर था। मैं उस पर विशेष प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं। यह तमाम उस ४० लाख समुदाय का खर्च हुआ है जिसका समुचित रूप से प्रबन्ध किया गया था। तो क्या उस खर्च से जो पहले तखमीना १५ लाख रुपया सारे खर्च के लिये था उससे अब अधिक हुआ होता अगर इस सरकार के दिमाग में ज्यादा पब्लिसिटी कर राजनैतिक लाभ उठाने की बात नहीं आई होती।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या १६ पर गृह मंत्री के भाषण में दिये गये क़ैदियों के आंकड़ों का संशोधन

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--अभी अनुदान १६ पर बोलते हुये गृह मंत्री जी ने जो दूसरे प्रदेशों से यहां आने वाले की तादाद दी थीं उनमें ग़लती रह गई थी। कृपया उसे ठीक कर लें। उन्होंने बताया था कि दिल्ली से ५०० कैदी यहां आये, यह तो ठीक है लेकिन सौराष्ट्र से बजाय ५०० से १०० कैदी आये थे।

अनुदान संख्या २१-लेखा शीर्षक ३९-जनस्वास्थ्य (क्रमागत)

श्री राजनारायण-- माननीय, उपाध्यक्ष महोदय चिकित्सा सफाई व प्रबन्ध, जिसमें अनिवार्य टीका लगाना भी शामिल है, इस सम्बन्ध में मूल तखमीना ही काफी था और उसके मुताबिक अगर काम हुआ होता तो कोई विशेष परेशानी न होती। जिस तरह से घटनायें घटीं क्या हम उनको देखने के बाद इस नतीजे पर नहीं

[श्री राजनारायण]

पहुंचते हैं कि इतना व्यापक प्रबन्ध, जिसमें कि ५२ लाख रुपया खर्चा हुआ, यह सारा का सारा व्यर्थ गया? इसपर हर एक को क्षोभ और दुःख है। व्यय बढ़ने के कारणों में कहा गया कि सन् १९४८ की अपेक्षा श्रम और सामग्री के भाव बढ़। मगर यह नहीं बताया गया कि किस सामग्री और किस श्रम के भाव बढ़े जिससे एकाएक ५ गुना खर्चा बढ़ गया। इस बढ़े हुये खर्चे के औचित्य को साबित करने के लिये यह कहा जाता है कि सन् ४८ में ५०० एकड़ जमीन का प्रबन्ध करना था और सन् ५४ में १,३०० एकड़। मैं निवेदन करता हूं कि सम्मानित सदस्य पेज २४ का अवलोकन करें। ५५० एकड़ जमीन इस्तेमाल हुई थी सन् ४२ में, ५०० एकड़ सन् ४८ में और १,३०० एकड़ बढ़ी हुई जमीन के लिये बताया जाता है कि वह गंगा जी की धारा में तब्दीली के कारण बढ़ी। मगर वहां बांध था वहां से हट कर गंगा पीछे झूंसी साइड में गई, इससे ५२ लाख रुपया खर्चा बढ़ जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर यहां पर नक्शा होता तो मैं इसके बारे में बताता कि यह तमाम खर्चा बढ़ा है कलात्मक ढंग से, जो वो० आई० पी० कैम्प लगा। अगर आप देखेंगे बिजली के पोल्स सन् १९४८ से ६० और कैम्प लाइट से देखेंगे तो १९४८ से ढाई गुनी वृद्धि हुई। इन्हीं वृद्धियों के कारण इस तरह की वृद्धि हुई है और अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ३० लाख की भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पहले जब २६२ जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया और अब ४० लाख की भीड़ को नियंत्रित करने के लिये ८,१४९ जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया और उनको लगाने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी। मैं उस दुर्घटना के सम्बन्ध में कुछ इस समय नहीं कहना चाहता और इसके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्य यह न समझें कि इससे हमारा कुछ और मोटिव है। मुझे अफसोस है कि माननीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जो इस समय यहां नहीं हैं, उनके भाषण की एक प्रतिलिपि हमारे पास है जिनमें बताया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को उस महान् दुर्घटना की खबर सवा चार बजे मिली जब कि बंगाल के गवर्नर महोदय को भेजने के लिये बाधा हुई, उसी समय उनको कुछ कुछ खबर इस दुर्घटना की हुई और उसकी सही जानकारी उनको जब कि वे घटनास्थल पर पहुंचे उन्हें जवाहरलाल त्रिपाठी से मिली। माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि वे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ घंटों तक रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इसी समय जवाहरलाल जी को भी खबर हुई। जब कि तमाम जिम्मेदार सदस्य यह मानते हैं और स्वयं जवाहरलाल जी यही कहते हैं कि उनको चार बजने में ५ मिनट पहले ही खबर हो गयी थी। मैं माननीय सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि उनको, यदि वे माननीय मुख्य मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री के बयानों को पढ़ें तो ठीक स्थिति का पता चल जायगा। माननीय गृह मंत्री ने जो इस सम्बन्ध में यहां तक कह डाला कि दावत में जो आमंत्रित थे वह जो वे खाते होंगे वह आलोचकों को मयस्सर भी नहीं होता होगा। माननीय गृह मंत्री महोदय के मुखारबिन्द से ऐसी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे मालूम होता है कि उनकी आलोचना का स्तर क्या है। मान लीजिये कि हम गरीब हैं और लड़की की शादी होने वाली है और इसी बीच में अगर कोई गमी हो जाती है तो उसको टाल देते हैं। उसी प्रकार किसी राजा की लड़की की शादी है और अगर उसके यहां ही कोई गमी हो जाती है तो वह भी टल जायगी। इस सिलसिले में माननीय गृह मंत्री जी को गरीब और अमीर की चर्चा करना शोभा नहीं देता।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान्, विधान का प्रश्न है।) क्या कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे दिन के भाषण पर किसी दूसरे दिन प्रकाश डाल सकते हैं?

श्री राजनारायण--जी हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को पुनः अवगत करा देना चाहता हूं कि १९४२ में जब यहां जनप्रिय मंत्रिमंडल नहीं था, तो ५ लाख रुपया खर्च हुआ था। अगर ये मंत्रीगण उस समय भी विद्यमान होते तो तब भी खर्चा बढ़ गया होगा। श्रीमान् मैं पुनः यह कह देना चाहता हूं कि इस कुंभ के लिये जो रुपया खर्च हुआ है उसके लिये ऐसी परिस्थिति नहीं रह गयी है कि हम उसके लिये एक पैसा भी ग्रांट करें। मैं इन्हीं बातों को कह कर बैठना चाहता हूं, कोई यह न समझें कि यह घटना हमारे सौभाग्य से अथवा उनके दुर्भाग्य से हुई, जैसा कि उप-मंत्री महोदय ने कहा। इस बात का जवाब तो उनको म्युनिसिपल इलेक्शन्स में मिल गया। मैं और वादविवाद में न पड़ कर केवल इतना ही कह कर बैठता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने उन्हीं बातों को फिर से दुहरा दिया, जिनका जिक्र इस सदन में पहले भी हो चुका था। इस विषय में उन्होंने सदन के सामने उन लाइन्स को पढ़ कर नहीं सुनाया। जिनमें यह वर्णित था कि खर्चा किन कारणों से इस कुम्भ के अवसर पर बढ़ा है। मैं सदन के सामने उन लाइनों को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं और उसके बाद सदन के सामने रखूंगा कि कीमतों में कितनी बढ़ती हुई और क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से खर्चे में बढ़ती हुई। वाल्यूम १, पेज १९ में अगर माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो उसके आखिरी पैरा में यह बात साफ लिखी गयी है। "The original estimate of· · ·"

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर (श्रीमान् जी विधान का प्रश्न है) माननीय मंत्री जो हिन्दी से ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा।

श्रीचन्द्रभानु गुप्त--चूंकि हिन्दी में एक स्थान पर तर्जुमा गलत हो गया है इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि अंग्रेजी से ही पढ़ कर सुनाऊं।

श्री राजनारायण--श्रीमान् मैंने प्वाइंट आफ आर्डर आप से रेज किया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से नहीं। इसका फैसला आप ही कर सकते हैं।

(कुछ देर पश्चात्)

मेरे प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने के बाद भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी खड़े हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आइ ऐम सारी (मुझे खेद है।)

"The original estimate of Rs.15 lakhs was, however, only a guess, as it was not possible to forecast the expenditure with any reasonable accuracy at the time of framing the estimates because of various uncertain factors such as the *mela* population, location and the size of the *mela* area, duration of the *mela*, etc. On actual experience, after taking up the work, it had been found that this provision was very much short of the actual requirements, which have now been estimated at Rs.41,24,800 as per details given below."

[प्रारम्भ में जो १५ लाख रु० का तखमीना लगाया गया था वह केवल एक अनुमान था, क्योंकि तखमीना तैयार करते समय व्यय का ठीक-ठीक हाल मालूम करना संभव नहीं था। कारण यह था कि ये बातें निश्चित नहीं थीं कि मेला की जनसंख्या कितनी होगी, मेलाक्षेत्र का आकार कैसा होगा और मेला की अवधि इत्यादि कितनी होगी। कार्य करने के पश्चात् वास्तविक अनुभव करने पर इस बात का पता चला कि जो व्यवस्था प्रारम्भ में की गयी थी वह वास्तविक आवश्यकता से कहीं कम थी। वास्तविक आवश्यकता का तखमीना अब ४१,२४,८०० रु० लगाया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है--]

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता हूं।

"This increase in expenditure has been occasioned by the following factors :—

(I) The Kumbh Mela is being held under much improved conditions and better facilities of transport, etc., than the last Kumbh and Ardh Kumbh Melas and has, therefore, attracted a much larger gathering than was attracted on the last occasions.

(II) On account of *Mal Mas* this Mela is expected to last for a period of three months instead of two months for which previous Melas lasted.

(III) The cost of labour and material has gone up considerably than what it was in 1942 and 1948.

(IV) The emoluments of the staff have increased with the introduction of the revised scales of pay and dearness allowance.

(V) Due to change in the course of the river the space below the Buns has been reduced to about 80 acres as against 500 and odd acred on the occasion of the last Kumbh and Ardh Kumbh Melas, with the result that the Mela this time had to be located on the Jhusi, Arail and Parade sides covering an area of about 1,300 acres."

[व्यय में जो यह वृद्धि हुई है वह निम्नलिखित बातों के कारण हुई है :—

(१) इस वर्ष के कुम्भ मेला के आयोजन में विगत वर्ष के कुम्भ तथा अर्द्ध कुम्भ मेलों की अपेक्षा अधिक उत्तम प्रबन्ध तथा वाहन इत्यादि सम्बन्धी अच्छी सुविधाएं दी गयी हैं, इसलिये बहुत बड़ी भीड़ हो गयी है, जितनी कि विगत अवसरों पर नहीं हुई थी।

(२) ऐसा अनुभव है कि मलमास के कारण यह मेला २ मास के स्थान पर ३ मास तक लगेगा, जब कि पहिले के मेले २ मास तक ही लगे थे।

(३) श्रम तथा सामग्री का व्यय १९४२ तथा १९४८ के व्यय की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है।

(४) कर्मचारिवर्ग के वेतन पुनर्वीक्षित वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ता लागू होने के फलस्वरूप बढ़ गये।

(५) नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण बांध के नीचे की जगह घटकर लगभग ८० एकड़ हो गयी है, जबकि वह विगत कुम्भ तथा अर्द्ध कुम्भ के मेलों के अवसर पर ५०० से कुछ अधिक एकड़ थी। फल-स्वरूप इस बार मेले को झूंसी, अरैल तथा परेड की तरफ लगभग १,३०० एकड़ क्षेत्र में आयोजित करना पड़ा।]

जो मैंने लाइनें अभी इस सदन के सामने पढ़ कर सुनाई हैं उससे यह स्पष्ट है कि किन किन कारणों से इस वर्ष कुम्भ के अवसर पर ज्यादा खर्चा बढ़ा। विरोधी दल के नेता ने भी यह कहा कि किन चीजों के दाम इस अवसर पर बढ़ गये थे। मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि जो चीजें मेले में लोगों को रखने के लिये लगायी जाती हैं, सफाई इत्यादि के लिये इस्तेमाल की जाती हैं यदि वे सन १९४८ और सन् ५४ के आंकड़े का अध्ययन करें तो उन्हें पता चल जायगा कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं। उदाहरण के लिये मैं बतला

देना चाहता हूं कि सन् ४८ में जब हमने खतियां आदि बनायी थीं तो उसमें जो जूट इत्यादि का प्रयोग किया उस समय उसकी क्या कीमत थी और सन् ५४ में क्या कीमत है। पाकिस्तान से जूट न मिलने की वजह से कितनी उसकी कीमत बढ़ गई है, यदि उसका ही उन्होंने अध्ययन कर लिया होता तो कदाचित् वे इस प्रकार की बातें इस सदन के सामने नहीं कहते। जो आकड़े मैंने स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से जूट के सम्बन्ध में मंगाये हैं उनसे पता चलता है कि सन् ४८ से इस समय १५० रु० फी टन जूट की कीमत ज्यादा बढ़ी है। गनी बैग्स के दाम, जो पहले ८० रु० के सौ थे वह भी आज १२० रु० है। तो इन आंकड़ों से पता लगेगा कि जो चीजें टेंट्स इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होती हैं उनके दाम १९४८ से बढ़े हैं। तो टेंट्स इत्यादि के बनाने में अधिक व्यय हुआ और उसके कारण यह तमाम काफी खर्चा बढ़ा फिर पहले जब कुम्भ होता था ४२ में या ४८ में हुआ था तो वह कम्पैक्ट एरिया में होता था और उसके कारण सफाई इत्यादि का प्रबन्ध थोड़े से एरिया में ही किया जाता था। जब एरिया इतना बढ़ गया और इतने टुकड़ों में वह विभाजित हो गया तो क्या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अधिक सफाई करने वाले व्यक्तियों को रखना पड़ेगा, अधिक डाक्टरों को रखना पड़ेगा और अधिक अस्पतालों का निर्माण होगा और ऐसा किया गया। सन् ४२ के कुम्भ के आंकड़े तो मेरे पास इस समय हैं और ४८ के आंकड़े मैंने डाइरेक्टर के दफ्तर से मंगा रखे हैं लेकिन वे अभी तक आये नहीं हैं। लेकिन सन् १९४२ के आंकड़ों को देखने से ही यह पता चलता है कि जितने व्यक्ति उस समय रखे गये थे उससे दुगुने व्यक्तियों को इस कुम्भ पर रखना पड़ा। सन् १९४८ में जब हमने इन्तजाम किया था उस समय क्या हमारे वहां एपीडेमिक नहीं हुआ था और उसके कारण क्या कुम्भ का डयूरेशन कम नहीं हुआ था? क्या उस समय कालरा वहां नहीं हुआ था और क्या कालरा में उस समय १३० व्यक्ति नहीं मरे थे? लेकिन क्या कोई कह सकता है कि कालरा से कोई व्यक्ति इस साल मरा? क्या यह सही नहीं है कि कुम्भ का डयूरेशन बढ़ा? पहले दो महीने का डयूरेशन होता था लेकिन यह खास इम्पार्टेन्स का कुम्भ था इसलिये जो खर्चे का अनुमान लगाया गया था वह कम ठहरा क्योंकि कुम्भ का डयूरेशन दो महीने के बजाय तीन महीने हो गया।

हमारे माननीय विरोधी दल के नेता कहते हैं कि जो अनुमानित किया गया था उस बजट में जो उस समय पेश था उस पर फायनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी थी यदि उन्हीं के आंकड़ों को मानकर वह हिसाब लगावें तो मैं पूंछूगा कि ११ लाख की रकम जो मांगी गयी है और उसके ऊपर वह एतराज कर रहे हैं क्या वह रकम ११ लाख नहीं आयेगी। अगर पौने पांच लाख का सही अनुमान मान लिया जाय तो भी जो जरूरत इस नोट में दिखाई गई है एक तो दो महीने के बजाय तीन महीने का कुम्भ होने वाला है। तीन महीने के कारण ५० परसेंट यों ही बढ़ गया। कम्पलसरी इनाकुलेशन का खर्चा बढ़ा। रिवर का कोर्स बदलने से जगह में परिवर्तन हुआ और उससे कितना व्यय बढ़ गया। यदि आप इसके ऊपर ध्यान दें तो जो रकम हम मांग रहे हैं वह अधिक नहीं है। मैं विरोधी दल के नेता को बताना चाहता हूं कि आंकड़ों के मामले में वह बहुत सही बात सदन के सामने नहीं रख रहे हैं जैसा मैंने बताया कि पीरियड बढ़ गया, उस बढ़ जाने से, सीमा के बढ़ जाने से और जगहों आदि के बढ़ जाने से, चीजों के दाम बढ़ जाने से जो इन्तिजाम सफाई इत्यादि का करना पड़ा और वह तो सन् १९४८ की अर्द्धकुम्भी से कहीं अधिक बढ़ जाता है तो आज कोई इस बात को सामने रखकर आंकड़ों पर इस तरह से बहस नहीं कर सकता।

मुझे बड़ा दुख है कि कुम्भ के ऊपर दो मरतबा यहां बहस हो चुकी है और बारम्बार उसी बात को दोहराने की चेष्टा की जाती है। मुझे इस बात का भी दुख है कि विरोधी दल

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]
के नेता कदाचित् उस नीति में विश्वास करने लगे हैं जो शायद हिटलर की नीति थी। हिटलर इस नीति में विश्वास करता था कि गलत बात को बारम्बार दोहराओ और दोहराते दोहराते कहीं न कहीं तो वह गलत बात चिपक जायेगी।

अगर वह इस नीति का अवलम्बन करने लगे हैं तो इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है और अगर वह इस नीति का अवलम्बन नहीं करते हैं तो उन्हें मानना पड़ेगा कि इस वर्ष जो वहां इन्तजाम किया गया उससे न तो कोई एपेडैमिक फैला और न एक मक्खी ही, जहां तक कि सफाई का सम्बन्ध था, वहां कुम्भ पर उड़ती हुई दिखायी दी। फिर अब यह कहना कि इस कुम्भ के अवसर पर अपव्यय हुआ जहां पर कि ५० लाख आदमियों के इकट्ठा होने की सम्भावना थी, जहां पर कि इस प्रकार से इन्तजाम किया जाय और उस पर यदि उनके हिसाब से अधिक रुपया खर्च हो जाय तो मैं यह पूंछना चाहता हूं कि उनका इस प्रकार से बहस करना और दुनिया को यह दिखलाना कि इन्तजाम ठीक नहीं किया गया कहां तक उचित है? मैं इसका निर्णय उन्हीं के ऊपर और इस सदन के सदस्यों के ऊपर ही छोड़ता हूं। यदि वे कुम्भ के अवसर पर गये होंगे, तो उन्होंने घूम फिरकर देखा होगा और उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्तजाम में जहां तक कि सफाई का संबंध है और जहां तक और भी कार्यों का संबंध है, कोई खामी नहीं थी। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि एक घटना इस कुम्भ के अवसर पर हो गयी, लेकिन उस घटना को बारम्बार जनता के सामने उपस्थित करना एक ऐसी बात है, जो कि हमारी जो जनतंत्रात्मक परम्परायें हैं उनके विरुद्ध जाती है। यदि हम ऐसी चीजों को सामने रखकर राजनैतिक भावनाओं का प्रचार करें, तो उससे हमारी सिद्धि होने वाली नहीं है। अब मैं और अधिक न कहकर उन तमाम कारणों की ओर जिनका जिक्र और विवरण उस पुस्तिका में दे दिया गया है, जो कि बांटी गयी है, ध्यान दिलाते हुए विरोधी दल के नेता से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना का बारम्बार जिक्र करने से न तो हम आगे बढ़ते हैं, और न वह तमाम व्यक्ति जो कि इस देश से और हमारे बीच से उठ गये जिनके लिए इस सदन का हर व्यक्ति दुखी है वे हमारे बीच में आ ही सकते हैं। इससे तो सिर्फ एक ऐसी भावना हमारे देश में और हमारे प्रदेश में उत्पन्न होगी जो कि भावी राष्ट्र के लिए बहुत सही और ठीक नहीं है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि बारम्बार वे इस घटना का जिक्र न करें। इससे काम ठीक होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यदि प्रस्तावक महोदय आवश्यक समझें तो दो मिनट ले लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बहुत आवश्यक है और ५ मिनट तो सबको मिले ही हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने आंकड़े हमारे सामने देखने के लिये परिस्थिति फिर पैदा कर दी। वह खुद देखें कि शुरू शुरू में सन् १९४२ में जितने कर्मचारी वहां थे वे सवा दो महीने, दो महीने और दो महीने के लिये थे। सन् १९४८ में साढ़े तीन महीने, दो महीने और दो महीने के लिये थे और सन् १९५४ में अढ़ाई महीने, साढ़े तीन महीने और चार महीने के लिये थे। यह तखमीना पहले ही का है। यह अभी की बात नहीं है। ऐसी कोई नयी बात अगर मंत्री जी ने कह दी होती तो मैं समझता कि सही में वह कुछ बता रहे हैं। ४ लाख ७५ हजार की ग्रांट का तखमीना पहले लगाया गया था, क्या वह एक महीने का तखमीना था जबकि हिसाब जोड़ करके माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि चूंकि एक महीने का था और चार महीने रहना पड़ा, इसलिये १७ लाख हो गया। इस तरह से भूलभुलइयां में माननीय मंत्री जी हमको डालना चाहते हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि १९४२ में ढाई महीने कर्मचारी रहेंगे सन् १९४८ में साढ़े तीन महीने रहे और इस समय वहां जन-स्वास्थ्य के कर्मचारी केवल ढाई महीने रहे और पुलिस के साढ़े तीन महीने रहेंगे, सामान्य साढ़े चार महीने का तखमीना है। यह जो उन्होंने भूलभुलइयां में डालने की कृपा की उसके लिये मैं चाहूंगा कि वे खुद समझ लें और श्रीमन्, मुझे तो ज्यादा इस पर नहीं जाना है।

एक बात और आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात हमसे कही, मैं उनको बहुत कद्र करता हूं और मैं उन्हीं की बात पर चलना चाहता था, इस सदन में अगर वे आरम्भ से रहते तो इस रूप में शायद वादविवाद न होता। अब हमको इस अवसर पर अगर माननीय मंत्री जी चाहें कि मैं उन बातों का जवाब न दूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में एक धारा बहाकर गये हैं, तो मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। मैं माननीय मंत्रियों का कथन ही स्पष्ट करके रह जाऊंगा।

मैं इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का जो बयान है कि ४ बजने में ५ मिनट पर उनको खबर लगी, उसको पढ़ें, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बयान है कि वे साढ़े चार बजे गये और चार बजे के बाद उनको खबर लगी, उसको पढ़ें। मैं अपने बारे में यह कह देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस अनुदान के अन्दर नहीं आता है।

श्री राजनारायण--मैं उस दावत में पाँच मिनट पहले.....

श्री उपाध्यक्ष--इससे दावत का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१२

विपक्ष में--११२।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-लेखा शीर्षक ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ११,९४,४०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-कृषि सम्बन्धी विकास और खोज

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२ लेखा शीषक ४०--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस सिलसिले में एक नोट दिया हुआ है। मेमोरेंडम में केवल दो मदें हैं। ८,०३००० रुपये तो गवर्नमेंट आफ इंडिया को देने हैं जो काँस उखाड़ने का काम बुन्देलखंड में चल रहा है उसके लिये। वह स्कीम सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन की तरफ से चल रही है। उसका खर्चा हमको देना पड़ता है। तो इसमें ६६ हजार रुपये का यह मतालबा है। दूसरी मद टेहरी-गढ़वाल के गाँवों में गूल बनाने की है। उसमें आधा खर्चा सबसिडी के तौर पर यह गवर्नमेंट देती है और आधा खर्चा गाँव वाले खुद अपने पास से मोहय्या करते हैं। तो सबसिडी की रकम ७५ हजार की देनी है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को पेश करता हूं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, इस अनुदान में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । इसमें २७ पेज पर ट (ख) देखने की कृपा करें। इसमें पेराई के समय मिलों द्वारा पेराई का कार्य आरम्भ करने की बात कही गयी है । उसके बाद पूर्वी जिलों में.....

श्री चरण सिंह––यह तो अनुदान संख्या २२ में नहीं है ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, हमको तो अनुदान संख्या २२ बताया गया है और मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

श्री चरण सिंह––मैं श्री राजनारायण जी की कोई ज्यादा गलती नहीं मानता हूं क्योंकि ग़लती मैं भी कर चुका हूं । मैं २३ का जिक्र कर गया जबकि मुझे मूव करना चाहिये २२ को ।

तो अनुदान संख्या २२ में तो एक मैन्योर के सिलसिले में है और दूसरी मद ऊसर रेक्लेमेशन और स्वायल कंजरवेशन फार्म्स की है उसमें कुछ रुपया चाहिये । तीसरी मद है गन्ना वगैरह के सिलसिले में । १०० रुपये उसके लिये चाहिये । ६,८३० रुपये एक फैक्ट्री को कुछ सबसिडी दी थी उसके लिये चाहिये जो कि नकद देनी है ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो फैक्टरियों को कुछ रकम दी जाती है यह क्यों दी जाती है और उसके लिये हमसे रुपया क्यों माँगा जाता है जबकि इस सदन में बार बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि मिल मालिक बहुत ज्यादा धन कमा चुके हैं और अनुचित तरीके से कमा चुके हैं और इस सरकार के गलत क़ानून के जरिये कमा चुके हैं । इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और उद्योग मंत्री जब जब चर्चा करते हैं कि आज शुगर केन की हड़ताल चल रही है तो इस सम्बन्ध में वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की चर्चा कर देते हैं । मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वह यह देखें कि चीनी के दाम कैसे तय होते हैं और गन्ने के दाम कैसे तय होते हैं । श्रीमन् चीनी के दाम सरकार पहले तय करके तब गन्ने के दाम तय करने की ओर बढ़ती है जब कि होना यह चाहिये कि पहले गन्ने के दाम तय होना चाहिये । इसके ऊपर क्या लागत पड़ती है । इसको जोड़कर चीनी के दाम तय होना चाहिये क्योंकि गन्ना का मैटिरियल (कच्चा माल) है । एक मन चीनी बनाने में कितना गन्ना लगता है और क्या लागत पड़ती है । यह सब देखकर तब चीनी का दाम तय होना चाहिये । यदि इस तरह से हो तब मिल मालिक के मुनाफे को समुचित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है । माननीय मुख्य मंत्री या गृह मंत्री कह तो देते हैं कि सरकार की योजना है कि सरप्लस मुनाफे में से ६२ प्रतिशत मुनाफा बाँट देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष––(श्री श्रीचन्द के खड़े होने पर) क्या माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द––यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो यह अनुदान भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में है न कि गन्ने के भाव के सम्बन्ध में ।

श्री राजनारायण––उपाध्यक्ष जी, हम क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष––आपका थोड़ा समय रह गया है उसी में समाप्त कीजिये ।

श्री राजनारायण––मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय । हम ५ बजे के बजाय ७ बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं । श्रीमन्, १९४६ में गन्ने की लागत १ रुपया ४ आने मन था, १९५० में एक रुपया ७ आने मन तथा १९५३ में १ रुपया १० आने मन था । जिस समय १९५१–५२ में २ रुपये मन गन्ना था उसको जब १ रुपये १२ आने

मन किया गया तो यही तर्क किया गया था कि चीनी की कीमत कम की जायगी। मैं टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं और इसका हिसाब लगाया जाय कि १ रुपये ४ आने मन गन्ने की कीमत रखने से चीनी की कीमत २० रुपये मन होती है, १ रुपये ७ आने के हिसाब से २४ रुपये कुछ आने और १ रुपये १० आने के हिसाब से २७ रुपये कुछ आने होती है। इस तरह से कितना अन्याय काश्तकारों और उपभोक्ताओं के साथ है कि चीनी के दामों में कोई कमी नहीं हुयी है। इधर सरकार अतिरिक्त मुनाफा के लिये चीनी बाहर से मंगाये और एक न्याय पूर्ण माँग के लिये किसानों के आंदोलन रोकने करने के लिये दोष लगाया जाय कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग उनको भड़का रहे हैं। हम लोग किसानों को नहीं भड़का रहे हैं बल्कि सरकार की पूंजीपतियों को बढ़ाने की नीति तथा उनको अधिक मुनाफा कमवाने की नीति ही किसानों को संगठित कर रही है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वश्री गेंदा सिंह, नारायणदत्त तिवारी, राजवंशी राय और अवध शरण जी इस समय सदन में नहीं हैं। क्या सरकार के लिये यह कलंक की बात नहीं है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने भौमिक सहानुभूति दिखायी है। वह कहते हैं कि आज जो हमारे साथी गिरफ्तार हैं उनके लिये उनके दिल में कद्र है मगर हम मौखिक कद्र को लेकर क्या करेंगे? वस्तु स्थिति आज यह है कि विरोधी पार्टी के लोग वैसे ही बहुत थोड़े हैं मगर जो इम्पार्टेंट (सचेत) सदस्य थे जो हर प्रश्न पर बोल सकते थे आज वह सरकार की गलत नीति के कारण, इस सरकार की दकियानूसी नीति के कारण जेल के सींकचों में बंद हैं। क्या यह सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है? इस पर भी मंत्री महोदय गलत बात कहते हैं। एक मंत्री महोदय तो नाटकीय ढंग से यहाँ तक कहते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग किसानों को बहकाते हैं और फाटक पर लोटते हैं नाटकीय ढंग की इस सदन में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये और लूटने और बहकाने की बात नहीं है, वस्तुस्थिति को देखो ····।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, अब मौके-बेमौके गैर मुताल्लिक बातें सुनने की इतनी आदत पड़ गयी है कि उस पर कोई प्रतिक्रिया होती नहीं। अगर माननीय राजनारायण इस नोट को पढ़ लेते तो हम लोगों पर उनको तकरीर इन्फिलक्ट करने का मौका नहीं आता। नोट में यह लिखा हुआ है कि सन् १९४८-४९ में जितना गन्ना यू० पी० की शुगर फैक्टरीज ने पेरा था उससे ज्यादा उन्होंने अगले साल सन् १९४९-५० में पेरा। तो उसके सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपना जो सेस था वह माफ कर दिया और उन्होंने राज्य सरकार को भी यह मशविरा दिया कि यह गवर्नमेंट जो सेस लेती है वह भी माफ कर दिया जाय। इस गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सौ फीसदी सेस को माफ कर सकती सारी फैक्टरीज में। तो इस गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जितनी वेस्टर्न फैक्टरीज हैं उनका सेस आधा कर दिया जाय और जो पूर्व की हैं, चूंकि उनका क्रशिंग सीजन कम होता है, उनको प्राफिट उतना नहीं होता जितना कि पश्चिमी फैक्टरीज को होता है इसलिये सारा माफ कर दिया जाय। यही नहीं, वह जो आधा सेस वेस्टर्न फैक्टरीज में जो माफ नहीं किया गया उसको भी बतौर सबसीडीज के पूर्व की फैक्टरीज को देने का निश्चय किया, रेटेब्ली यानी जितना कि उन्होंने गन्ना पेरा था उसके हिसाब से। और चूंकि गवर्नमेंट का काम आम तौर पर बकाया सेस रहता ही है तो उसमें सेस को ऐडजस्ट और मिन्हा करने की बात थी। हमने वसूल करने के बाद उसी में ऐडजस्ट कर दिया। तो प्रोप्राइटर्स के खिलाफ गवर्नमेंट का मतालबा वाजिब नहीं था, बकाया नहीं था, इसलिये सब्सीडी का जो रुपया उसके हिस्से में आया वह उनको नकद देना था तो यह जो ६,८७० रुपया है वह सन् १९५०-५१ के क्रश के सिलसिले में बतौर सब्सीडी देने का, इस उद्देश्य से कि हमारे देश में चीनी का उत्पादन बढ़े, निश्चय हुआ। यह बहुत पुरानी बात हो गयी और उस वक्त इस बात की जरूरत थी कि चीनी ज्यादा पैदा हो। बाहर से भी आ जाती थी और फाइव ईयर प्लान में यह था कि चीनी की पैदावार

[श्री चरण सिंह]

बढ़ायी जाय। अब १५ लाख टन का जो हमारा टार्गेट था वह सन् १९५२ में ही फैक्टरीज ने रीच कर लिया, वरना कमी बहुत महसूस की जा रही थी और जरूरत थी कि उनको प्रोत्साहन दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट यह नहीं मानती है कि कोई फैक्टरी वाला है केवल इस कारण, या किसी के पास चार कोट हैं बनुकाबिले उसके जिसके पास एक भी न हो, इसलिए वह आदमी कनडेम्नेबिल है और उसका हमारे देश में कोई स्थान नहीं है या हर वक्त उसको दबाया जाय, या उसके चार कोट छीन लिये जायं और उसकी फैक्टरीज छीन ली जायं और मुआविजा छीन लिया जाय। हमारा यह विश्वास नहीं है। हम समझते हैं कि देश की इकोनामी के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए जहां स्टेट इंटरप्राइज की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता है वहां यह भी आवश्यक है कि वहां प्राइवेट एंटरप्राइज भी फले और पनपे। मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि क्योंकि कोई आदमी कैपिटलिस्ट है लिहाजा वह आदमी कोई स्क्वेयर डील इस गवनमेंट से पाने का मुस्तहक नहीं है। यह अगर जनता के हित में बुरा है तो ठीक है, पर जनता का हित किसे कहते हैं इसी में इख्तलाफ राय है। बहुत से लोगों को जनता का हित इसी बात में लगता है कि किसी तरह की सिविल लिबर्टीज, अगर उनका राज्य हो जाय तो हरगिज-हरगिज न हों, बोलने का हक न हो, अखबार में मजमून निकालने का हक न हो, एंलेक्शन में खड़े होने का हक न हो, मुकदमें में पैरवी करने का हक न हो,। लेकिन यहां कायदे के मुताबिक कानून के मुताबिक जो काम किये जायं उनमें भी सिविल लिबर्टीज की बात आती है। यह डेमोक्रेसी है। हर आदमी को यहां अपनी बात कहने का हक है, अदालत में जाने का हक है, उससे भी आगे एलेक्शन में किसी को निकालने का हक है। लेकिन यह अब प्रिविलेजेज होते हुए अगर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया है कि लेजिस्लेचर में बात न कह कर, इन तरीकों को अमल में न लाकर हर गवर्नमेंट के कानूनों का, गवर्नमेंट के हर कदम का अवैधानिक तरीके से चाहे उसे सत्याग्रह कहा जाय या दुराग्रह कहा जाय, इस तरीके से चाहते हैं कि इसका चलना नामुमकिन हो जाय, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि साधारण परपज किसी पार्टी का हल हो जाय लेकिन यह देश का दुर्भाग्य होगा अगर सब लोगों में इस बात की प्रवृत्ति फैल जाय कि जो बात गवर्नमेंट नहीं मानती है उसको सीधे तरीके से डाइरेक्ट ऐक्शन लेकर के और उसे मनाया जाय और अगर कोई ऐसा करता है, खवाह वह इस सदन का मेम्बर हों, या और कोई हो, अगर कानून के खिलाफ जायगा, तो हम, जो हमारे ऊपर कानून की जिम्मेदारी है उसे पूरा करने में हरगिज हरगिज नहीं चूकेंगे।

श्री राजनारायण --कानून को अमल करने वाली सरकार को मुबारक हो कि मिल के मालिकों ने मिल बिना किसी नोटिस के बन्द कर रखी है मगर अभी तक उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक बनारस काटन मिल जो कि ४, ४ महीने से बन्द है, मगर सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। इस तरह से कानून पर अमल हमारे माननीय मन्त्री जी को मुबारक हो। वस्तु स्थिति यह है कि गन्ने का दाम पहले तय होना चाहिये या चीनी का। आज तक यह सरकार की समझ में नहीं आया कि गन्ना चीनी से बनता है या कि चीनी गन्ने से बनती है। यह बात अगर सरकार समझती थी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो एक गवेषणा समिति बनायी थी उसके मुताबिक १ रुपया १० आना प्रति मन गन्ना के उत्पादन में खर्च पड़ता है। तो जब १ रुपया १० आना मन खर्च पड़ता है गन्ने के उत्पादन पर तो सरकार के पास क्या औचित्य है इस बात को साबित करने के लिये कि गन्ने का दाम १ रुपया तीन आना मन हो और चीनी का दाम ३५ रुपया मन हो ? मैं आप की आज्ञा से यह बताना चाहता हूं कि कुल भारत में मिलों में ३५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। केवल ५०-५१ और ५२-५३ के आंकड़ों को देखें तो २१ करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुनाफा मिलों को हुआ है, १० परसेंट से अतिरिक्त यह रुपया चीनी के मिल मालिकों ने कमाया है। मगर आज हमारे माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि

वह न्याय के लिए हैं वह किसानों के हित के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए हैं, और जनतन्त्र की हिफाजत के लिए हैं, श्रीमन्, एक ही बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ५१–५२ में गन्ने का भाव दो रुपये मन था तो वह किस आधार पर था ? वह इसी आधार पर था कि एक रुपया दस आने मन गन्ने की लागत पड़ जाती है। लेकिन अब १ रुपया तीन आने और १ रुपये ५ आने प्रति मन किस हिसाब से कर दिया गया, किस आधार पर कर दिया गया जब कि चीनी का भाव वही है, यह किसानों के हित में है ? उपभोक्ताओं के हित में है ? या मिल मालिकों के हित में है। मैं फिर माननीय मन्त्री से कहना चाहता हूं कि विकास की जो योजनाएं चलती हैं और इतना बड़ा उत्पादक केन्द्र जो उत्तर प्रदेश है इस केन्द्र को चौपट करने की कोशिश सरकार की ओर से क्यों की जा रही है। हमें बड़ी खुशी थी कि माननीय माल मन्त्री श्री चरण सिंह जो अपने विषय की जानकारी समुचित रखते हैं वह बोलेंगे तो वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालेंगे, परन्तु वह भी उन्हीं अनुकरणीय आदरणीय मंत्रियों के अनुगामी हो गये जो कि उनकी बगल में बैठे हुये हैं। श्रीमन् मैं कहना चाहता था कि माननीय मन्त्री जी अक्सर यही बात कहा करते हैं कि अब वह सुनते-सुनते आदी हो गये हैं इसलिये उन पर असर नहीं पड़ता, तो क्या सुनते-सुनते आदी हो गये हैं। अगर वे कहे होते तो मैं उनसे कुछ निवेदन करता। मैं एक ही वाक्य में निवेदन करूंगा कि वह दूसरे के ऊपर दोष थोपने की कोशिश न करें। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस मुल्क में अमन चैन चाहती है, मजबूती के साथ अनुशासन हो मगर अनुशासन के नाम पर अव्यवस्था चलाने वाली सरकार नहीं रख सकती। अनुशासन रखने के लिये कुछ कायदे कानून होते हैं, मुर्दों की लासों पर कौवाली पढ़ने वाली यह सरकार हमें अनुशासन सिखलायेगी। हम चाहते हैं कि राज्य में अमन चैन कायम हो और उसके लिये ही हम इस सरकार को हटाने के लिए वचन बद्ध हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२–कृषि संबंधी विकास और खोज–लेख शीर्षक ४०–कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष सन् १९५३–५४ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४३–उद्योग

श्री हुकुम सिंह––मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९–लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के अन्तर्गत ९,९९,६०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष सन् १९५३–५४ के लिए स्वीकार की जाय।

मैं समझता हूं कि जो वक्त निर्धारित है उसमें जितना कम वक्त मैं ले सकूं उतना लूं ताकि हमारे मित्रों को काफी वक्त मिले और मैं उनकी बातें सुनकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश करूंगा केवल संक्षेप में दो एक बात कह देना चाहता हूं। इस मांग में कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स झांसी, गोरखपुर और लखनऊ में ड्राइंग मास्टर वगैरह के स्केल बढ़ाये गये हैं उसमें ९६० रुपये हैं। वह सेविंग से मीट हो सकता है लिहाजा १०० रुपये का टोकिन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सिलसिले में ऊलेन इंडस्ट्री डेवलपमेंट पहाड़ों में रखा गया है। जो स्कीम चल रही है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसमें ३२ हजार रुपया खर्च होगा, वह भी सेविंग से मीट किया जा सकता है लिहाजा उसके लिये भी १०० रुपये का टोकिन है हैंडलूम इंडस्ट्रीज के विकास के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से कुछ रुपया मिला है। कुल १५,६४,४४३ रुपये में से ५६,५०० कर्जे के रूप में ९,९९,४३३ रु० अनुदान के रूप में इस साल देना तय हुआ है। जो कर्जा ग्रांट नं० ५२ में है। ९,९९,४३३ रु० से हैंडलूम इंडस्ट्री को काफी मदद पहुंचेगी।

मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्री द्वारा सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जरा अनुचित सा होगा कि जब हमारे बुजुर्ग मन्त्री द्वारा करघे के उद्योग के लिये, टेक्निकल इंस्टीटयूट्स के लिए या पहाड़ों में ऊन की तरक्की के लिए मांग पेश करें तो उसमें कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया जाय। लेकिन बजट के नियमों के अनुसार जब तक कटौती न पेश की जाय तब तक अपनी बात नहीं कही जा सकती। इसलिए कटौती का प्रस्ताव करना आवश्यक होता है ।

इसमें दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिया गया और चूंकि समय कम है इसलिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुख्य मुख्य बातों की ही तरफ उद्योग मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट झांसी, गोरखपुर और लखनऊ को जो सहायता दी गई उसमें आपत्ति नहीं की जा सकती लेकिन मेरे पास कुछ लोग आये। उन्होंने बताया कि इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ाई और डिप्लोमे सब एक से हैं लेकिन तीनों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं किया जाता । मैं इस बात को मान नहीं रहा था लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के इंस्पेक्शन नोट को देख कर ऐसा मालूम हुआ कि उन लोगों का रिप्रेजेन्टेशन सही था। अगर ऐसी बात है तो सरकार को चाहिये कि इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के साथ बराबर का सा व्यवहार करें।

ऊन की इंडस्ट्री अलमोड़ा और बागेश्वर में उन्नत की जाय इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती लेकिन मैं यह कहूंगा कि ऊन की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिये। पहाड़ों के अलावा मैदानों में भी काफी गुंजाइश है और उसका काफी प्रचार हो सकता है।

सब से बड़ी मद इसमें कर्घे और चर्खे के बारे में है। इसमें जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया ३० लाख रुपया हमको केंद्रीय सरकार ने देने को कहा है और उसमें अब तक १६,५६,२७५ रुपये मिल भी चुके हैं लेकिन इस बात का जितना प्रचार होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। मैं विधान सभा का मेम्बर होने के बावजूद भी इस बात को मंजूर करना चाहता हूं और अन्य सदस्य भी इसे मानेंगे कि जो रुपया इस में खर्च हुआ है उसका समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है। एक तो सरकार उस रुपये का लाभ केवल कर्घा कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सोसाइटीज एक तो कम हैं और जो हैं भी उनका काम संतोषप्रद नहीं कर रही हैं। कुछ लोगों ने फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना रखी हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटीज को सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है तो दे लेकिन ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनें जिनमें कर्घेवाले और बुनकर सम्मिलित हों। उचित प्रचार और संघटन भी उसका नहीं हुआ। इससे बुनकरों को काफी फायदा नहीं पहुंच पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह भी जिक्र किया गया है कि सरकार मिलों पर फ़ी रुपया तीन पाई टैक्स लगा कर और कुछ रुपया केंद्रीय सरकार से ले कर कर्घा कोआपरेटिव सोसाइटीज को कुछ छूट देना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह बात अपनी जगह पर ठीक तो मालूम होती है लेकिन हमारी सरकार यह समझ बैठी है कि मिलों पर जो तीन पाई टैक्स फी रुपया लगाया गया है वह मिल मालिकों के पास से आता है । वह भार जनता पर है और जो तीन आने छूट दी जाती है वह भी पब्लिक का रुपया है। लिहाजा असली समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ तीन आने छूट दे कर समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में कर्घे वाले मिल वालों का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि कोई रिवोल्यूशनरी कदम नहीं उठाया जाता। बार-बार हमारी तरफ से और मद्रास के चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया कि ३० या ४० नम्बर के ऊपर के सूत को ही मिल वाले इस्तेमाल कर सकें और आम इस्तेमाल की चीजें, धोती और साड़ी कर्घे में बने। अगर ऐसा किया जाय

तो सरकार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सरकार एक तरफ तो मिल मालिकों को छना नहीं चाहती और दूसरी तरफ बुनकरों को खुश भी रखना चाहती है। लेकिन आज बुनकर मिलों के कम्पीटीशन में पीछे हटते जा रहे हैं। उन्होंने अपने जेवर तक बेच डाले हैं और मेरे जिले में १२ हजार कर्घे हैं। वहाँ ऐसी घटनायें हुयी हैं कि लोगों ने आत्म-हत्या करने की कोशिश की। रास्ते में लोगों ने दान दे कर उनको बचाया। बुनकरों को और मिलमालिकों को एक साथ खुश करने की जो पालिसी सरकार की है इससे समस्या हल नहीं हो सकती। अब भी समय है कि हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार इस तरफ ठोस क़दम उठाये और मिलमालिकों पर कुछ पाबन्दियाँ लगा कर बुनकरों को प्रोत्साहन दे।

श्री हुक्मसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट झांसी, गोरखपुर और लखनऊ के बारे में कहा है कि उनके साथ बराबर का व्यवहार नहीं होता। बहैसियत उद्योग मंत्री के मैंने यह उद्योग किया है कि इन तीनों को अप ग्रेड (up grade) कर दिया जाय। इनको तरक्की देने के लिये भी मैं काफी उद्योग कर रहा हूं। आइन्दा जो बजट आयेगा उस सिलसिले में हमारे मित्र अगर हमारी मदद करेंगे तो यह शिकायत आइन्दा बाक़ी नहीं रहेगी। कुछ दिक्क़तें हैं जिनसे तीनों को एक ग्रेड पर बराबर नहीं किया जा सकता लेकिन स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होगा।

जहाँ तक ऊन की इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है मुझे खुशी है कि हमारे मित्र ने हमारी मदद की। आख़िर मदद क्यों न करते जब कि उपाध्याय जी उनके पीछे बैठे हुये हैं जो गढ़वाल और नैनीताल के बारे में वक्तन-फवक्तन खींचा करते हैं। मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि प्लेन में कहीं अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री चलाई जा सकें तो उसको चलाने में मैं कभी गुरेज़ नहीं करूंगा। मैं यक़ीन के साथ कहता हूं कि इस बात पर ग़ौर किया जायगा।

जहाँ तक हैंडलूम की बात है मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि उसके लिये काफी प्रोपेगेन्डा किया जाय। इस बात का काफी ध्यान रखा जायगा कि कोई फर्जी सोसाइटी न बन जाय और खामख्वाह में रुपया बरबाद हो और यह ग़ौरतलब बात रहेगी। दूसरी बात जो आप ने कही कि ३ पाई मिल की तरफ से नहीं आता है वह जनता से आता है। यह समझ में बात नहीं आई। खद्दर पर तीन आना और हैंडलूम पर १ आना से १।। आना तक हम सबसीडी देते हैं। इस तरह से सेल में इजाफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। अलावा इसके तागे की क़ीमत भी घटाने के बारे में उद्योग किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम भरसक प्रयत्नशील हैं कि किसी तरह से यह इंडस्ट्री आगे बढ़े। हैंडलूम के कपड़े का काफी स्टाक गोदामों में बन्द है। उसकी बिक्री की सबील किस तरह से निकाली जाय। मैं अपनी जगह पर कोशाँ हूं। लेकिन मैं अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह तहैया करलें कि अगर वह खद्दर पसन्द करें तो खद्दर खरीदें और, गर खद्दर पसन्द नहीं करते तो हैंडलूम का कपड़ा खरीदें और विदेशी क़तई न खरीदें। तो इसमें काफी सहायता हो सकती है। मुझे आशा है कि हमारे मित्र मेरी इस बात में मेरी सहायता करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र अपने कटमोशन को वापस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे ताज्जुब हुआ कि अपने और मेरे बीच फैजाबाद और बहराइच के पास होते हुये इतना फ़र्क़ समझा। मैं कोई भी बात उपाध्याय जी से डर कर नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप की तरफ से इस बात का आश्वासन मिल जाय कि इस सम्बन्ध में वह प्रयत्न करेंगे तो फिर जो भी हमारी ताक़त है उसके मुताबिक़ प्रयत्न किया जायगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं उस रास्ते पर चल कर वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। करघे के लिये आना डेढ़ आने प्रति रुपये का संरक्षण दे दिया जाय या सूत के लाने में आप कुछ सहायता कर दें या रुपया दे कर सूत का भाव कम कर दें यह ठीक है लेकिन असल बात यह है कि करघे के कपड़ों को बनाने वालों की सुरक्षा के लिये जब तक कि सरकार की तरफ से कोई क्रान्तिकारी क़दम न उठाया जाय, समस्या का हल नहीं हो सकता।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसका एक ही उपाय है । मैं मिसाल के तौर पर माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि अगर वह इस बात का प्रयत्न करें, केन्द्रीय सरकार से और यहाँ से कि मिलवालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह ४० नम्बर से ऊपर के सूत का ही कपड़ा बना सकें या रंगीन कपड़ा कर्घे वाले ही बना सकें तो हम इसमें उनको सहायता देने के लिये तैयार हैं । राष्ट्रीयकरण की बात कहना तो मैं इस सरकार के सामने फजूल ही समझता हूं यद्यपि कि मिलों के राष्ट्रीयकरण के बिना समस्या का हल नहीं हो सकता । मंत्री जी के सामने विधान और दिल्ली की सरकार का बहाना है । इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री हुकुम सिंह--आप की इजाजत से मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि तागे और रिजर्वेशन के बारे में हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४३- उद्योग के अन्तर्गत ९,९९,६०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष सहायता

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६, लेखा शीर्षक ५४, दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत २ लाख रुपये की माँग स्वीकार की जाय । मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो कुछ कहना था वह पहले से ही तहरीर में मौजूद है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ३६ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा इतने बड़े महत्वपूर्ण अनुदान के लिये केवल २ लाख रुपये की माँग की गई है जब कि हमारे प्रदेश के बहुत से जिले जो लगभग २० की तादाद में हैं प्रति वर्ष बाढ़ और सूखा से परेशान रहते हैं । पहाड़ के कुछ जिले टेहरी, गढ़वाल अलमोड़ा और पूर्वी जिलों में इस साल तो प्रान्त के लगभग हर जिले में ऐसी बाढ़ आयी और बरसात की सीमा पार होगई कि जिससे कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जो डूबा न हो । इस सरकार की ओर से कहा गया था अगस्त सितम्बर के महीने में जब सदन में हमारे साथी माननीय गेंदा सिंह जी ने बाढ़ समस्या पर विचार करते हुये सरकार से अपील किया था कि सरकार को बाढ़ रोकने के लिये, इस विप्लवकारी घटना को सदा के लिये खत्म करने के लिये कोई ठोस क़दम उठाने चाहिये, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, यही ऐलान किया था, कि चाहे बजट का सारा रुपया खत्म हो जावे हम एक आदमी या पशु वृष्टि और बाढ़ के कारण नहीं मरने देंगे । सरकार तो हर समय दम भरा करती है कि वह इस प्रदेश को जनकल्याणी राज्य बनाना चाहती है । लेकिन जनकल्याणी राज्य का सब से बड़ा नमूना होता है कि हर एक मनुष्य का खाने, रोटी और रहने का प्रबन्ध हो । ऐसी बड़ी विपत्ति हमारे प्रदेश में आयी कि लाखों आदमी गृहविहीन हो गये और दर-दर बेरोजगार हो कर घूमे और सरकार की ओर से जैसा इन्तजाम होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ । उपाध्यक्ष महोदय , मेरे पास अब भी इस बात का सबूत है और श्री ब्रजभूषण जी मिश्र तथा रामकुमार जी शास्त्री भी इस बात का समर्थन करेंगे कि देवरिया , गाजीपुर और बलिया में जो कुछ सरकार ने किया वह काफी नहीं था और सरकार को जितनी सहायता करनी चाहिये थी उतनी सहायता नहीं की । इतनी बड़ी विप्लवकारी बाढ़ पर केवल ८-९ लाख रुपया ही खर्च किया गया ।

मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया कि एक भी पशु और एक भी आदमी को मरने नहीं दिया जायगा लेकिन आजमगढ़, बलिया और देवरिया में हजारों पशु चारे के बिना मर गये। आजमगढ़ में तो चारा बिलकुल नहीं आता। जनता की ओर से इस बात की माँग भी की गयी लेकिन चारे का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। अभी हमारे भाई राम सुभग वर्मा जी ने बताया कि देवरिया में डूमरी स्थान पर १५० पशु मरे, खरौली में १०, बढ़िया में २०० तथा इसके अलावा भूख से आदमी भी मरे। आजमगढ़ में एक कसारा ग्राम है वहाँ नीवे हर साल पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ के पशुओं को बीमारी हो जाती है और उसके आस पास के २००-३०० पशु मर जाते हैं। हमारी ओर से सरकार को इस सम्बन्ध में कई बार कहा गया लेकिन अभी तक उसका कोई इन्तजाम नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से पानी के निकास और बाढ़ों के रोकने का सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। बाढ़ कमेटी जो सरकार की ओर से बनायी गयी है, राजस्व मंत्री ने उसके बारे में बताया कि वह अप्रैल में काम करना शुरू करेगी। जून के महीने में बरसात आ जाती है तब सदन के सामने वे किस तरह से तजवीज पेश करेंगे कि बाढ़ कमेटी क्या चाहती है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी ओर से बाढ़ और वर्षा की तबाही को रोकने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्न होना चाहिये। लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करके बाढ़ पीड़ितों को ऊपर लाना चाहिये। सरकार की ओर से एक कानून बनाया गया कि जो लोग बाढ़ पीड़ित इलाकों के हैं उनको अगर वे ऊपर बसना चाहते हैं तो जमीन दी जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ के कई किसानों की दरख्वास्तें मैंने अपने हाथों से माननीय राजस्व मंत्री को दीं, लेकिन अभी तक उनको कोई जमीन नहीं दी गयी और न सरकार ने उनका कोई इन्तजाम ही किया।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों ऐसे आदमी हैं जो पेड़ों तले रहते हैं, पशुओं के खाने के लिये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में चारे का नितान्त अभाव है। आदमियों को छप्पर का सामान भी नहीं मिला है और आज भी वे पेड़ों तले रहते हैं। मेरा विश्वास है कि फिर बाढ़ आ जायेगी और उनकी जिन्दगी पेड़ों के नीचे ही गुजर जायगी लेकिन सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, मेरी तो इस अनुदान के सिलसिले में बोलने की इच्छा भी नहीं थी लेकिन जब गवाही में पेश कर दिया गया हूं तो एकाध मिनट मैं जरूर लेना चाहता हूं। इसमें दो रायें नहीं हैं कि इस प्रान्त में और खास कर के पूर्वी जिलों में दुर्भिक्ष और बाढ़ का दैवी प्रकोप अरसे से आता रहा है लेकिन जहां तक इस दो लाख रुपये की बात है वास्तव में दो लाख रुपया कम है। दो लाख रुपया नहीं बल्कि हमारी इच्छा है कि इस दैवी प्रकोप को हटाने के लिये और रुपये भी सरकार दे तो हम उसके अनुगृहीत होंगे और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। जहां तक सम्भव हुआ, मैं यहां गवाह हूं। वहां पर माननीय माल मंत्री जी भी गये और बजाय एक दो मन चना और एक टीन मिट्टी का तेल देने के वे खुद पहुंचे और मुझे हर्ष है तथा मैं इस सदन को सूचना देता हूं कि माननीय मंत्री जी न केवल ऐसे स्थानों पर ही गये और दो लाख रुपया ही दिया बल्कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लाखों रुपये की लगान और मालगुजारी में माफी भी इस सरकार ने दी। हमें चाहिये कि हम इस बात के लिये सरकार को धन्यवाद दें कि मौके पर हमें हमेशा मदद करती रहती है और रहेगी। दैवी प्रकोप का आना या न आना यह तो दैव के ही हाथ में है। मनुष्य से जहां तक सम्भव है, या इस सरकार से वह तो कोई कोर कसर मदद देने में उठा नहीं रखती है। इसलिये यह तो और उचित है कि जो अनुदान पेश किया गया है, इस सदन को उसका सहर्ष समर्थन करना चाहिये और आगे आने वाले बजट में ज्यादा रक़म की मांग पेश करनी चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान पेश किया गया है इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं। असल बात यह है कि यह कहना कि

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये बहुत कम काम किया है, गलत है। सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये बहुत ज्यादा से ज्यादा काम किया है। मैं स्वयं उसी इलाके का रहने वाला हूं और मैं उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सरकार ने काफी से काफी सहायता उनको रुपये से दी, मकान बनाने के लिये सामान दिया और हर तरह से सहायता की गयी है परन्तु उसके साथ ही साथ मैं यह जरूर कहूंगा और इसमें मैं श्री रामसुन्दर पाण्डेय जी से असहमत हूं कि जो दो लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है वह कम है। माननीय मंत्री जी से रुपये की कमी की शिकायत तो है ही लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जो बाढ़ आती है उसको कैसे रोका जाय, इस पर हमें विचार करना है। खास कर आजमगढ़ जिले में २३ नदियां बहती हैं और बरसात के दिनों में सारी की सारी नदियों में बाढ़ आ जाती है। कोई साल भी ऐसा नहीं जाता जब कि किसी न किसी नदी में बाढ़ न आवे। इससे हमारे जिले को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है और यह हमारे लिये एक नयी समस्या पैदा कर रही है। यह समस्या एक बहुत ही भीषण रूप धारण करने जा रही है। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान देंगे और शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे बाढ़ को रोका जा सके और बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिये जितनी भी सहायता धन से हो सके देने की कृपा करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के ऊपर अपनी राय जाहिर करने की कृपा की है मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसमें श्री रामसुन्दर पांडेय जी भी शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने और कड़ी बात नहीं कही। इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। तीन चार बातें मैं बहुत मुख्तसरन कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो फ्लड कमेटी मुक़र्रर हुई थी उसने गवर्नमेंट के पास जवाब भेज दिया था और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी तथा उस रिपोर्ट पर फ्लड कमेटी ने तफसील के साथ विचार भी कर लिया है और फ्लड कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी सरकार के पास भेजी हैं। उनमें से गवर्नमेंट दो तीन बड़ी सिफारिशों के सिलसिले में बजट में कुछ रुपया भी रख चुकी है। मसलन एक सर्वे डिवीजन बनाने की बात गवर्नमेंट ने इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में मान ली है। जब उसका बजट आयेगा तब उसके लिये माननीय त्रिपाठी जी को ज्यादा कहने का अवसर मिलेगा। तो वह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे कराना शुरू करेगा कि कहां बांध की जरूरत है और कहां सड़कों और रेलवे लाइन वगैरह के एलाइनमेंट में डिफीकल्टी है और क्या गवर्नमेंट को इस सिलसिले में करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि फ्लड कमेटी की एक सब कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी और उसकी सिफारिश थी कि लखनऊ में एक स्टेशन कायम किया जाय फ्लड की रिपोर्ट को नीचे पहुंचाने के लिये। गवर्नमेंट ने उसको मान लिया है और वह तय कर चुकी है कि इस तरह का स्टेशन कायम किया जाय और अगर फन्ड्स ने इजाजत दी तो अगले साल वह किया जायगा।

इसके साथ ही सदस्यों को यह भी मालूम है कि स्वायल कंजरवेशन बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने पेश कर चुका हूं और सदन उसके प्रिंसिपुल को स्वीकार कर चुका है और जब स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट हो जायगा उस समय उस पर काम होने लगेगा तो जो उपाय उसमें बाढ़ रोकने के बताये गये हैं उन पर कार्य होने लगेगा। माननीय रामसुन्दर जी पान्डेय का यह खयाल है कि पहली अप्रैल सन् १९५४ से अगर अमल होना शुरू हो जायगा तो अगले साल बाढ़ शायद न आवे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अमल शुरू हो जाने से तीस चालीस साल के बाद बाढ़ बहुत कुछ कंट्रोल में आ जायेगी। बाढ़ का प्रिवेंशन हो सकता है लेकिन बाढ़ बिलकुल न आये यह मुश्किल है। बाढ़ का प्रिवेंशन किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं हो सकता। तो जो उस कमेटी की रिपोर्ट है और जो सिफारिशें हैं उन पर आगे विचार होगा और माननीय सदस्य उस समय जो सुझाव देंगे उनका हम स्वागत करेंगे।

दो तीन बातें और हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जो रुपया टेस्ट वर्क पर गवर्नमेंट ने दिया है वह नाकाफी साबित हुआ। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि गवर्नमेंट रुपया खर्च करने में नहीं हिचकिचायेगी। बजट का ४ लाख रुपया खर्च हो गया और तीन लाख रुपया और सप्लीमेंट्री एस्टीमेंट्स में आपने मंजूर किया। वह भी खर्च हो गया तो दो लाख रुपया और कंटिन्जेंसी फंड से निकाला और ९ लाख रुपाया इन टेस्ट वर्क्स पर दिया। तकावी और रेमिशन्स वगैरह वह सब चीजें अलग और आजमगढ़ में तो इन ८ लाख में से दो लाख रुपया केवल आजमगढ़ के लिये दिया गया है। कितना रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये कहां कहां दिया गया है उसका ब्योरा मैं आपकी इजाजत से बढ़ना चाहता हूं :—

	रु०
गोरखपुर	६० हजार
देवरिया	१,२५ ,,
बस्ती	१,६५ ,,
आजमगढ़	२,०० लाख
फैजाबाद	४० हजार
गाजीपुर	३० ,,
मिर्जापुर	८ ,,
बांदा	१० ,,
अल्मोड़ा	८० ,,
गढ़वाल	४० ,,
टेहरी-गढ़वाल	२० ,,
और नैनीताल	२० ,,

(डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के पास)

यह कुल ७ लाख ९८ हजार कुल टेस्ट वर्क्स के लिये खर्च हुआ। ९ लाख रुपये में से एक लाख रुपया हमारे पास है और हमारा अन्दाजा यह है कि जब तक रबी की फसल न आ जायगी तब तक गालिबन गवर्नमेंट को इस सिलसिले में खर्च करते ही रहना पड़ेगा।

अब चारे की बात रही। चारे की बात जो पांडेय जी ने कही तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चारा कहां से लावे। या तो गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े भारी फार्म्स हों और वहां से चारा इकट्ठा किया जाय। परमात्मा न करे कि बाढ़ आ जाय। सब जगह एकदम से पहुंचाना ना मुमकिन है। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वह सभी लोगों को मालूम हैं फिर भी गवर्नमेंट हर साल कई हजार मन सूखी घास बुन्देलखंड के इलाके में जमा रखती है। पिछले साल बुन्देलखंड से आजमगढ़ भूसा भेजवाया गया। उस पर जो गवर्नमेंट का ट्रान्सपोर्ट का खर्चा था वह गवर्नमेंट ने नहीं वसूल किया। जो उसकी असली लागत थी उसमें भी हालांकि उसकी तफसील मेरे पास नहीं है—जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने एक रुपया फी मन के हिसाब से सबसीडी दी थी तब भी किसानों ने नहीं खरीदा। पहले बड़ा शोर मचता है कि चारा हो लेकिन जब बाहर से मंगा दिया जाता है तो फिर कोई किसान खरीदने को तैयार नहीं होता। बाद में फिर हमने उसे आधे दामों पर निकाल दिया था और उसमें गवर्नमेंट का हजारों रुपये का नुकसान हुआ। इस साल फिर आजमगढ़ से मांग आई कि चारा होना चाहिये। मैंने मिस्ल पर लिख दिया कि चारा भेज दिया जाय लेकिन मैं जानता

[श्री चरण सिंह]

था उसे कोई नहीं खरीदेगा । वही हुआ कि अबकी मर्तबा फिर चारा गया और उसमें पहले से ज्यादा नुकसान हुआ । फिर उसे किसान लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--चारा नहीं गया।

श्री चरण सिंह--खैर, माननीय मित्र मुझसे मिलने की कृपा करेंगे। मैं उन्हें बतलाऊंगा कि कितना चारा गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का खत भी आया है कि कितना नुकसान हुआ है।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है वह मकानों की बाबत है। हमारे रामसुन्दर जी पांडेय ने यह कहा कि जिन किसानों के मकान बह गये थे वह दूसरी जगह बनाना चाहते हैं। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स हैं। अगर उनको दरख्वास्त दी गई हो और वह अमल न करते हों तो मुझे बतलाने की मेहरबानी करें। मैं उनको लिख कर भेज दूंगा कि जहां कहीं आस-पास में जगह हो जहां वे बनाना चाहें वहां उन्हें बसाया जाय। इन सब बातों के साथ मैं फिर इस प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्री रामकुमार जी शास्त्री और श्री व्रज विहारी मिश्र ने कहा कि सरकार की ओर से बहुत ज्यादा मदद दी गई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल ९ लाख रु० मुफ्त सहायता और टेस्ट वर्क में खर्च हुआ है, सारे प्रान्त में, मैं नहीं कहता कि वह ज्यादा है। वह ज्यादा कहते हैं और संतोष भी करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि बाढ़, सूखा और इतनी विप्लवकारी घटना के बाद भी मालगुजारी वसूल हो रही है और उन क्षेत्रों में खास कर वसूल हो रही है जो बाढ़ ग्रस्त हैं। गाजीपुर के जिले में बहादुरगंज से लेकर कोशलपुर तक जो दौरूं के किनारे पड़ते हैं खास कर मालगुजारी वसूल हो रही है जो कि बाढ़ पीड़ित हैं। शायद माननीय राजस्व मंत्री को ज्ञात न हो इसलिये मैं उनकी जानकारी के लिये और सरकार की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार मेरा अन्दाज है और मेरा विश्वास है कि सारे प्रान्त में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में उन सब जगहों से मालगुजारी वसूल हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि अभी रबी की फसल आई नहीं है उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के रहने वाले मालगुजारी कैसे दे पायेंगे। सरकार को इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और सारे ऐसे जिलों को छूट देनी चाहिये। न तो छूट की पर्ची ही बंटी है और न किसानों को मालूम ही है। इस सिलसिले में आजमगढ़ के कई आदमी गिरफ्तार हो गये हैं। जेलों में बन्द हैं। इन शब्दों के साथ मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत २,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत १,५३,७८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में संक्षेप में मुझे यह अर्ज करना है कि गंगा खादर में शुरू शुरू में जब वह कालोनी बसाई जाने वाली थी, तो कुछ मकानात बनाये गये थे और वह वह जमाना था जबकि पाकिस्तान से काफी तादाद में पीड़ित भाई हमारे सूबे में आये हुये थे और उनके बैठने, उठने और रहने की कोई गुंजायश नहीं थी। तो गंगा खादर कालोनी के बसाये जाने का प्रस्ताव हुआ। वह मुकाम बड़ा बीहड़ है। वहां जो मकानात बनाये जाते थे, उनके लिये बड़े फासले से सामग्री पहुंचाना एक मुश्किल काम था, काफी अखराजात होते थे। बांस, बल्ली और टिन शेड वगैरा डाल करके वह मकानात जल्दी में तैयार हुये थे। उनके डेवलपमेंट में भी काफी सर्फा हुआ था। इन परिस्थितियों में उनकी कीमत अवश्य ज्यादा पड़ी। अब अगर शरणार्थी भाइयों से, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं कही जा सकती, उनसे डेवलपमेंट के चार्जेज वसूल किये जायं, तो उनके लिये बड़ी कठिनाई की बात होगी। इसलिये १ लाख ८९ हजार रुपये की एक तो यह रकम है कि यह इरिकवरेबिल करके उनसे न ली जाय। चूंकि यह सेविंग से मीट हो जायगी, इसलिये एक टोकेन ग्रांट सौ रुपये की है।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूल के टीचरों की तनख्वाह के बारे में उनका स्केल वगैरा बढ़ाया गया। इस तरह जो नया स्केल हुआ उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिक्कतें हुईं क्योंकि उनकी आमदनी महदूद थी और वह अपने को इस काबिल नहीं पा सके कि सारे अखराजात बरदाश्त करें। यह सवाल गवर्नमेंट के सामने था और वाक़यात दरियाफ्त किये जा रहे थे कि किस क़दर रक़म की जरूरत होगी। इतनी ही देर में एजिटेशन शुरू हो गया टीचरों का और वह मसला तय नहीं हो सका। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसपर विचार करेगी। अब वाक़यात मालूम हो चुके हैं, सारे डेटाज एकट्ठा हो चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उसी के आधार पर वाल्यूम एक में सारा विवरण दिया हुआ है कि किस क़दर रुपये की जरूरत है। ४० लाख के लगभग जरूरत है। २० लाख पहले रखा गया था और वह बंटा नहीं था तो २० लाख की और जरूरत है और वह २० लाख का अनुदान इसमें रखा गया है।

इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस प्रदेश से यह कहा कि ईस्ट पाकिस्तान की ५०० फैमिलीज हैं, उनको यहां रिसेटिल कराया जाय। नैनीताल के जिले में उनका पुनर्वासन हुआ। इस सिलसिले में दो स्कूल और एक अस्पताल के बनवाने की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने दी। लगभग १३ हजार और कुछ रुपये उसमें सर्फ होंगे। वह भी रक़म बजट की बचत से पूरी की जा सकती है। इसलिये सौ रुपये की टोकेन डिमांड इसमें रखी गयी है।

इसके अतिरिक्त जमींदारी एबालिशन फंड में १ करोड़ ३० लाख रुपया रखा गया है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह भी आदेश दिया है कि शरणार्थी भाइयों के लिये कुछ सस्ते मकानात बनाये जायं। इस सिलसिले में भी २ लाख ७८ हजार ५ सौ रुपये की जरूरत है और यह रकम गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगी। इस तरीके से मजमुई रकम १,५३,७८,७०० रुपये होती है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

जैसा कि इस अनुदान के शीर्षक में ही विविध व्यय लिखा हुआ है, इसमें बहुत सी बातों का जिक्र हुआ है और माननीय उद्योग मंत्री ने उनका विश्लेषण

[श्री गंगाधर मैठाणी]

भी किया है। इसके अन्दर जो दो प्रधान मदें हैं, एक तो जिला बोर्डों को जो अनुदान दिया गया और उसके साथ १ करोड़ ३१ लाख रुपया जमींदारी अबालिशन फंड के अन्दर दिया गया है। जहां तक जमींदारी अबालिशन फंड का सम्बन्ध है अगर हमारी नीति को अपनाया जाता तो शायद यह भार हमारे राज्य कोष पर नहीं आता। इसके अलावा सरकार की जमींदारी आबालिशन फंड की नीति बहुत सफल भी नहीं हुई। इसी कारण से यह भार हमारे ऊपर बढ़ता जाता है अन्यथा वह रुपया हमारी पंच-वर्षीय योजना के अन्दर विकास कार्यों में लगता। लेकिन जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है आज हम इस विवरण को पढ़ते हैं तो एक पैच वर्क के अन्दर जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ३१ मार्च तक ४१ लाख रुपये की आवश्यकता होगी और जो बजट पिछले वर्ष पास हुआ है उसमें २० लाख रुपये का प्राविजन कर दिया गया था और इस समय २० लाख रुपया और दे दिया गया है। इन आंकड़ों के अन्दर ४० लाख रुपये की आवश्यकता है जिसमें कि २० लाख रुपया पिछले साल और २० लाख रुपया इस समय दे कर ४० लाख रुपया इसको बना दिया गया है और इन मदों के अन्दर ३२,८६,००० रु० बांटा गया है और ७ लाख १४ हजार रुपया रखा गया है जो कि विभिन्न जिला बोर्डों को दिया जायगा। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको यह अन्दाज होता है कि इससे जिला बोर्डों की समस्या हल नहीं होती है। जिला बोर्डों को जो यह रुपया दिया गया है। प्राइमरी शिक्षा और जूनियर शिक्षा के लिये है। हमारे शिक्षा मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं। ३१ मार्च तक सरकार के अन्दाज के अनुसार जिला बोर्डों की समस्या हल होने जा रही है, लेकिन जहां तक मेरे अपने जिले गढ़वाल के आंकड़ों का सम्बन्ध है वहां पर जो वेतन क्रम सरकार ने तय किया है अगर उसके अनुसार वेतन दिया जायगा तो सात लाख रुपये का डेफिसिट उस जिले भर के अन्दर है। उसी प्रकार अन्य जिलों के अन्दर भी डेफिसिट होगा। इसलिये सरकार जो आंकड़े बताती है मेरे अन्दाज से वे ठीक नहीं हैं और इससे आगे की समस्या हल नहीं हो सकती। हम यह कहते हैं कि अगर इसको आगे के बजट में एक रेकरिंग ग्रांट के रूप में आप देते तो शायद हमारी प्राइमरी शिक्षा की समस्या हल होती लेकिन वह इन रुपयों से हल नहीं होती है। उस समय अध्यापकों ने हड़ताल की और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से शिक्षकों ने जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया उन लोगों को फिर से भर्ती नहीं किया गया। इस विषय में जिला गढ़वाल की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान हमें आकर्षित करना है। तो यह रुपया जो विविध व्यय के अन्दर रखा गया है इससे हमें स्पष्ट मालूम होता है कि जिला बोर्डों की जो हमारी प्राइमरी और जूनियर शिक्षा की समस्या है उसको सरकार हल करने नहीं जा रही है। हमें आशा है कि इस पर उद्योग मंत्री प्रकाश डालेंगे जिससे कि हमारी प्राइमरी शिक्षा, जो कि हमारे संविधान के अन्दर दिया है, दस वर्ष के अन्दर अनिवार्य बन जानी चाहिये, उसके ऊपर सरकार अपना विशेष ध्यान देगी।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने अपने व्याख्यान के शुरू में एक बात कही कि अगर उनकी नीति अपनायी जाती तो जमींदारी अबालिशन फंड का बोझ अपने सिर पर न आता। क्या नीति है, उसका इजहार नहीं किया। मैं समझता हूं कि उनका संकेत "non-payment of compensation" से है जहां तक यह मसला था तो इस पर इस सदन में और इसके पहले वाले सदन में असम्बली के सामने काफी जमाने तक बहस और चर्चा रही और इस सदन ने अपना यह निश्चित फैसला दिया कि कम्पेंसेशन दें और जमींदारी अबालीशन फंड पर भी काफी बहस मुबाहिसा महीनों रहा, अगर मैं यह कहूं कि साल भर रहा तो यह अत्युक्ति की बात नहीं है। उस समय हमारे मित्र नहीं थे इसलिये हमें उनकी बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका नहीं तो मैं उनके विचारों से जरूर लाभ उठाता और अवश्य मुझे लाभ

होता। लिहाजा इसके बारे में अब कोई वादविवाद करना जब कि सदन का फैसला मौजूद है, मैं समझता हूं कि सदन का समय व्यर्थ खोना है।

हमारे मित्र ने यह भी फरमाया कि इस किताब में जो आंकड़े डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सम्बन्ध में दिये हैं वह ठीक नहीं मालूम होते। कौन से आंकड़े हमारे मित्र सही समझते हैं उसको उन्होंने छिपाये मुझे बतलाने की उन्होंने जरा भी कोशिश नहीं की। एक बात उन्होंने जरूर फरमाई और किसी पहाड़ी जिले में अनुमानतः ७-८ लाख रुपये की कमी है। एक तो हमारे पास फिगर्स लिखित मौजूद हैं और जो किसी आधार पर हमारे सामने आये हैं और उनका पता लगाया गया और फिगर्स जो कि यहां पर अनुमान के रूप में सदन के सामने पेश किये गये हैं तो हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई है कि किन फिगर्स पर ऐतमाद करें और उन पर भरोसा करके अमल करने की कोशिश करें।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से रिपोर्ट मांगी गई और जिस कदर उनको जरूरत थी टीचर्स की तनख्वाह अदा करने के लिये उन्होंने बतलाया और उनके आधार पर इस नोट में पूरा विवरण दिया हुआ है और मैं समझता हूं कि इस पर मुझे ज्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वह बहुत साफ है। अगर एक मर्तबा नहीं दुबारा पढ़ने की चेष्टा की जाय तो मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। २० लाख रुपये की जरूरत है उसमें से और उसकी मांग सदन के सामने रखा गई है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा। टीचर्स की जो तनख्वाह बकाया है वह उनको मिलनी चाहिये क्योंकि इस नाजुक जमाने में किसी को तनख्वाह न मिले तो वह उसके लिये एक दिक्कत पैदा कर देता है। आगे आप भले ही कुछ सोच लें और जनरल बजट के सिलसिले में हमारे और आपके जो विचार हो वह व्यक्त किये जा सकते हैं लेकिन फिलहाल इस रकम को सदन जरूर मंजूर करेगा और हमारे मित्र भी अपनी अनुमति इस अनुदान के सिलसिले में देंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे। मुझे आशा है कि सबको उनसे सहानुभूति है। लिहाजा मैं यह अपना प्रस्ताव फिर सदन की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेता अगर इसमें जमींदारी अबालीशन फंड का जिक्र न होता। जहां तक अभी उद्योग मंत्री महोदय ने दो तीन बातों का जिक्र किया है कि हमारी नीति क्या थी तो हमारी नीति तो उस समय पेश हुई थी जब कि आप स्वयं माल मंत्री थे और वह यह थी कि जो छोटे जमींदार हैं उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जाय, जो कि ५० करोड़ रुपये में हो सकता था, और जो बड़े जमींदार हैं उनको कम्पेंसेशन न दिया जाय।

जहां तक जिला बोर्डों का सम्बन्ध है, जब हड़ताल हुई थी, सत्याग्रह हुआ था शिक्षा मंत्री ने कहा था कि दो चार जिला बोर्ड ऐसे हैं जहां वेतन बाकी है, लेकिन यहां ४१ लाख रुपये की मांग आती है। गढ़वाल जिला बोर्ड के सम्बन्ध में मैंने कहा कि जो वेतन-क्रम वह लोग इस समय देते हैं उसके अनुसार आपके पास फिगर आये होंगे, लेकिन जो वेतन क्रम आपकी कमेटी ने देने की सिफारिश की थी और शिक्षा मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था उस वेतन-क्रम के अनुसार अगर गढ़वाल के अन्दर शिक्षकों को वेतन दे दिया जाय तो मेरा कहना यह है कि ६-७ लाख के करीब वहां पर डेफिसिट है और इन मांगों से वह पूरा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत १,५३,७८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७- अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत १६,५०,००० रुपये की पूरक मांग स्वीकार की जाय।

स्मृति-पत्र में इसकी व्याख्या दी हुई है, सिवाय ७ लाख रुपये के जो कि फीस के कारण शिक्षा संस्थाओं को देनी पड़ती है। जितने हरिजन लड़के पढ़ते हैं उनकी सब की फीस गवर्नमेंट अपनी ओर से देती है। तो चूंकि उत्तरोत्तर ऐसे बालकों की संख्या स्कूलों में बढ़ती जा रही है, तो जो धनराशि बजट में थी वह कम पड़ रही है। इसलिये सात लाख रुपया तो उसके लिए आवश्यक हो गया। यह इसमें मांगा गया है और बकिया जो धनराशि इसमें दी हुई है वह सब गवर्नमेंट आफ इंडिया से वैसी योजनाओं के लिए आई हुई है। लेकिन चूंकि बजट में जरूरी होता है इसलिये वह पूरक मांग उपस्थित की गयी है।

श्री कमला सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव मैं रखता हूं। जो ग्रांट इस सदन के सामने है, अगर उसे देखा जाय तो इसमें सिर्फ अनुसूचित जातियों के मुताल्लिक जो व्यय किया गया है उसी का जिक्र किया गया है लेकिन पिछड़ी जातियों के मुताल्लिक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न उनके लड़कों को फीस और स्कालरशिप देने की कोई मांग की गयी है। अगर अनुदान संख्या ४१ को देखा जाय तो इसमें "ग" के खंड (५) में यह दिया हुआ है कि "विशेष पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण।" अभी तक जो हरिजन संस्थाएं या जो अपढ़ हैं उनमें दो तरह की जातियां मिलती थीं, एक अनुसूचित जातियां और दूसरी पिछड़ी हुई जातियां। लेकिन यहां पर विशेष पिछड़ी जातियों का जिक्र किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह तीसरी कौन सी जाति हो गई। जो यहां पर हरिजन विभाग की सूची है, उसके अन्दर यह चीज नहीं है और जो पिछड़ी जातियों की आज लिस्ट है उसके अन्तर्गत भी यह जातियां नहीं आती हैं। जहां तक कल्याण का सवाल है जो कल्याणकारी कार्य किये गये हैं उसको अगर देखा जाय तो एक अजीबोगरीब प्रवृत्ति है। १ लाख ५० हजार का जो खर्च इसमें दिखलाया गया है, इसमें अगर देखा जाय तो जौनसार बावर में बिजनू घाट पुल का निर्माण और ऊन उत्पादन, भेड़ पालना, मुर्गी पालना इत्यादि इस तरह से ५० हजार रुपये का खर्च दिखलाया गया है और रतिज रोग तथा कुष्ट रोग के निवारण के लिए एक अस्पताल खोलना, ऐसी चीजें इसमें दिखलायी गयी हैं जिससे यह मालूम होता है कि यह पिछड़ी हुई जातियों के लिए नहीं बल्कि जो पिछड़े हुए गांव हैं उनके मुताल्लिक यह अनुदान है। यह कहा जाता है कि यह अनुदान पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए है। मगर मैं नहीं समझता कि वह सभी चीजें इसके अन्दर रखी जा सकती हैं। लड़कों के पढ़ाने वगैरह के मुताल्लिक जो सवाल है, अगर वह चीज है जैसा कि पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का दिया जाना, तो यह तो ठीक है, यह होना चाहिए लेकिन जैसा इसमें रखा गया है वह तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी यह साफ कर दें कि वहां पर जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनकी सहायता के ही मुताल्लिक यह है तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने वह विषय सामने रखा जिससे हरिजन समुदाय का बहुत बड़ा हित हुआ। अभी तक हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। फीस तो उनकी सरकार की तरफ से माफ थी परन्तु उनको फीस देनी पड़ती थी और कारण यह था कि यहां से सरकार से जो आदेश जाता था वह देर में पहुंचता था और उन बेचारों को फीस देनी पड़ जाती थी। लेकिन सरकार आज जो यह प्रांट पूरक अनुदान में लायी इससे हरिजन समुदाय का बहुत बड़ा उपकार होगा और आशा है कि अब वह दिक्कतें जो गरीब बच्चों को होती थीं वह नहीं हो पायेंगी।

साथ ही साथ हमें इस पूरक अनुदान पर यह कहना है कि जौनसार बावर का जो जिक्र अभी भाई साहब ने किया, उनको वहां की परिस्थिति नहीं मालूम है। इसमें जितना भी रूपया खर्च हुआ है वह वहां के गरीब और पिछड़े हुये भाइयों के हित में ही हो रहा है। एक चीज हमें सरकार से यह कहनी है कि यह जो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए २० हजार रुपया अशोक आश्रम को दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। अशोक आश्रम किस तरह से उनका उद्धार करेगा यह कुछ पता नहीं। इसी तरह से पिछली गवर्नमेंट ने रुपया हरिजन सहायक संघ को दिया था जिससे कोई भी हरिजनों का हित नहीं हुआ। उसी को देख कर हमें कहना है कि अगर वेश्यावृत्ति को खत्म करने की सरकार की मंशा है तो वह २० हजार रुपया अशोक आश्रम को न देकर स्वयं कोई योजना बनावे और सरकार द्वारा अगर कोई ऐसी योजना बनाकर काम किया जायगा तो जल्द ही उस जाति में वेश्यावृत्ति खत्म होगी और वहां एक अच्छी जाति और एक अच्छे नागरिक बन जायेंगे जिससे कि जो आज वहां की परिस्थिति है वह जल्द से जल्द खत्म हो जायगी। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और वह २० हजार रुपया जो अशोक आश्रम को दिया जा रहा है वह न देकर इस काम को अपने हाथ में लेगी।

जहां तक भूतपूर्व अपराधशील जातियों के बसाने का ताल्लुक है इसके सम्बन्ध में हमारे विचारों और सरकार के विचारों में बहुत बड़ा अन्तर है। हम चाहते हैं कि वाकई अपराधी जातियों का सुधार किया जाय। भारत सरकार ने ८ लाख रुपये का अनुदान दिया है। लेकिन अपराधियों के जहां पर एक गांव में ४० परिवारों को बसाया जायगा वहां उससे उनके अपराधों में या उनकी मनोवृत्ति में कोई फर्क नहीं आयेगा। उनकी वही मनोवृत्ति रहेगी जो ब्रिटिश काल में थी और वही जरायम होते रहेंगे। अगर सरकार की मंशा है कि उनको बसाया जाय और उनको अच्छा नागरिक बनाया जाय तो हर परिवार को अलग अलग गांव में बसाया जाय ताकि उनका आपस में मेल न हो सके और इससे उनकी वह मनोवृत्ति खत्म हो जायगी।

जो ८ लाख की योजना बनाई गई है उसमें ऐसा मालूम होता है कि चारे का तो प्रबन्ध कर दिया गया है लेकिन बैलों का पता नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और चारे से पहले बैलों का प्रबन्ध करेगी।

मुझे एक बात और कहना है कि गोंडा, बस्ती आदि जिलों में थारू जाति के लोग हैं उनकी उन्नति और सुधार की ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे आशा है कि सरकार थारू जाति के सुधार के लिये कोई योजना हम लोगों के सामने लायेगी और उनके उद्धार के लिये कुछ न कुछ अवश्य करेगी। गोंडा जिला में मैंने थारुओं के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिल कर एक स्कूल खुलवाया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट

[श्री गंगाप्रसाद]

बोर्ड के पास इतना रुपया नहीं था कि जूनियर हाई स्कूल खोला जा सकता। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट वहां थारुओं के लिये एक जूनियर हाई स्कूल खोलकर उनके पढ़ने का सुन्दर इन्तजाम कर देगी।

अभी बरवार जातियों का भी जिक्र किया गया कि उनके ४० परिवारों को बसाया गया है और उनको २०० एकड़ जमीन दी है यानी हर परिवार को ४ एकड़ जमीन मिली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नलकूपों के न होने से बड़ी तकलीफ है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और वह शीघ्र ही नलकूप बनाने का प्रयत्न करेगी।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में है। इसके कई भाग हैं। इसके एक भाग में विद्यार्थियों को सहायता के लिए भी रुपया मांगा जा रहा है। विद्यार्थियों को सहायता हमारी सरकार पूरे प्रकार से दे रही है। परन्तु इसके अन्दर कमी यह है कि प्रतिवर्ष यह व्यय बढ़ता ही जाता है और अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों में कुछ जागृति भी उत्पन्न होती जा रही है। पिछले तीन वर्षों से हमारी सरकार ने इस अनुदान के सम्बन्ध में कोई व्यय इस प्रकार का बजट में नहीं रखा और यह रुपया इस विचार को रखकर रखा गया है कि यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो कहां से रुपया आयेगा। यह इस अनुदान में रखा गया है। मैं अपने माननीय मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में इस प्रकार से रुपया रखा जा रहा है।

विद्यार्थियों के सम्बन्ध में यह होना चाहिये कि प्राइमरी शिक्षा जैसा कि १९४७ की रिपोर्ट के अनुसार हमारे मंत्री महोदय और सरकार इसका प्रयत्न कर रही है कि प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क हो इसी प्रकार से पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में, प्राइमरी एजूकेशन, सेकंडरी एजूकेशन भी फ्री होनी चाहिये और कोई फीस या खाने पीने का व्यय उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले यह देखना चाहिए कि जो बच्चे, स्कूल या कालेज में जाकर पढ़ते हैं वह इस सहायता से अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आगामी बजट में काफी रुपया इस सम्बन्ध में रखा जाय जिससे कालेज में पहुंच कर वह खाने-पीने का, किताबों इत्यादि का उपयुक्त व्यय पूरा किया जा सके। दूसरी बात यह है कि पिछड़ी हुई जातियों को पीने के पानी का बड़ा कष्ट है। अभी मैंने पिछले दिनों एक गांव में देखा कि वहां कुछ हरिजन रहते थे, जिनको भंगी कहते थे। उनको कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था। मुझे ऐसी बातों से बड़ा दुःख होता है कि हमारे प्रदेश में इस विचार के लोग भी हैं। यदि इस प्रकार के विचार रहेंगे तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। यह परमावश्यक है कि हम अपने भाइयों को हृदय से लगाएं हम यह विचार करें यह इतना बड़ा वर्ग हमारे प्रदेश में है कि जब तक हम उसको अपने हृदय से नहीं लगायेंगे, जब तक छुआछूत इत्यादि का विचार नहीं छोड़ देंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते।

एक तीसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि मकानों की समस्या बड़ी जटिल है और हम देखते हैं कि छोटे छोटे मकान पिंजरों की भांति उनके रहने के लिये बने हुए हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इनके मकानों के लिये भी उचित प्रबन्ध किया जाय। जय हिन्द।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान्, इस अनुदान के सम्बन्ध में एक प्रश्न तो यह उठाया गया कि जो सुविधायें अनुसूचित जातियों के लिये हैं शिक्षा के क्षेत्र में वे बैकवर्ड क्लासेज के लिये नहीं हैं, यह सत्य है और उसका कारण यह है कि दोनों की आर्थिक परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है। बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों को डिग्री क्लासेज में मेरा ख्याल है कि २००, २५० स्कालरशिप्स दिये जाते हैं लेकिन अनुसूचित जातियों के लिये जितने लड़के डिग्री कालेजेज में पढ़ते हैं उनकी फीस माफ रहती है, फीस सरकार द्वारा दी जाती है, उनके लिये हर जगह होस्टल्स भी हैं और साथ ही साथ स्कालरशिप्स भी दिये जाते हैं। अगर रुपया हो तो जिनको सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता देने में किसी को मलाल नहीं हो सकता लेकिन इस समय यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि पिछड़ी जातियों को भी वही सुविधाएं दी जायं जो अनुसूचित जातियों के लिये हैं।

गंगा प्रसाद जी ने कहा कि २० हजार रुपये अशोक आश्रम को वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिये दिये जा रहे हैं। उन्होंने शायद पढ़ा नहीं कि अशोक आश्रम से यह कहा गया है कि वह एक योजना बना कर दे और जब वह योजना सरकार को स्वीकृत होगी तभी वह २० हजार रुपया उसको दिया जायगा। इस कारण उनको कोई शंका न होनी चाहिये कि आश्रम को दान के रूप में यह रुपया दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि जो रुपया बसाने के लिये दिया जा रहा है उसमें चारे का तो इन्तजाम है लेकिन बैलों का कोई इन्तजाम नहीं है। वह देखें कि फी एकड़ तोड़ने के लिये ५० रुपया उसमें रक्खा गया है। बैलों से ही जमीन टूटती है और वे भी उसमें सम्मिलित हैं। नलकूप जिसकी निस्बत उन्होंने जिक्र किया जहां तक मुमकिन होगा उसका इन्तजाम भी किया जायगा और बरवार जातियों को जो बसाया गया है उनके लिये ये सब सुविधाएं हो सकेंगी ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। एक बात यह कही गई कि सबको इकट्ठा बसाने में इस बात की आशंका है कि उनकी जो प्रवृत्ति है वह दूर न हो सकेगी। तो अभी तक तो यह था ही कि उनमें जुर्म करने की प्रवृत्ति थी लेकिन जो उनकी बस्तियों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उनको ऐसी सुविधा दी जा रही है कि जिससे वह अन्य प्रकार से अपनी जीवनवृत्ति पैदा करें, तो इससे यह आशा की जा सकती है कि आज नहीं तो थोड़े समय में इन प्रयत्नों के द्वारा यह सम्भव हो सकता है कि हम उनकी प्रवृत्तियों को खींच लें। यह तो कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए कि किसी कानून के द्वारा कोई चीज बन्द हो सकती है। वह तो मनुष्य के स्वभाव पर ही निर्भर होता है। चोरी का कानून बना हुआ है लेकिन फिर भी चोरी होती ही है। जिस प्रकार की प्रवृत्ति अभी तक रही है, उनसे आज यह आशा कर लेना, वैसे हम प्रयत्न तो इस बात का करते हैं लेकिन उस प्रयत्न का फल इतनी जल्दी मिल जाय यह आशा करनी चाहिये लेकिन सम्भव नहीं है। हर एक गांव में एक एक को अलग-अलग बसाना और उनकी बस्ती को इकट्ठा न रखना यह ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वह जिस तरह से रहते आये हैं उनके अन्दर एक सहकारिता की भावना रही है तो उनको इकट्ठा बसाने से लाभ होगा। वह भी प्रयत्न रहेगा लेकिन हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफल होंगे यह आशा जरूर है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---मैं केवल एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मेमोरेंडम ४९ में जो यह लिखा हुआ है कि बैकवर्ड और शिडयूल कास्ट की फीस माफ

[श्री जयपाल सिंह]
करने का प्राविजन है। यह लोग जो डिमांड करते हैं वह हरिजनों के लिये करते हैं जैसा कि आपके भाषण से जाहिर है लेकिन इसमें यह जाहिर होता है कि मेमोरेंडम में बैकवर्ड जाति के लिये रुपया दिया गया था।

श्री हरगोविन्द सिंह---वह तो मैंने बताया कि वह ७ लाख रुपया तो शिडयूल कास्ट के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ी है तो जितना रुपया बजट में रखा गया था वह उनके लिये कम पड़ता है। ७ लाख रुपया और हो तो काम पूरा हो सकता है।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जैसा अभी बतलाया गया कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये कुछ नहीं किया गया है। उनकी तादाद भी बहुत काफी है। उनके लिये भी स्कालरशिप वगैरह का इन्तजाम होना चाहिये तभी उनका भला हो सकता है। रुपये की चूंकि कमी है इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान---लेखा शीर्षक ५७---विविध व्यय के अन्तर्गत १६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब तो केवल एक ही अनुदान लिया जायगा क्योंकि फिर ४-४५ पर अनुदानों पर विवाद समाप्त हो जायगा और जो शेष अनुदान रहेंगे उन पर मैं वोट लेना प्रारम्भ कर दूंगा।

अनुदान संख्या ४३- लेखा शीर्षक ६३- युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ३६-ख--सामूहिक योजनाएं

श्री गोविन्दवल्लभ पंत---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---योजना और एकीकरण लेखा शीर्षक ६३---युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ३६--ख सामूहिक योजनायें के अन्तर्गत ५२,८३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। यह सारी मांग सिर्फ दो मदों की है। एक तो साढ़े तैंतालीस लाख रुपया के क़रीब लोकल वर्क्स के खर्चे के लिये है। और बाकी रुपया नेशनल एक्सटेंशन सेंटर्स के खर्चे के लिये है। हर जिले को इसका हिस्सा दिया गया है। इसकी शरायत वगैरह पूरी तफ़सील के साथ इसमें दी गई हैं। जहां तक नेशनल एक्सटेंशन सेंटर्स का सम्बन्ध है हमने ४० सेंटर्स इस साल खोले हैं और ११० हमारा इरादा खोलने का है। मुमकिन है कि ११० से ज्यादा हो जावें क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम इन्हें जल्द से जल्द बढ़ावें। समय सीमित है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। समय सदस्यों के लिये छोड़ना चाहता हूं ताकि मुझे उनके सुझावों से फायदा पहुंचे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

जैसा कि इस नोट में लिखा गया है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमारे लोकल वर्क्स के लिये कुछ रुपया दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि यह रुपया हमको मिल रहा है। १० ब्लाक २ अक्टूबर को खुले थे और ३० ब्लाक का २६ जनवरी को जगह जगह उद्घाटन हो गया है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि वहां काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जहां तक मुझे मालूम है ब्लाक्स के लिये अफ़सरान की ट्रेनिंग हो रही है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रेनिंग क्या बहुत लम्बी चौड़ी होगी और काम कब से शुरू होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुला लें तो हम अपने तमाम सुझाव वहां रखें। उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि केन्द्र से मिला रुपया ३१ मार्च तक अवश्य खर्च हो जाय। लेकिन उसका खर्च होना बहुत मुश्किल है क्योंकि विधान सभा के सदस्य प्लानिंग कमेटीज में हैं और वह सब यहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि हर जिले में कुछ कार्य निर्धारित हम लोग कर लें और सरकार के अफसरों की ओर हम न देखें। मेरे मित्र माननीय रामनारायण जी ने कुछ बेगार की बात कह दी थी जिसे मुख्य मंत्री जी ग़लत समझ गये। लेकिन यह बात नहीं है। सरकारी अफ़सरान से जो काम लिया जा रहा है वह बेगार सी हो गई है क्योंकि अगर वे सिम्बोलिक तरीक़े से इसे करें तो बहुत अच्छा है। वे १२ बजे छुट्टी ले लेते हैं। न तो दफ्तर का काम कर पाते हैं और न वहीं काम कर पाते हैं। इतना ही बहुत है कि वे जनता को फावड़ा चला कर दिखला दें। मैं चाहता हूं कि जो रुपया हमें मिला है उसे हम खर्च करने की कोशिश करें। मुझे यह बड़ी खुशी है कि मैंने जो शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से की थी उसके बारे में उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि उस पर उचित कार्यवाही की जायगी और उस रुपये को खर्च करने की कोशिश की जायगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारा तजुरबा यह रहा है कि जहां कहीं प्लानिंग डिपार्टमेंट का हाथ पड़ जाता है वह काम बिगड़ ही जाता है और जहां वह जनता के हाथों में रहा बहुत अच्छा काम हुआ। हां, सरकार को जनता की सहायता जैसे सर्वे, एलाइनमेंट वगैरह है उसकी देनी चाहिये। एक दूसरी बात यह भी है कि जब किसी का किसी काम में कोई लाभ नहीं होता है तो वह उसमें कम इंटरेस्ट लेता है जैसे भूमिहीन किसानों से कहा जाय कि नहर खोदो तो कोई भी किसान इस कार्य के लिये तैयार न होगा और न उसके लिये उसे उत्साह ही होगा। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में सड़कों की बड़ी जरूरत है वहां सड़कों पर काम करने के लिये लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने इस बात को भी मंजूर कर लिया है कि जो सेंक्शन्ड रेट्स हैं उन पर ग्राम सभाओं को भी ठेका दिया जा सकता है। मैं अपने यहां की मिसाल पेश करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां २० मील का सड़क का टुकड़ा था उसमें सरकार ने कहा कि ५ मील श्रमदान से बना लो बाकी को हम बना देंगे। उस इलाके में १४ ग्राम सभायें थीं और प्रत्येक ग्राम सभा में करीब एक एक हजार आदमी थे। उन १४ हजार आदमियों में जितने मर्द थे उन सब को एक एक हिस्सा बांट दिया गया और हर एक के पास एक एक, डेढ़-डेढ़ गज का हिस्सा प्रति परिवार आया। जो लोग वहां घरों में थे उन्होंने बड़ी खुशी से वहां काम किया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। जो लोग बाहर चले गये उनके पास पत्र डाले गये और लिखा गया कि ४-५ दिन की मजदूरी का रुपया भेज दीजिये। सब लोगों ने बड़े उत्साह से उस रुपये को भेजा। उसका नतीजा यह हुआ कि सड़क बन गयी और थोड़ा सा रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वह मिल गया। फर्क इतना ही है कि वह रुपया ग्राम विकास पर ही खर्च किया जायगा। हम चाहते थे कि सरकार मजदूरों को कुछ चाय पानी के लिये दे दे। मुझे इस बात से खुशी हुई कि सरकार ने उस बात को मंजूर कर लिया है। जो भी रुपया मिलेगा वह ग्राम

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

विकास पर खर्च किया जायगा और कुछ लोगों को जिनको मजदूरी देनी होती है उनको भी दी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि सदन के माननीय सदस्य अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसीज में इस काम को करके यदि ग्राम सभा के विकास कार्यों में अग्रसर हों तो वे बहुत कुछ सेवा इस प्रदेश की कर सकते हैं तथा वह सारा का सारा रुपया भी खर्च हो जाया करेगा जो कि सरकार की तरफ से इन कामों के लिये रक्खा जाता है। हम दिल से इस काम को करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं उसे रखना तो नहीं चाहता था लेकिन सिर्फ इस वजह से रख रहा हूं कि यह कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी केवल विरोध करती है। जो रोड बनी उसके बारे में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी एक कापी न जाने क्यों मेरे पास भी भेज दी है। वे उस रिपोर्ट में लिखते हैं :—

"Shramdan work in miles 17, 18 and 19;—Sufficient work has been put in by the voluntary labour in these miles. They are still working in it and there is enthusiam among the public to finish these miles to our satisfaction. They have further taken miles 11 and 12 at Kaphra. It is all due to the keen interest that has been taken by Shri Madan Mohan Upadhyaya, M. L. A. that voluntary labour came forward to do work in miles 17, 18 and 19 and they further promise to do the work in miles 11 and 12".

मैं इसे इसलिये पढ़ रहा था कि बहुत से सरकारी बेंच पर बैठे हुए मेम्बरान यह कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी विकास के कार्यों में काम नहीं करती है और विरोध ही करती है। वह कितना अच्छा होगा जब कि हर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की यही रिपोर्ट हरएक एम० एल० ए० के लिये आयेगी और उस दिन हम विधान सभा के सदस्यों के लिये यह बड़ी खुशी की बात होगी। यह मैंने एक रचनात्मक सुझाव दिया है। हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात भी हुई कि हमारे यहां के आफीसरों ने कुछ रुपया वापस भी कर दिया। सवा लाख रुपया कैनाल्स के लिये था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और प्लानिंग आफीसर ने १ लाख ३० हजार रुपये में से ८० हजार रुपया वापस कर दिया। यहां सदन में हम रात दिन चिल्लाते हैं कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिये लेकिन उन्होंने वापिस कर दिया। यह रुपया ऐसा है जो लैप्स होने वाला है। और यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो जरूरत बनी ही रहती है लेकिन मैं तो इसी कोशिश में हूं कि किसी तरह से यह रुपया हमको वापिस मिल जाय जिससे हम उसे विकास के कार्यों में लगा सकें। हम रुपया बरबाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि जो रुपया हमें मिले उसको साल के अन्दर खर्च करें। अगर इस सदन के माननीय सदस्य इस रुपये को सारे विकास के कार्यों में खर्च करवायें तो मैं समझता हूं कि उससे हमारा प्रान्त बहुत ऊंचा उठ सकता है। स्टैंडिंग कमेटी वाली बात मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी मान लेंगे तो जो बहुत से सुझाव हमें देने हैं, उन्हें हम उसी कमेटी में दे सकेंगे ताकि विकास का कार्य आगे बढ़ सके।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देनी थी वहाँ मुझे सबसे पहले माननीय उपाध्याय जी को बधाई देनी पड़ती है। बात यह है कि दरअसल अब तक यह देखने में आया था कि उधर के भाई सरकार की केवल नुक्ताचीनी करने वाले ही थे लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनमें से भी हमारे एक भाई ऐसे निकल आये जो काम भी करने लगे हैं और उनके पास सर्टिफिकेट भी इंजीनियर का मौजूद है तो फिर अब कहने की बात ही क्या है? अब तो मैं उधर के भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि

आखिर वे हमारा अनुकरण तो क्या करेंगे अगर अपने ही भाई उपाध्याय जी का अनुकरण करने लगें तो हमारे इस सूबे भर में बहुत बड़ा काम हो जायगा। जो आदेश उपाध्याय जी ने हम लोगों को दिया हम तो उसपर काम कर ही रहे थे लेकिन अब हमारे एक नये साथी और आ गये, यह हमारे लिये अच्छा ही हुआ। इससे हमारे प्रान्त में बड़ा भारी काम हो जायगा। इसके साथ ही साथ मुझे एक बात जरूर आपसे कहनी है कि जितना काम इस रिपब्लिक वीक में हुआ है इससे पहले इतना देखने में नहीं आया। कम से कम मैं अपने जिले की बाबत कह सकता हूं कि इसके पहले जहां लोगों के अन्दर भूमि का लोभ था वहाँ अबकी वह लोभ देखने में नहीं आया। जहां पहले लोग अपनी जमीन को, अपने खेतों को या बंधों को नहीं काटने देना चाहते थे वहाँ अबकी सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस समय जो श्रमदान सप्ताह हुआ उसमें लोगों ने अपनी थोड़ी सी ही भूमि नहीं दी बल्कि मीलों तक सड़कें बनाने के लिये उन्होंने अपने खेतों में स्थान दिया और जो खड़ी हुई अच्छी फसलें थीं उनको भी कट जाने दिया। इस आशा में कि हमारे यहाँ अच्छी सड़कें बन जायंगी। इस श्रमदान सप्ताह में यह अच्छी बात इसलिये हुई कि लोगों को आशा थी कि चकबन्दी तो होने ही वाली है और उसके लिये सड़कें तो बनेंगी ही तो फिर क्यों जमीन का लोभ किया जाय? लेकिन कुछ बदकिस्मती ऐसी है कि जिस चकबन्दी के लोग अपनी निगाहें लगाये बैठे हैं यह पता नहीं लगता कि वह चकबन्दी कानून कहाँ लटका हुआ है। ईश्वर ही जाने कि वह कानून कहाँ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह चकबन्दी कानून जिसको हमने इतनी तेजी के साथ पास किया था वह इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है उसकी छानबीन की जावे और उसको ढूंढ़ ढांढ़ कर कार्यान्वित किया जावे। मैं समझता हूं कि अगर हमारे प्रान्त में चकबन्दी कानून कार्यान्वित हो गया तो जितनी समस्यायें हमारे इस राष्ट्र की हैं, जो भूमि की समस्या है वे सब करीब-करीब ठीक ठाक हो जायेंगी।

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूल सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो तीन बातें इस भवन में पेश करनी हैं। पहली बात तो यह है कि ४४ लाख ३० हजार रुपये की जो रकम रखी गयी है वह रकम सब जिले को बांट दी गयी है। ८८ हजार रुपया के करीब हर जिले का आता है। उससे जो भी विकास योजनायें हैं वे अपना काम चला सकते हैं। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी की बात कही गयी है जब स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग झांसी में हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग पहाड़ी जिलों में की जाय। अभी गरुड़ में कॉंफ्रेंस होने जा रही थी लेकिन चूंकि यहाँ सेशन हो रहा है इसलिये उसे नहीं किया गया और अब मार्च में वह मीटिंग होगी।

नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक जो २६ जनवरी से शुरू हुआ है उसके लिये जो स्टाफ रखा गया है उसने इतने थोड़े समय में जिले में सर्वे भी शुरू कर दिया है। इस स्टाफ के ट्रेनिंग का पीरियड बहुत थोड़ा होगा। ए० डी० पी० ओज की ट्रेनिंग हो जायगी क्योंकि उससे उनको पूरा ज्ञान हो जायगा और तब वे जिलों में जायेंगे। नये आदमी को भेजने में कठिनाई होती है। इसी महकमे के एक नये आदमी को भेजा गया वे बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी थे लेकिन उनको पता नहीं था कि सी ड्रिल क्या होता है। वहां देहात में लोगों ने कहा किसी पेड़ को कि हजूर ये सी ड्रिल है, हालांकि एक किस्म का औजार होता है। इसलिए जब तक अफसरों को ट्रेनिंग न दी जाय तो लोग उनको बहकाने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि ट्रेनिंग देकर भेजा जाय बनिस्बत इसके कि बिला ट्रेनिंग दिये हुये जल्दी की जाय। ट्रेनिंग मिलते ही वे लोग पहुंच जायंगे।

[श्री फूलसिंह]

तीसरी बात जो श्रमदान सप्ताह के सम्बन्ध में कही गयी। मैं समझता हूं कि इस मरतबा सब जिलों में सब लोगों ने काम किया है और फिर हमारे मदन मोहन जी के पास तो सर्टीफिकेट भी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मेरा जिला फर्स्ट होगा।

श्री फूल सिंह--- यह ठीक है कि अपोजीशन के लोगों में वह अवश्य फर्स्ट होंगे जो उन्होंने इतना काम करना कबूल किया और मैं समझ रहा हूं कि इस बार वह बात भी ग़लत निकलेगी जैसा कि हर साल कहा जाता कि सब लोगों ने उसमें काम नहीं किया। इस बार सब लोगों ने सहयोग दिया है ऐसा अब मान लिया जायगा हालांकि यह बात हमेशा ही रही है कि सब लोग इसको पसन्द करते हैं और काम करते हैं। काम काफी एक्सपैंड हो रहा है। यह बात सही है कि पिछले साल हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने में और रिक्रूटमेंट में काफी कठिनाई रही है और अब अगले ब्लाक्स जब खुलेंगे तब वह कठिनाई नहीं रहेगी। ज्योंही यह बैच ट्रेंड हो जायगा दूसरा बैच ट्रेनिंग के लिये भेज दिया जायगा और ट्रेनिंग शुरू करने में कठिनाई हुई वह न होगी। बहुत एतराज इस मद पर नहीं किया गया है यह बड़ी खुशी की बात है कि सब इस काम को पसन्द करते हैं और इसकी आलोचना नहीं हुई। इसलिये मैं भवन का समय अधिक नहीं नष्ट करना चाहता। मैं आशा करता हूं कि भवन इस माँग को मंजूर करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ३६-ख, सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत ५२,८३,७०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब पौने पांच बज चुके अब शेष माँगों को राय के लिये ले लेता हूं।

अनुदान संख्या १--लेखा शीर्षक ४--कृषि आय कर की उगाही पर व्यय

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १, कृषि आय कर की उगाही पर व्यय--लेखा शीर्षक ४--कारपोरेशन कर को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत ४३,५०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत, ३,३६,८०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ६--स्टाम्प

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ६--स्टाम्प के अन्तर्गत १,१०,००० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७---लेखा शीर्षक १२---मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत १४,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९--ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)---लेखा शीर्षक १७, १८, और १९--ख के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत ३,०९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय---लेखा शीर्षक १८--के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२---सामान्य प्रशासन के कारण व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ३,६६,७०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और १७—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ४१ और १७ के अन्तर्गत १८,५५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८- लेखा शीर्षक ४२- सहकारिता

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--सहकारिता के आधार पर ऋण--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ४७--श्रम और संख्या

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--श्रम और संख्या--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५- लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४- लेखा शीर्षक ६८- सिंचाई नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)-- लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत १,६३,२०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५– लेखा शीर्षक ७१– कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५––कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत––लेखा शीर्षक ७१––कृषि-सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ३२,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७– लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत––लेखा शीर्षक : ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ६८ और ८१–क– विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८––विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)––लेखा शीर्षक : ६८ और ८१–क के अन्तर्गत ५३,३४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८२– कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९––कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत–लेखा शीर्षक ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ५,७४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२– लेखा शीर्षक द– राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण––लेखा शीर्षक द––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण के अन्तर्गत ९५,७०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीयपूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष--अब १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक को वितरण कर दिया जाय फिर उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी।

(विधेयक के वितरण के बाद)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिये अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ४०४ पर)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५४ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय। चूंकि अनुपूरक अनुदान सदन ने अभी पास किये हैं, मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५४ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के द्वितीय पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये ६,७१,-६६,६०० रु० का दिया जाना विनियोग

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग ६,७१,६६,६०० रु० (छः करोड़, इकहत्तर लाख, छासठ हजार, छः सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--एक संशोधन श्री गंगाधर मैठाणी का है कि ११,९४,४०० रुपये की धनराशि में से कुम्भ मेले के सम्बन्ध में निकाल दी जाय। नियम यह है कि विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में कि किसी विनियोग विधेयक पर कोई ऐसा संशोधन पुरःस्थापित नहीं किया जायगा जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की धनराशि में या उसके उद्देश्य में परिवर्तन हो जाय। यह नियम १५८ में है। तो धनराशि में परिवर्तन करने का कोई संशोधन आ ही नहीं सकता। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। इसके ऊपर मामूली तौर से किसी को कुछ कहना हो, तो कह सकता है और कोई दूसरा संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित योग	
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट्स)			
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय ..	४३,५००	–	४३,५००
२	मालगुजारी (रेवेन्यू) ..	१००	–	१००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	३,३९,८००	–	३,३९,८००
४	स्टाम्प	१,१०,०००	–	१,१०,०००
५	बन (फारेस्ट) ..	१४,२६,७००	–	१४,२६,७००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	१४,४२,०००	–	१४,४२,०००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले .. सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	३००	–	३००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	३,०९,०००	–	३,०९,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ..	२००	–	२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	३००	१२,३००	१२,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ..	१००	–	१००
१५	न्याय प्रशासन ..	१००	–	१००
१६	जेल	१४,९२,७००	–	१४,९२,७००
१७	पुलिस	१००	–	१००
१९	शिक्षा	४००	–	४००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२०	चिकित्सा (मेडिकल) ..	८००	—	८००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	११,९४,४००	—	११,९४,४००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट ऐण्ड रिसर्च)	३००	—	३००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन) ..	३,६६,७००	—	३,६६,७००
२५	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	२००	—	२००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१८,५५,०००	—	१८,५५,०००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	१००	—	१००
२९	उद्योग	९,९९,६००	—	९,९९,६००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या ..	१००	—	१००
३२	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१००	—	१००
३५	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	२००	—	२००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ) ..	२,००,०००	—	२,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज) ..	१,५३,७८,७००	—	१,५३,७८,७००
४१	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	१६,५०,०००	—	१६,५०,०००
४३	योजना और एकीकरण ..	५२,८३,७००	—	५२,८३,७००
	योग 'क' ..	३,२०,९५,२००	१२,३००	३,२१,०७,५००
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउंट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन	१,६३,२०,०००	—	१,६३,२०,०००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..	३२,६०,०००	—	३२,६०,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	६००	—	६००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	५३,३४,४००	—	५३,३४,४००
४९	कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	५,७४,०००	—	५,७४,०००
	योग 'ख'	२,५४,८९,०००	—	२,५४,८९,०००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐंड एडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज) ..	९५,७०,१००	—	९५,७०,१००
	योग 'ग' ..	९५,७०,१००	—	९५,७०,१००
	कुल योग ..	६,७१,५४,३००	१२,३००	६,७१,६६,६००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खण्ड १

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ फ़रवरी, १९५४।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृ० ३९९ पर)

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक)

विधेयक

---

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१--यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये ६,७१,-६६,६०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग ६,७१,६६,६०० रु० (छः करोड़ इकहत्तर लाख छासठ हजार छः सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३	
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक	
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट्स)--			
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय ..	४३,५००	—	४३,५००
२	मालगुजारी (रेवेन्यू) ..	१००	—	१००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ..	३,३९,८००	—	३,३९,८००
४	स्टाम्प	१,१०,०००	—	१,१०,०००
५	वन (फारेस्ट) ..	१४,२६,७००	—	१४,२६,७००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	१४,४२,०००	—	१४,४२,०००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले .. सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	३००	—	३००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	३,०९,०००	—	३,०९,०००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ..	२००	—	२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	३००	१२,३००	१२,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ..	१००	—	१००
१५	न्याय प्रशासन ..	१००	—	१००
१६	जेल	१४,९२,७००	—	१४,९२,७००
१७	पुलिस	१००	—	१००
१९	शिक्षा	४००	—	४००
२०	चिकित्सा (मेडिकल) ..	८००	—	८००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	११,९४,४००	—	११,९४,४००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रीकल्चरल डेवेलप्मेंट ऐण्ड रिसर्च)	३००	—	३००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन) ..	३,६६,७००	—	३,६६,७००
२५	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	२००	—	२००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१८,५५,०००	—	१८,५५०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	१००	—	१००
२९	उद्योग	९,९९,६००	—	९,९९,६००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या ..	१००	—	१००
३२	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१००	—	१००
३५	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	२००	—	२००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ) ..	२,००,०००	—	२,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज) ..	१,५३,७८,७००	—	१,५३,७८,७००
४१	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	१६,५०,०००	—	१६,५०,०००
४३	योजना और एकीकरण ..	५२,८३,७००	—	५२,८३,७००
	योग 'क' ..	३,२०,९५,२००	१२,३००	३,२१,०७,५००
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउंट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन	१,६३,२०,०००	—	१,६३,२०,०००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..	३२,६०,०००	—	३२,६०,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बार नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	६००	—	६००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	५३,३४,४००	—	५३,३४,४००
४९	कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	५,७४,०००	—	५,७४,०००
	योग 'ख' ..	२,५४,८९,०००	—	२,५४,८९,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स एंड एडवांसेज) का भुगतावा (डिसबर्समेंट)			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण— (ऐडवांसेज)	६५,७०,१००		६५,७०,१००
	योग 'ग'	६५,७०,१००	—	६५,७०,१००
	कुल योग	६,७१,५४,३००	१२,३००	६,७१,६६,६००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश सरकार

पी० एस० यू० पी० ए० १३३ एल० ए०—१९५४—८५० ।